लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Parliament Library
24-8-90
30-7-85

सत्यमेव जयते

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 25, शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 1973/23 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 25, Friday, December 14, 1973 /Agrahayana 23, 1895 (Saka)

विषय	Subject	Pages/पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्रश्न संख्या **S.Q. Nos.**		
483. कोका कोला निर्यात निगम	Coca Cola Export Corporation	1–8
484. नैरोबी में इन्टरनेशनल मानीटरी फंड का सम्मेलन	International Monetary Funds Conference at Nairobi	8–9
485. सामान्य बीमा सेवा एकीकरण समिति का चौथा अंतरिम प्रतिवेदन	Fourth Interim Report of General insurance Services Integration Committee	9–10
487. बाजार से नये ऋण लेने संबंधी कार्यक्रम आरम्भ करने की योजना	Plan to undertake fresh Market Borrowing Programme ..	10–12
488. डेनमार्क से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Denmark ..	12–13
489. छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की तीसरी शताब्दी का समारोह	Celebration of Tri-Century of Coronation of Chhatrapati Shivaji ..	13–14
490. फ्रेंच मोटर कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	French Motor Company Ltd., Calcutta	14–15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्रश्न संख्या **S.Q. Nos.**		
486. कोटा में आय-कर अधिकारियों द्वारा की गई जांच	Enquiry Conducted by Income Tax Officers in Kota	15
491. नवम्बर, 1973 की हड़ताल के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को हुई हानि	Loss suffered by Indian Airlines due to Strike during November, 1973 ..	15–16
492. आपरिष्कृत पटसन का निर्यात	Export of Raw Jute ..	16–17
493. इंडियन एयरलाइंस के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कार्यवाही	Steps to improve working of Indian Airlines	17–18

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता॰ प्र॰ संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
494.	विदेशी बैंकों में भूतपूर्व शासकों की जमा धनराशि	Deposits of Former Rulers in Foreign Banks	18
495.	बुल्गेरियाई प्रतिनिधि मंडल द्वारा भारत की यात्रा	Visit by a Bulgarian Delegation to India	18–19
496.	नई दिल्ली के अशोका होटल के भारतीय शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम	Indian Classical Dance Performances in Ashoka Hotel, New Delhi	19
497.	वर्ष 1973 में पूर्व चम्पारन, दरभंगा पूर्णिया और सहरसा में जूट मिलों की स्थापना करना	Setting up of Jute Mills in East Champaran, Darbhanga, Purnea and Saharsa during 1973 ..	19
499.	इलायची बोर्ड द्वारा श्रमिक कल्याण योजनाएं बनाना	Formation of Labour Welfare Schemes by Cardamom Board ..	19–20
500.	इंडिया टोबेको कम्पनी-लिमिटेड	India Tobacco Company Ltd.	20
501.	पायलट प्रशिक्षण पाने के लिए ऋण छात्रवृति कार्यक्रम	Loan Scholarship Programme for Undergoing Pilot Training	20
502.	मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी	Reduction in the Export of Manganese Ore	20–21

अता॰ प्र॰ संख्या
U.S.Q. Nos.

4708.	दिल्ली में चरस, अफीम, शराब आदि के अवैध धंधों में पकड़े गये मामले	Unearthing of narcotics smuggling rackets in Delhi	21
4709.	भारत में सोने की तस्करी	Smuggling of gold into India	21
4710.	ग्वालियर के सिन्धिया की धन सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण	Assessment of Wealth of Scindia of Gwalior	21–22
4711.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा लघु उद्योगों के लिये दिये गये ऋणों का जाली होना तथा मारा जाना	Fake and Bad Debts regarding Small Scale Industries Loans advanced by Central Bank of India ..	22–23
4712.	प्रत्यक्ष करों में कमी करने की मांग और वित्तीय प्रोत्साहनों में वृद्धि	Demand for reduction of Direct Taxes and increase in Fiscal Incentives ..	23
4713.	विभिन्न राज्यों को सूत की सप्लाई के लिये मासिक कोटा	Monthly quota for supply of cotton Yarn to different States	23
4714.	स्टेट बैंक आफ इंडिया, विजय नगर में के मुख्य कोषाध्यक्ष के निवास स्थान पर उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारा जाना	Raid by Officers of Excise Department of the Residence of Chief Cashier State Bank of India, Vijyanagaram ..	23–24
4715.	सरकारी उपक्रमों का कार्य-निष्पादन	Performance of Public Sector undertakings	24
4716.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर द्वारा अपने नियंत्रण के लिए गए बैंक	Banks taken over by State Bank of Travancore ..	25
4717.	छोटे सिक्के और नोटों की कमी	Shortage of Small Coins and Notes of Small Denominations	25

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4718.	दिल्ली को स्थलीय बंदरगाह बनाने का दिल्ली प्रशासन का अनुरोध	Request from Delhi Administration to make Delhi a dry port ..	25-26
4719.	छोटे वाहन मालिकों को राहत देने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही	Measures proposed for giving relief to small vehicle owners ..	26
4720.	विदेशी सहायता में कमी	Short fall in Foreign Aid	26
4722.	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी पेंशन उनके निवास से निकटतम डाकघर से लेने की सुविधा	Benefit of Drawing Pension from the Post Office nearest to the Residence of Retired Employees ..	26-27
4723.	अनुसूचित बैंकों से पेंशन लेना	Drawing of pension through Scheduled Banks ..	27
4724.	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा राज कोष कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त करना	Drawing of Pension by Retired Government employee from Sources other than Treasury Offices ..	27
4725.	पोनमुडी (केरल) को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Ponmudi (Kerala) as a Tourist Centre	27-28
4726.	पुराने वेतन-मान रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों से विकल्प मांगना	Calling for Options from Government Employees for Retention of old scales set out by the Third Pay Commission	28
4727.	बसन्त बिहार, नई दिल्ली में मार्डन बाजार नामक फर्म के विरूद्ध शिकायतें	Complaints against Modern Bazar in Vasant Vihar, New Delhi ..	28-29
4728.	विग इण्डिया फैकटरी, मद्रास को हुआ घाटा	Loss suffered by Wig India Factory, Madras	29
4729.	पुरानी दिल्ली के एक दुकान पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे में सोना और जेवरात बरामद होना	Recovery of Gold and ornaments during Raid by Customs on a shop in Old Delhi ..	30
4730.	बंगलादेश को निर्यात किए गए सूती कपड़े की खराब क्वालिटी के बारे में शिकायतें	Complaints regarding poor quality of Cotton cloth exported to Bangladesh	31
4731.	सैन्य लेखा नियंत्रक (सी०डी०ए०) पटना के कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें	Court cases against Employees of CDA, Patna	31-32
4732.	सैन्य लेखा नियंत्रक (सी० डी० ए०) पटना के कार्यालय में श्रेणी चार कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी नीति	Transfer policy of Class IV employees in the Office of CDA, Patna	32-33
4733.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से औषधियों का आयात	Canalisation of Drug Import through STC	33
4734.	कोका कोला निर्यात निगम द्वारा बाहर भेजी गई धनराशि	Remittances made by Coca Cola Export Corporation ..	33
4735.	औद्योगिक विकास में सरकारी क्षेत्र की भूमिका	Role of Public Sector in Industrial Growth	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4736.	विदेशी राजनयिकों से बरामद तस्करी की वस्तुएं	Smuggled goods seized from foreign diplomats	34
4737.	रेशम उद्योग से प्रशुल्क संरक्षण का हटाया जाना	Removal of Tariff Protection to Silk Industry	34
4738.	राज्यों के महालेखाकारों के कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च श्रेणी लिपिकों को सिलेक्शन ग्रेड देना	Grant of Selection Grade to Scheduled Caste/Tribe UDCs in the Accountant General's Offices in States	35
4739.	बाढ़ राहत कार्यों के लिए अन्य देशों से सहायता	Assistance from foreign Countries for flood relief	36
4740.	इंडियन एयर लाइंस में नई पारी व्यवस्था पर विवाद	Dispute over new shift system in Indian Airlines ..	36
4741.	राज्य व्यापार निगम के मुख्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Head Office of STC	36–37
4742.	विदेशी फर्मों को तदर्थ आयात लाइसेंस देना	Grant of *Ad hoc* Import Licences to Foreign Firms ..	37
4743.	राज्य व्यापार निगम द्वारा बंगला देश को भेजी गई विभिन्न वस्तुओं का स्तर और किस्म	Standard and Quality of various goods sent to Bangladesh by STC ..	37–38
4745.	विमान की कानपुर से दिल्ली वापसी उड़ान	Return Flight from Kanpur to Delhi ..	38
4746.	अशोक होटल नई दिल्ली के स्टोर तथा खरीद अधिकारी के घर पर छापा मारा जाना	Raid on the House of Store and purchasing Officer, Ashoka Hotel New Delhi	38
4747.	आयकर की वसूली के लिए इंदौर में रोलिंग मिलों का रजिस्ट्रेशन	Registration of Rolling Mills in Indore for Income Tax ..	38–39
4748.	मिठाई विक्रेताओं द्वारा गलत नाप-तोल का प्रयोग	Use of wrong weights and measures by Sweet Sellers ..	39
4749.	दूसरे और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी	Payment of D.A. to Central Government Employees as a Result of Recommendations of Second and Third Pay Commissions	39–40
4750.	पलवल (हरियाणा) को शुष्क बंदरगाह बनाने की योजना	Scheme to make Palwal (Haryana) a Dry Port ..	40
4751.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के परिणामस्वरूप सरकार पर पड़ा वित्तीय भार	Financial Burden on Government as a result of Grant of D.A. to Central Government Employees ..	40–41
4752.	अफरीका में भारतीय उपक्रम	Indian Ventures in Africa	41
4753.	बाढ़ के कारण हुई हानि के लिए बिहार को सहायता	Assistance to Bihar for Loss due to Floods ..	41
4754.	राज्यों को सूखा राहत के लिए सहायता	Drought Relief Assistance to States ..	41–42
4755.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसंधान तथा विकास विभाग	Research and Development Wing in Public Sector Undertaking ...	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4756.	सरकारी कार्यालयों में तथा सरकारी उपक्रमों में भारतीय तथा विदेशी कारें	Indigenous and Foreign Cars in Government Offices and Public Sector Undertakings	42
4757.	औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के लाभ में वृद्धि	Increase in profits of industrial Reconstruction Corporation ..	42
4758.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण उद्योगों को दिया गया ऋण	Credit Advanced by Nationalised Banks to Rural Industries	43
4759.	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	43
4760.	ताम्बे के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Copper ..	43–44
4761.	मोटर व्यापार में कमीशन एजेंटों के बारे में अनियमित संमंजन प्रविष्टि	Irregular Adjustment Entries in regard to Commission agents in Motor Business	44
4762.	न्यू इंडिया एस्योरेंस कम्पनी के उच्च अधिकारियों द्वारा बनाई गई बेनामी एजेंसियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Benami Agencies created by Top Officials of New India Assurance Company	44
4763.	अरंडी के बीजों का वायदा बाजार	Forward Trading in Castor Seeds	44–45
4764.	मिलों द्वारा सूत का सरकार के कानूनी तौर पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना	Charging high prices of Yarn by Mills than Statutorily fixed by Government	45
4765.	करों की दरों में कमी	Reduction in Rates of Taxation	45
4766.	रूबल का अवमूलयन	Devaluation of Rouble	46
4767.	बंगाल बंद के कारण रद्द की गई उड़ानें	Flights Cancelled due to Bengal Bandh	46
4768.	न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर पटसन की वसूली	Procurement of Jute on Minimum Fixed Price ..	46
4769.	उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to U.P.	47
4770.	सरकार द्वारा खुले बाजार से लिये गये ऋणों की राशि	Amounts to loans floated by Govt. in Open Market ..	47
4771.	काले धन का पता लगाने के लिये विमुद्री-करण	Demonetisation to Unearth Black Money	48
4772.	भारत स्थित विदेशी कम्पनियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिये योजना	Scheme to Regulate Activities of Foreign Companies in India	48
4773.	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा जारी किये गये बोनस शेयर	Bonus Shares Issued by Indian Oxygen Limited ..	49
4774.	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशक मंडल में सदस्य/सदस्यों का नामांकन	Nomination of Member/Members on the Board of Directors of Indian Oxygen Ltd. ..	49
4775.	ऋण दिये जाने के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया, वारास्योनी, मध्य प्रदेश द्वारा कथित अनियमितता और पक्षपात	Alleged Irregularity and Favouritism shown by SBI Warseoni, Madhya Pradesh in Granting Loans ..	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4776.	बिना बने तम्बाकू का निर्यात	Export of Unmanufactured Tobacco..	49
4777.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित की मुद्रा	Foreign Exchange earned by Public Sector Enterprises	50
4778.	सौराष्ट्र में पर्यटन आकर्षण के गिर वन की विकास संबंधी योजनायें	Plans to Develop Gir Forest in Saurashtra for Tourist Attraction..	50
4779.	काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र का विकास	Development of Kandla Free Trade Zone	50
4780.	पर्यटन के लिये स्थलों का चयन	Selection of Sites for Tourism ..	51
4781.	भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in Indo-Nepal Border	51
4782.	सीमा-शुल्क अधिकारियों को प्राप्त होने वाली पुरस्कार राशि पर आयकर की अदायगी से छूट	Exemption from Payment of Income Tax on Rewards Received by Customs Officials	51–52
4783.	बड़े औद्योगिक गृहों से आयकर और सम्पत्ति कर की वसूली	Realisation of Income Tax and Wealth-tax from Big Industrial Houses	52
4784.	बिड़ला बन्धुओं से आयकर का वसूल किया जाना	Realisation of Income Tax from Birlas	52–53
4785.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने पर रोक का प्रभाव	Impact of Curbs on Credit Announced by RBI ..	53
4786.	भूतपूर्व शासकों द्वारा करों की अदायगी	Payment of Taxes by Former Rulers ..	53–54
4787.	कोल्हापुर में हवाई अड्डा	Airport at Kolhapur	54
4788.	बांसपानी जखपुरा प्रदेश (उड़ीसा) के मूल-भूत ढांचे का विकास करने के लिये पत्तनों संबंधी सब-ग्रुप	Sub Groups on Ports for Infrastructural Development of Bans-Pani Jhakhapura Region (Orissa) ..	54
4789.	विदेशी ऋण की वापसी	Repayment of Foreign Debt	54–55
4790.	आनुषंगिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये भुगतान न किये जाने के कारण व्यापार गृहों को दिये जाने वाले ऋण में कमी किया जाना	Curtailment in Credit to Big Houses as a result of Non-Payment of Ancillaries	55
4791.	भारतीय निर्यातकों को न्युयार्क स्थित वाणिज्य दूत द्वारा दी गई सहायता	Help given by Commercial Consular in New York to help Indian Exporters	56
4792.	जामनगर शहर (गुजरात) का दर्जा ऊंचा किया जाना	Upgradation of Jamnagar City (Gujarat)	56
4793.	भारतीय निर्यातकर्ताओं के साथ न्युयार्क में भारतीय वाणिज्य दूत द्वारा सहयोग न करना	Lack of Co-operation of Indian Consulate in New York with Indian Exporters	56–57
4794.	कच्चे माल की कमी के बारे में सूरत के आर्ट सिल्क बुनकरों से ज्ञापन	Memorandum from Surat Art Silk Weavers Regarding Shortage of Raw Materials	57

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4795.	भारतीय व्यापार मेला और प्रदर्शनी परिषद् को समाप्त करने का निर्णय	Decision on Winding up Indian Council of Trade Fairs and Exhibitions	57
4796.	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे के होटलों का अधिग्रहण करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to take over S.E. Railway Hotels by ITDC	57–58
4797.	उड़ीसा के लिये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क-समाहर्ता कार्यालय	Central Excise Collectorate for Orissa	58
4798.	उद्योगपतियों के विरूद्ध बकाया दरों की राशि	Arrears of Taxes against Industrialists ..	58
4799.	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों को जारी किये गये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों की क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिये एजेंसी	Agency to ensure Implementation of Guide Lines issued to Hotels by ITDC.	58–59
4800.	चाय बोर्ड के चेयरमेन की नियुक्ति के संबंध में चाय अधिनियम में संशोधन	Amendment in the Tea Act re:the Appointment of Tea Board Chairman	59
4801.	मारूति लिमिटेड को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to Maruti Limited ..	59
4802.	बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता से विश्व के बड़े-बड़े शहरों को जाने के लिये विमान भाड़ा ढांचा	Air Freight Structure from Bombay, Delhi, Madras and Calcutta to other big cities of the World	59–60
4803.	दोषपूर्ण तोल और माप	Defective Weights and measures	60
4804.	राज्य व्यापार निगम द्वारा ताईवान के साथ किया गया निर्यात एवं आयात व्यापार	Export and Import Trade handled by STC with Taiwan	60–61
4805.	भारतीय माल के निर्यात को बढ़ाना	Boosting Export of Indian Goods Abroad	61
4806.	मध्य प्रदेश को मोटे कपड़े का कोटा दिया जाना	Release of Coarse Cloth Quota to Madhya Pradesh	61
4807.	मध्य प्रदेश में छिपे धन का पता लगाने के लिये छापे मारना	Raids to unearth black money in Madhya Pradesh	61–62
4808.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में कृषकों और उद्योगपतियों को दिया गया ऋण	Loans advanced by Public Sector banks to Farmers and industrialists in Madhya Pradesh ..	62
4809.	मध्य प्रदेश से एकाधिकार के आधार पर रूई का खरीदा जाना	Procurement of Cotton on monopoly basis from Madhya Pradesh	62
4810.	1974 में दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार मेले में भाग लेने वाले संभावित देश	Countries likely to participate in the World Trade Fair to be held in Delhi in 1974.	62–63
4811.	इंडियन एयर लाइंस के प्रबन्धकों द्वारा इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन के साथ किए गये समझौते की समाप्ति	Termination of agreement with Indian Commercial Pilot's Association by Indian Airlines Management.	63

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4812.	विदेशों से ऋण	Loans from foreign countries	63
4813.	स्वनियोजन की योजनाओं के लिये धन	Finance to self employment schemes..	63–64
4814.	सामान्य बीमा निगम के प्रादेशिक कार्यालयों की स्थापना के बारे में आंध्र प्रदेश वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष द्वारा किया गया अनुरोध	Request made by President of Andhra Pradesh Federation of Chambers of Commerce and Industry regarding location of Regional Offices of General Insurance Corporation ..	64–65
4815.	सामान्य बीमा कर्मचारियों से वेतन-मानों और सेवा शर्तों संबंधी मथरानी समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Mathrani Committee on pay scales and service condition for General Insurance Employees	65
4816.	सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखों में उनकी राशि जमा न किया जाना	Missing Credits in the Provident Fund Accounts of Government Employees	65–66
4817.	अत्यावश्यक पदार्थों के मूल्य में वृद्धि की तुलना में सरकारी कर्मचारियों को दी गई अंतरिम राहत	Rise in prices of Essential Commodities *vis a vis* interim Relief given to Government employees..	66
4818.	विमान परिचायकाओं की सेवानिवृत्ति की आयु	Retirement age for AIR hostesses	66–67
4819.	भारत में परियोजनाओं के लिये सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के दल का दौरा	World Bank Teams' visit for giving assistance for projects in India ..	67
4820.	भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ, लाभांश और अन्य खर्चों के रूप में स्वदेश भेजी गई धन-राशि	Repatriation of Profits, Dividend and other expenses by foreign companies in India ..	67
4821.	बिहार में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Bihar	67–68
4822.	इंडियन एयर लाइंस के लिये ग्राऊंड हैंडलिंग इक्विपमेंट खरीदने में मालूम हुई अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन	CBI Report on irregularities noticed in the purchase of Ground Handling Equipment for Indian Airlines	68
4823.	बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर विचार	Examination of recommendation of Banking Commission ..	68
4824.	साइकिलों के निर्यात में वृद्धि	Increase in export of bicycles	69
4825.	राज्य व्यापार निगम के कार्यों में बिचौलियों की भूमिका	Role of middlemen in the dealings of STC ..	69
4826.	नये औद्योगिक संस्थानों को रियायती रुपये ऋण सहायता दिया जाना	Extension of Concessional Rupee Loan Assistance to New Industrial concerns	69–70
4827.	मिले-मिलाये कपड़े के निर्यात में कमी होना	Set Back in the Export of Ready made Garments	70
4828.	वर्ष 1971 से 1973 तक पटसन के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign exchange earned by export of Jute during 1971 to 1973 ..	70
4829.	कपास निर्यात के बारे में अन्य देशों से व्यापार समझौते	Trade Agreements with other Countries re: Cotton Export ..	71

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4830.	आवश्यक वस्तुओं का उधार पर आयात करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to Import Essential Commodities on Credit Basis ..	71
4831.	बंगला देश को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textiles to Bangladesh	71
4832.	चीनी के उत्पादन शुल्क में छूट	Rebate in Excise Duty on Sugar ..	71-72
4833.	राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint by STC	72
4834.	राज्यों की राजधानियों से विमान द्वारा एक ही दिन में दिल्ली पहुंचना	Same day Air connection of State Capitals with Delhi	72
4835.	इम्फाल हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण	Construction of Terminal Building at Imphal Airport	72–73
4836.	मणिपुर में हथकरघा उद्योग को सहायता	Assistance to Handloom Industry in Manipur	73
4837.	मणिपुर में पर्यटन के लिये एक अलग निदेशालय	Separate Directorate for Tourism in Manipur	73
4838.	खादी हथकरघे के कपड़े और सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात	Export of Khadi, Handloom Cloth and Ready made Items ..	73–74
4839.	निर्यात ऋण की ब्याज दर	Interest Rate on Export Credit ..	74–75
4840.	बम्बई में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Goods in Bombay	75
4841.	भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and EEC	75–76
4842.	आयकर सहायक आयुक्तों की पदोन्नति	Promotion of Assistant Commissioners of Income Tax	76
4843.	बैंक ऋण के लिए न्यूनतम ब्याज दर	Minimum Lending Rate for Bank Advances	76–77
4844.	कलकत्ता में तस्करी के माल का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in Calcutta	77
4845.	आयकर अधिकारियों द्वारा कानपुर की दुकानों पर छापे	Raids by Income Tax Authorities on Shops in Kanpur	77
4846.	सर्वोच्च 50 व्यक्तियों से आय-कर की वसूली	Recovery of Income Tax from Top 50 Individuals	78
4847.	अपरिकृत रेशम की विभिन्न किस्मों का मूल्य-निर्धारण	Fixing Prices of Different Varieties of Raw Silk	78
4848.	अग्रिम ऋण देने अंतर को बढ़ाने के बारे में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को रिर्जव बैंक के निदेश	Reserve Bank's Directives to Nationalised Commercial Banks in regard to increase in the margin on Advances	78–79
4849.	उदयपुर हवाई अड्डे का विस्तार	Expansion of Udaipur Airport	79
4850.	हल्दीघाटी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Haldi Ghati as a Tourist Centre	79

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4851.	बिहार को कपड़े की सप्लाई में 60 प्रतिशत की कटौती	60 per cent cut in cloth supply to Bihar	79–80
4852.	विदेशों में भेजे गये भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों की संख्या	Number of Officers of ITDC deputed to Foreign Countries ..	80
4853.	विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to Persons going Abroad ..	81
4854.	इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा नई दिल्ली के अशोका होटल, होटल अम्बेसेडर और कलकत्ता के होटल, हिन्दुस्तान को बिलों का भुगतान	Bill paid to Ashoka Hotel, Hotel Ambassador of New Delhi and Hotel Hindustan, Calcutta by Indian Airlines	81
4855.	जनवरी, 1973 से नवम्बर, 1973 तक इंडियन एयरलाइंस की रद्द की गई उड़ानें	Number of Indian Airlines Flights cancelled from January, 1973 to November, 1973 ..	81
4856.	रेशमी कपड़ों के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of Silk Fabrics ..	81–82
4857.	दिल्ली और चंडीगढ़ के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Rice in consumer price index in Delhi and Chandigarh	82
4858.	राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुआ घाटा	Losses suffered by Nationalised Banks..	82
4859.	ट्रांजिस्टरों का निर्यात	Export of Transistors	83
4860.	रूई के मूल्यों को समान बनाने की मांग	Demand for equalisation of Cotton Prices	83–84
4861.	कलकत्ता में स्थायी प्रदर्शन के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव	Proposal for making arrangements at Calcutta for a Permanent Exhibition	84
4862.	पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु तथा आसाम में कार्यरत चाय बागानों की संख्या	Number of Working Tea Gardens in the States of West Bengal, Tamil-Nadu and Assam	84
4863.	विदेशों को बिजली के बल्बों का निर्यात	Export of Electric Bulbs to Foreign Countries	85
4864.	केरल सरकार द्वारा कोवालम बीच रिजार्ट प्रोजेक्ट, से केरल पर्यटन विकास निगम को भूमि का अंतरण करने सम्बन्धी अनुरोध	Request from Kerala Government regarding Transfer of Land from Kovalam Beach Resort Project to Kerala Tourism Development Corporation	85
4865.	केरल की बुनकर औद्योगिक सहकारी समितियों के शेयर खरीदने के लिए अनुमति	Concurrence to Participate in the Share Capital Structure by Weavers in Kerala	85
4866.	विदेशों को निर्यात किये गये सामान के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Goods Exported to Foreign Countries ..	85–86
4867.	बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks in Bihar	86–87
4868.	आयकर अपवंचन	Avoidance of Income Tax	87

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ट Pages
4869.	एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना के फलस्वरूप पदोन्नति और भर्ती के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को दिया गया आश्वासन	Assurance given to Employees of RBI in regard to Promotion and Recruitment as a Result of Creation of a Holding Company ..	87–88
4870.	उपदान पर आयकर न लेना	Exemption of Gratuity from Payment of Income Tax	88
4871.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में कुप्रबन्ध के बारे में ज्ञापन	Submission of a Memorandum Regarding Mismanagement in the Central Bank of India ..	88–89
4872.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की तुलना-पत्र (बैलेंस शीट) में दिखाया गया घाटा	Loss shown in the Balance sheet of the Central Bank of India ..	89
4873.	वर्ष 1972–74 के दौरान रेशमी धागों तथा रेशमी वस्त्रों का निर्यात	Export of Silk Yarn and Silk made Garments during 1972 to 1974 ..	89
4874.	मध्य प्रदेश की इंदौर डिवीजन में जीवन बीमा निगम की शाखाओं में कथित कुप्रबन्ध	Alleged Mismanagement of Branches of LIC in Indore Division of Madhya Pradesh	90
4875.	त्रिपुरा के चाय बागानों के मालिकों द्वारा ऋणों का लिया जाना	Loans taken by owners of Tea Plantations of Tripura	90
4876.	ऋण पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Credit ..	90–91
4877.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सवारी भत्ते में वृद्धि	Increase in conveyance Allowance to Central Government Employees ..	91
4878.	उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के लिए निर्धारित मूल्यों पर धागे की कमी	Shortage of Yarn at Fixed Price for Handloom Weavers in U.P. ..	91
4879.	सूत के उत्पादन को अधिकार में लेना	Take over of Yarn Production	92
4880.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराये की रसीदों की छूट के लिये निर्धारित की गई सीमा	Limit fixed for exemption of House rent receipts for Central Government Employees	92
4881.	हैदराबाद में 5–स्टार होटल खोलना	Establishment of a Five Star Hotel at Hyderabad..	92
4882.	हैदराबाद में हुसैन सागर के तटवर्ती क्षेत्र पर एक 'बोट हाऊस' का निर्माण	Construction of a boat house on the fore-shore of Hussian Sagar at Hyderabad..	92–93
4883.	तस्करीकृत टेलीविजनों सेटों का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled T.V. Sets ..	93
4886.	नारियल जटा उत्पादनों के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of export business coir products	93
4887.	'सामान्य आदेशों' को हिन्दी और अंग्रेजी के साथ साथ जारी करना	Arrangements made for issue of general orders in Hindi and English Simultaneously	93–94
4888.	केरल में बेरोजगार स्नातकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Advancing of loans by nationalised banks to unemployed graduates in Kerala	94

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4890.	केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखायें खोलना	Opening of new branches of nationalised bank in Kerala	94-95
4891.	केरल में औद्योगिक एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आर्थिक सहायता	Financial assistance by IDBI to industrial Units in Kerala ..	95
4892.	ऊनी चिथड़ों की कताई करने वाले कारखानों को दिये गये लाइसेंस	Licences given to shoddy spinning Units	95-96
4893.	संथेटिक टाप्स के निर्माण के लिये लाइसेंस	Licences for manufacture of synthetic tops	96
4894.	आयकर अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Income Tax Officers ..	97
4895.	सूती कपड़े की बढ़िया किस्मों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Finer varieties of Cotton Textiles	97
4896.	जूट निगम द्वारा जूट उत्पादक क्षेत्रों में खरीद मूल्य निश्चित करना	Fixation of purchasing price in jute growing areas by Jute Corporation	97-98
4897.	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Essential Commodities	98
4898.	बिहार स्थित प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा सेवित जन संख्या और प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण	*Per Capita* credit advanced and population served by each Bank Branch in Bihar	98-99
4899.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण नीति और भर्ती पद्यति पर पुर्नविचार करने के लिये एक संसदीय समिति की स्थापना	Setting up of a Parliamentary Committee to review loan policy and system of Recruitment in Nationalised Banks ...	99
4900.	केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क तथा कराधान कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए स्थानों का वर्गीकरण	Classifications of Stations for Posting of Central Excise and Taxation Staff —	99
4901.	सहकारी चीनी मिलों को दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि के बारे में कृषि विभाग द्वारा औद्योगिक वित्त निगम को की गई सिफारिश	Recommendation made by Department of Agriculture to IFC Re: increase in Loan to Cooperative Sugar Mills	99-100
4902.	प्रशासनिक व्यय पर रोक लगाने के लिये किये गये उपाय	Steps taken to Curb Expenditure on Administration	100-101
4903.	यूरोपीय सांझा बाजार द्वारा भारत को एक और वर्ष के लिये व्यापार लाभ दिया जाना	Extension of Trade Benefits to India by ECM for another Year ..	101-102
4904.	देश के वायु मार्ग जिनमें सरकार को प्रति वर्ष हानि उठानी पड़ती है	Names of Air Routes in the country on which Government have to suffer losses every year ...	102
4905.	दीर्घकालीन निर्यात नीति	Long-term Export Policy ..	102
4906.	केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा बनाये गये होटलों के निर्माण तथा उनकी साज–सज्जा पर खर्च की गई कुल राशि	Total amount spent on construction and furnishing of Hotels constructed by Central Tourism Department —	102-103

प्रता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4907.	केरल के हस्तकला और हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिये विपणन विकास निधि आर्थिक सहायता का दिया जाना	Extension of Marketing fund Financial Assistance to Keraia for the promotion of Kerala Handicraft and Handloom products ...	103
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	104
	राष्ट्रीय बीज निगम को संदिग्ध लेन-देन के कारण लगभग 10 लाख रुपये की हानि होने का समाचार	Reported loss of About Rs. 10 lakhs to National Seeds Corporation due to Shady transactions	104
	श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	104
	श्री फखरूदीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed .	104–105
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	109
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	110
	विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	110
	सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member	110
	नियम समिति	Rules Committee	110
	तीसरा प्रतिवेदन	Third Report ..	110
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from Sitting of the House ..	111
	12 वां प्रतिवेदन	Twelfth Report	111
	सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurance	111
	सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report ..	111
	सभा का कार्य	Business of the House ...	111
	कोंकण यात्री पोत (अर्जन) विधेयक-पुरः स्थापित	Konkan Passenger Ships (Acquisition) Bill—Introduced ...	115
	कोंकण यात्री पोत (अर्जन) अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement Re: Konkan Passenger Ships (Acquisition) Ordinance ..	116
	श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi	116
	विधेयक पुरः स्थापित	Bills introduced:	116
	(i) आयकर (संशोधन) विधेयक	(*i*) Income Tax (Amendment) Bill ..	116-117
	(ii) संविधान (33वां संशोधन) विधेयक	(*ii*) Constitution (Thirty-third Amendment) Bill	117
	(iii) मुल्की नियम (निरसन) विधेयक	(*iii*) Mulki Rules (Repeal) Bill	119
	(iv) मिथिला (उत्तर बिहार) विकास बोर्ड विधेयक, श्री यमुना प्रसाद मंडल का,	(*iv*) Mithila (North Bihar) Development Board Bill by Shri Yammuna Prasad Mandal	119

विषय	Subject	Pages
(पांच) दयाभूत जीवन अंत विधेयक, श्री मूल चन्द डागा का	(v) Mercy Killing Bill by Shri M.C. Daga	119
विधिक सहायता विधेयक-डा० कर्णी सिंह का वापस लिया गया	Legal Assistance Bill—Withdrawn by Dr. Karni Singh ..	120
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	120
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh ..	120–121
श्री गदाधर साहा	Shri Gadadhar Saha	121–122
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	122
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	122
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	122–123
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	123
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	123
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar ..	123–124
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	124
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	124
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga ..	124–125
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Pannalal Barupal	125
श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale ..	125–126
विषमताओं तथा धन के संकेन्द्रण का दूर किया जाना विधेयक श्री के० लकप्पा का	Removal of Disparities and Concentration of Wealth Bill by Shri K. Lakkappa	126
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Conisder	126
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	126–128
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Cnandra Haldar ..	128–129
आधे घंटे की चर्चा	Half-An-Hour Discussion ..	129
12 वर्षीय माध्यमिक पाठ्यक्रम के प्रस्ताव	Proposal for Twelve Year Secondary Course	129
श्री समरगुह	Shri Samar Guha	129–130
श्री डी० पी० यादव	Shri D.P. Yadav ..	130–131

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 1973/23 अग्रहायण, 1895 (शक)
Friday, December 14, 1973/Agrahayana 23, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ।

Shri Madhu Limaye: Question No. 483. Mr. Speaker, Sir, We ask question from certain Ministers, but in their place other Ministers are sent to reply those question. We have come to know that the Finance Minister had sent the question to the Minister of Industrial Development, which was again forwarded to the Commerce Minister. May I know whether any rule in this regard would be framed?

श्री के० लकप्पा : उन्होंने तो प्रश्न ही पूछना है ।

श्री मधु लिमये : मुझे यह बात मालूम है ।

Who is responsible for this subject, whether any decision would be taken in this regard or not. Where are Industrial Trade Minister and Finance Minister?

अध्यक्ष महोदय : यदि वे गलत मंत्रालय को भेज दिये जायें. . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा लिखे हुए अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं । यह कैसी बात है कि यह मामला वाणिज्य मंत्रालय के पास भेजा गया है ? मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है ।

Shri Madhu Limaye : This should be referred to the Rules Committee.

अध्यक्ष महोदय : वह एक बुरे मंत्री नहीं हैं, वह आप को अपने उत्तर से संतुष्ट कर देंगे ।

कोका कोला निर्यात निगम

***483. श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोका कोला निर्मात निगम के वार्षिक ए० यू० लाइसेंस को वर्ष 1964 में 96,000 रुपये से बढ़ाकर 1,92,000 रुपये कर देने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : कोका कोला निर्यात निगम को 1963-64 के दौरान 1,33,000 रुपये के कच्चे माल के लिए लाइसेंस दिए गये तथा 1964-65 के दौरान भी इस फर्म को इतने ही मूल्य का लाइसेंस दिया गया । 1964 में वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंस दुगना नहीं किया गया था ।

Shri Madhu Limaye: The Hon. Minister has only played a trick of Calendar year and Financial year. May I know whether it is not a fact that in 1958 when they were allowed in the beginning, then You had issued import licence to them for four bottling plants and at present 22 bottling plants are functioning. This is my question in context of this sentence of the Minister of Industrial Trade. Shri Ojha says,

"ये बोतल भरने के संयंत्र न केवल कोका को ही अपितु किसी अन्य पेय जल निर्माताओं को दिये जा सकते हैं। हम ने इस संयंत्र के लिये लाइसेंस जारी करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि हम उन्हें 'कान्सेंट्रेट' की सप्लाई करने की गारंटी नहीं देते। इस शर्त को आशय पत्र में तथा लाइसेंस में भी लिख दिया गया था कि सरकार उन्हें विदेशी मुद्रा देने अथवा 'कान्सेंट्रेट' की सप्लाई करने के लिये बचनबद्ध नहीं हैं"

In these circumstances whether it is not a fact that during the last 4½ years Coca-Cola Company has been given Actual users import licence or Export promotion import licence worth Rs. 73 lakhs.

श्री ए० सी जार्ज : यह प्रश्न स्पष्ट रूप से 1964 के बारे में है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं इस वर्ष तथा वित्तीय वर्ष के बारे में भ्रान्ति पैदा कर रहा हूं। उनके सन्देह को दूर करने के लिए मैं बता सकता हूं कि अप्रैल 1963 से मार्च 1964 तक कोका कोला को 1,33,000 रुपये के वार्षिक लाइसेंस जारी किये गये और अप्रैल 1964 से मार्च 1965 तक ये फिर 1,33,000 रुपये के थे....

Shri Madhu Limaye : How much it was in 1958 and How much it was in 1963-64....

Mr Speaker: When you attack so fiercely you should be equally prepared for a strong reply.

Shri Madhu Limaye : I am not at all frightened. He has got so much support at his back.

Mr. Speaker: You are also got good support at your back.

श्री ए० सी० जार्ज : मैं प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि इस भ्रम को दूर किया जा सके। अप्रैल 1963 से मार्च 1964 के दौरान यह 1,33,000 रुपये का दिया गया था। यह 1964-65 में भी 1,33,000 रुपये का था। अतः, वित्तीय वर्ष और ईसा वर्ष के बीच किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं हो सकता। यदि इन तीनों वर्षों को मिला दिया जाये, तो किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहता। वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंस को केवल अवमूल्यन के पश्चात् ही बढ़ाया गया था। माननीय सदस्य ने यह ठीक ही बताया है। मैं इसके साथ पूरी तरह सहमत हूं कि बोतल भरने वाले संयंत्र को दिये गये आशय पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम उन्हें विदेशी मुद्रा देने के लिए वचनबद्ध नहीं हैं। किन्तु इसका इस प्रश्न के साथ कोई संगति नहीं है।

Mr. Speaker : This question has been raised thrice in the House. Every time this question is raised.

Shri Madhu Limaye : The Government have issued orders to all the companies to decrease the import Content gradually. But in the case of Co-Cola it is being increased by you. I have already said that it has been increased upto 73 Lakhs during the last 4½ years. If these 22 bottling companies cannot sell their items without branding them foreign names, may I know whether the Hon'ble Minister would announce this that all those Companies, which do not use the Indian brand names, would not be allowed to continue? My question is very direct and clear. If the Government's policy is not this, I want to know that as Shri Ojha has said, from which you will not issue the import licences which are being given at present.

श्री ए०सी जार्ज : माननीय सदस्य महोदय द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत है, क्योंकि गत चार वर्षों के दौरान कोका कोला का आयात बढ़ा नहीं है और वास्तव में उसका आयात, कम से कम कुछ तो कम हुआ है। 1969 में यह 18.47 लाख रुपये का हुआ और 1970 में यह 17.71 लाख रुपये का ही हुआ।

Shri Madhu Limaye : Please place the figure of base year 1958 before the House. Why are you confusing it.

श्री ए० सी० जार्ज : 1958 का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि मैं जाकर इतिहास और पुरातत्व की खोज करता फिरूं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, is this proper ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कम्पनी सरकार की सहायता से देश को लूट रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह प्रार्थना कर सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपने आप को 1964 तक ही सीमित रखें? वह उससे आगे जा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, it is the question of increase. You also may not be so much rigid.

Mr. Speaker : You should not say like. I will not tolerate.

Shri Madhu Limaye : I will also not tolerate.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विषय के संदर्भ से बाहर जा रहे हैं और यह पूर्णतय: असंगत है और पीठासीन अधिकारी को भी डरा कर चुप कराना चाहते हैं। आप बैठिये।

Shri Madhu Limaye : I am not going to sit. Mr. Speaker, Sir, please excuse me. You need not be angry. You should help us in getting the reply of my question.

Mr. Speaker : I can not help in this wrong thing. I am not going to allow it.

Shri Madhu Limaye : If you do not allow, no other business would be allowed.

श्री समर गुह : व्यवस्था का प्रश्न है, श्री मान जी ···· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये। प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री लकप्पा : आप कृपा करके बैठ जायें ?

श्री समर गुह : मेरा एक निवेदन है, श्री मान् जी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके बैठ जायेंगे ?

श्री समर गुह : मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने तुलनात्मक आंकड़े न केवल एक बार अपितु कई बार दिये हैं और जब कभी तुलना करने का प्रश्न तथा तुलनात्मक आंकड़े दिये हैं, तो अवश्य ही उन्हें आधारभूत आंकड़े नहीं समझना चाहिए। जब तक आधारभूत आंकड़े नहीं बनाये जाते, तब तक उचित रूप से तुलना नहीं की जा सकती।

अध्क्षय महोदय : स्पष्टीकरण को प्राप्त करना आपका काम नहीं है, अपितु उस सदस्य का काम है जिन्होंने प्रश्न पूछाहै।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री महोदय सभा को गुमराह करने और उसे भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें पहले आधार भूत आंकड़े बनाने चाहिये।

अध्क्षय महोदय : मैं कहता हूं कि यह आप के हित की ही बात है, जब एक से अधिक सदस्य बोल रहे हों, तो रिपोर्टर आप के कथन कैसे लिख सकता है। आखिरकार अनुपूरक प्रश्न पूछने की कुछ पद्धति तो होनी ही चाहिये। केवल उसी माननीय को, जिसका नाम मैं लूं, बोलना चाहिये, न कि किसी अन्य सदस्य को।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I would only put question and if my question is irrelevent, it can be ruled out. This question is like this:

"क्या वाणिज्य मंत्री (यहां वित्त मंत्री होना चाहिये था) यह बताने की कृपा करेंगे कि कोका कोला निर्यात निगम के वार्षिक ए०यू० लाइसेंस को वर्ष 1964 में 96,000 रुपये से बढ़ा कर 1,92,000 रुपये कर देने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार था ?"

I am asking that what is the figure of doubling. May I know whether the original figure of 1958 has been doubled? The Hon'ble Minister says that it has not doubled in 1964, whether it has doubled in 1963?

Mr. Speaker : May I know whether you have already decided that when he speaks, you would also speak.

श्री के० लकप्पा : मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप तीन अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे रहे हैं।

Mr. Speaker: I think you won't be sleeping during nights. Early in the morning you start making noise. I remain here from 8. a.m. to 8.p.m. and I am so much tired and I am not able to think anything. क्या आप बैठने की कृपा करेंगे। श्री लकप्पा क्या आप कृपा करके मेरी बात सुनेंगे। कोई तीसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है। वह एक स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। यह अध्यक्ष बोल रहा है न कि सदस्य। क्या आप इस बात की ओर अब ध्यान देंगे ? प्रश्न यह है। एक वर्ष में ही ये दुगना नहीं हो गया। यदि उन्होंने 1964 तक कहा है, तो इसका अर्थ केवल 1964 ही नहीं है।

श्री ए०सी० जार्ज : प्रश्न यह है। "क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोका कोला निर्यात निगम के वार्षिक ए०यू० लाइसेंस को वर्ष 1964 में 96,000 रुपये से बढ़ा कर 1,92,000 रुपये कर देने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार था ?" मैं 1966 तक आंकड़े देने के लिये तैयार हूं। इसके बाद माननीय सदस्य ने गत चार वर्षों के बारे में आंकड़े मांगे। मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यदि वह 1958 के लिये आंकड़े मांगते हैं, तो मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, he does not know about the Base year.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह गत चार वर्षों के आंकड़े दे रहे हैं। यदि आप 1958 से चाहते हैं, वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह कर ही क्या सकते हैं।

श्री मधु लिमये : वह आंकड़े लेकर आये हैं। उनके पास ये आंकड़े हैं। वह उन्हें छिपा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक के पत्रों को देखने के लिये यहां नहीं हूं। मुझे आपके द्वारा अथवा उनके द्वारा कही गयी बात के अनुसार ही काम करना होता है।

श्री एस०आर० दामाणी : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं ....

Shri Madhu Limaye: Alright, if the proceedings of the House are conducted in such a way, then let them go on.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप 1958 से चाहते हैं, तो वह इस सभा के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1958 में कितने संयंत्र काम कर रहे थे और इस समय इसकी स्थिति क्या है ? कितने संयंत्र काम कर रहे हैं और बिक्री की तुलना म आयात की प्रतिशतता: क्या है ? **(व्यवधान)** मैं यह पूछ रहा हूं कि बिक्री की तुलना में आप कितने प्रतिशत आयात की अनुमति दे रहे हैं ? कितने बोतल भरने के संयंत्र काम कर रहे हैं ?

श्री ए०सी० जार्ज : शुरु में 4 बोतल भरने के संयंत्र थे, अब बोतल भरने के 22 संयंत्र हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केवल 22 ?

अध्यक्ष महोदय : इस में क्या गलत बात है ? आप सुनते क्यों नहीं हैं । हर ससय आप बाधा डालते रहते हैं । वह मेरे इतने निकट हैं और वे मुझे भी सुनने नहीं दे रहे हैं । वह यह सुझाव दे रहे हैं कि मैं अपना स्थान बदल दूं । मैं सभा पर यह बात छोड़ता हूं कि कौन अपना स्थान बदले ।

श्री ए० सी० जार्ज : मेरे पास इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि कुल कितनी बिक्री हुई हैं । किन्तु मैं यह बता सकता हूं कि उन्होंने कितनी बोतलें भरीं । गत वर्ष, अर्थात् 1972 में 7170 लाख बोतलें भरी गई। 1971 तक, वे अपने निर्यात के अनुसार 20 प्रतिशत आयात करने के अधिकारी थे ।

1-4-1971 के पश्चात उसे कम करके 4.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका कारण बताया जाये कि वे सब हर बार आप से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : इसका कारण यह हो सकता है कि मैं स्वयं कोका कोला नहीं पीता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगें कि क्या यह सच है कि गोल्ड स्पाट के लिये 1971–72 वर्ष के दौरान दिया गया तदर्थ लाइसेंस 7 लाख रुपये के मूल्य का था ।

अध्यक्ष महोदय : इसका संबंध कोका कोला निगम के साथ किस प्रकार हो गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिलकुल है । कोका कोला निर्यात निगम के संबंध में मैं इस बात को सिद्ध करूंगा जो श्री लिमये ने अभी कहा है, अर्थात् 1972 में कोका कोला फर्मों को 7 लाख रुपये से ऊपर के तदर्थ लाइसेंस जारी किये गये थे और 1972–73, अर्थात् आगामी वर्ष में यह इससे दुगने हो गये अर्थात् ये 16,00,000 हो गये । यदि यह बात है, तो उसके क्या कारण हैं, क्या यह भी सच है कि कोका कोला निर्यात निगम को अपने निर्यात 80 प्रतिशत बाहर भेजने की अनुमति दी जाती है जिसमें न केवल कोका कोला ही शामिल है, अपितु चाय, काफी, काजू जैसे परम्परागत मद भी हैं । यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पूछा गया प्रश्न पूरी तरह से संगत होना चाहिये । उन्होंने पूछा है कि क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसे बढ़ा कर दुगना करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? अब आप अपने प्रश्न के क्षेत्र को क्रमशः विस्तृत करते जा रहे हैं ।

श्री के० एस० चावड़ा : उन्होंने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है प्रश्न यह है । कि उत्तरदायी अधिकारी कौन था ? उन्होंने उस अधिकारी का नाम नहीं लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये । अन्य माननीय सदस्य बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे हैं । उनके साथ किस प्रकार निपटा जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आप की आज्ञा को माना है और इसके साथ ही मैं अपने अधिकारों का भी दावा करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न संगत है, तो मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये कह रहा हूं । प्रश्न यह था कि इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार था ? किन्तु प्रश्न का वह भाग इसमें नहीं है । यह बहुत ही विस्तृत हो गया ।

श्री ए० सी० जार्ज : पूछा गया प्रश्न यह था कि इसे दुगना करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार था ? किन्तु उस वर्ष, उससे पूर्व वर्ष अथवा आगामी वर्ष इन्हें दुगना नहीं किया गया था ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, when you don't know the figures of 1958, how would you know whether there was doubling or not ? The Hon'ble Minister says that there was no doubling, but I say that there was doubling. What is the figure of 1958 ? I don't want to decide. You may please decide about it.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि गत चार वर्षों में ये दुगने नहीं हुये हैं ।

Shri Madhu Limaye : The Hon'ble Minister should tell us the figure of 1958.

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपने प्रश्न 1954 का उल्लेख किया था या 1964 का ? यदि 1964 का उल्लेख किया गया था, तो आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने 1.92 लाख के आंकड़े का उल्लेख किया था । इसका अर्थ यह था कि 92,000 रुपये की वृद्धि हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत में नहीं आता है । मुझे खेद है कि यह इस प्रश्न की परीधि से बाहर है ।

श्री सेझियान : श्रीमान् जी, मैंने एक निवेदन करना है । श्री लिमये द्वारा अपेक्षित मौलिक तथ्य की जानकारी नहीं मिली है । उन्होंने पूर्व वर्षों का उल्लेख किया । किन्तु श्री लिमये 1958 के लिये चाहते थे । अतः, मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय तथ्यों को एकत्र करें और तब उत्तर दें । हम इस प्रश्न को बाद की तिथि तक स्थगित कर सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, Please make this question as unstarred, but the figure of 1958 must be given.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कुछ अस्पष्ट सा है ।

श्री ए० सी० जार्ज: 1958 के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है । मुझे मालूम नहीं है कौन सा आधारभूत वर्ष माननीय सदस्य के मन में है । हम किसी तथ्य को नहीं छिपाना चाहते हैं ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether he does not know the base year ?

श्री मधु लिमये : क्या मंत्री महोदय हमारी बात को टाल रहे हैं ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री ए० सी० जार्ज : हम कोई बात छुपाना नहीं चाहते ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मंत्री महोदय विशिष्ट प्रश्न का उत्तर बाद में दे सकते हैं । परन्तु हमें इस पर प्रश्न पूछने का अधिकार है । हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी वर्ष के कोई आंकड़े छुपाना नहीं चाहते हैं । वास्तव में 1958 के बारे में पूछा गया था और मैंने जानकारी दे दी है । यदि नोटिस दिया जाये तो अन्य जानकारी भी दी जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कुछ भ्रमात्मक है अथवा बहुत स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य ने 1958 के आधार वर्ष से आगे की जानकारी मांगी है । मंत्री महोदय यह जानकारी बाद में दे सकते हैं ।

श्री ए० सी० जार्ज : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने मेरे प्रश्न को टाल दिया है । मैंने वर्ष 1971-72 में 7 लाख तथा 1972-73 में 16 लाख के विशेष आंकड़े दिये हैं । वह कोका कोला के पक्ष का समर्थन करते हैं । इसे छुपाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह निष्कर्ष अवांछित है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यद्यपि दुगना करने के विचार के लिए किसी विशेष वर्ष का संदर्भ नहीं दिया गया है, फिर भी यह स्पष्ट है कि कोका कोला कारपोरेशन को ए० यू० लाईसेंस देने के मामले में बहुत वृद्धि की गई है । क्या सरकार का विचार इसमें भारत का भाग नियत करने का है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह गैर प्राथमिकता क्षेत्र है ।

श्री ए० सी० जार्ज : जहां तक बालचन्द्र समिति की सिफारिश का सम्बन्ध है, हमने इस समस्या पर विचार किया है । कोका कोला निर्यात निगम भारतीय वार्टलिंग प्लांट्स को कंसेन्ट्रेट्स की सप्लाई करता है और उसमें स्वामित्व की बात है । परन्तु हम स्थानीय वार्टलिंग प्लांट्स से और अधिक आयात करने के लिए कह रहे हैं जिससे विदेशी स्वामित्व की वस्तुओं की कमी को दूसरी वस्तुओं से पूरा किया जा सके । जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है कि वस्तु स्वामित्व वाली बात कम्पनी के व्यापार का रहस्य है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रश्न कम्पनी में भारतीय भाग के बारे में पूछा गया है ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें बाहर निकल जाने दीजिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह तो ठीक है । परन्तु भारतीय भाग के बारे में क्या विचार है ।

श्री ए० सी० जार्ज : यह एक सुझाव है । मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्लांट्स पूर्णतया भारतीय स्वामित्व के अन्तर्गत आते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री ए० सी० जार्ज : मुझे उत्तर पूरा करने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को आप लोग नियमित चर्चा में सदा के लिए हल करलें । आप हर बार किसी न किसी रूप में वही प्रश्न पूछते हैं और बहुत समय लगाते हैं । ऐसे प्रश्नों के मामले में मैं अपने मित्रों को यह परामर्श देता हूं कि कभी कभी....

एक माननीय सदस्य : वे गलती पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य सही दिशा से है । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि वे गलत हैं या सही । मुझे आशा है आप इसे अन्य प्रकार न समझेंगे । परन्तु मेरे विचार से ऐसे प्रश्नों के मामले में विभाग को वह जानकारी नहीं देनी चाहिए जो आपके लिए कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दे । विभाग को थोड़ी बहुत जानकारी देकर दायित्व से मुक्त नहीं हो जाना चाहिए जिससे कि मंत्री महोदय को बाद में प्रत्येक बात के लिए सफाई पेश करनी पड़े । जब क्षमता को दुगना करने की बात है तो यह जानकारी आवश्यक हो जाती है कि कब से ऐसा किया गया । मंत्री महोदय अपने विभाग से कहें कि वे ऐसा न करें ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । हम पूरी तरह तैयार हैं । यदि आप सदन में इसके लिए पूरी चर्चा की अनुमति देते हैं तो हम इस सम्बन्ध में वह सभी जानकारी दे सकेंगे जो हमारे मंत्रालय के पास उपलब्ध है तथा इससे सम्बद्ध अन्य मंत्रालयों के पास उपलब्ध है । हम कोई तथ्य छुपायेंगे नहीं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे प्रश्न के उत्तर का क्या हुआ ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि हमने कुछ छुपाया नहीं है। हमें प्रत्येक जानकारी देने में प्रसन्नता होगी। इस विषय पर पूरी चर्चा होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र जी आपका प्रश्न मंत्री महोदय से बड़ा है। अगला प्रश्न।

नैरोबी में इन्टरनैशनल मानीटरी फण्ड का सम्मेलन

***484. श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर 1973 में नैरोबी में हुए "फण्ड-बैंक' के सम्मेलन में विशेष धन निकासी अधिकरण (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) की सहायता से सम्बन्ध करने के बारे में उठाये गये मामलों को हल करने में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सितम्बर, 1973 में नैरोबी में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की वार्षिक बैठक के बाद "बीस की समिति" की जिसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार से है, कोई बैठक नहीं हुई है। इसलिए विशेष आहरण अधिकारों तथा विकास वित्त के बीच सम्पर्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर आगे कोई प्रगति नहीं हुई। सम्पर्क स्थापित करने के प्रस्ताव को सभी विकासशील देशों का सर्वसम्मत तथा विकसित देशों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ है। और तकनीकी दृष्टि से इसे सुदृढ़ और व्यवहार्य पाया गया है। अतः प्रस्ताव अब इस स्थिति में है कि उस पर राजनीतिक निर्णय लिया जाए। "बीस की समिति" तथा उनके डिप्टियों की होने वाली बैठकों में, भारत विकासशील देशों की एकता को बनाए रखने का प्रयास करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार के अत्यावश्यक अंग के रूप में सम्पर्क के प्रस्ताव का स्वीकृत प्रदान कराने के अपने प्रयासों को जोरदार ढंग से आगे बढाएगा।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष आहरण अधिकारों की सहायता के साथ सम्पर्क स्थापित करने के मामले में 10 विकसित देशों ने क्या दृष्टिकोण अपनाया और क्या सरकार आरक्षित निधि के बारे में विचार कर रही है जो लगभग 300 करोड़ के पूर्व योरोप देशों के पास जमा हैं और जिससे हम उपकरण और मशीनें जैसे पूंजीगत वस्तुयें ही खरीद सकते हैं उपभोक्ता वस्युयें नहीं।

श्री के० आर गणेश : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है जो 10 विकसित देशों के दृष्टिकोण से सम्बन्धित है, अमरीका और जर्मनी जैसें कुछ देशों के अतिरिक्त अन्य विकसित देशों ने हमारा समर्थन किया है।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूर्व-योरोपीय देशों के पास हमारी आरक्षित निधि के विषय में पूछा है। इस सम्बन्ध में इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह प्रश्न विशेष आहरण अधिकारों के सम्बन्ध में है।

श्री डी० डी० देसाई : क्या यह सच है कि विशेष आहरण अधिकारों की सहायता से सम्पर्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है और शीघ्र ही कुछ न कुछ सामने आने वाला है ? ऐसा कब तक होगा ? क्या मंत्री महोदय इस समय, हमको, संसद को यह बता सकते हैं।

श्री के० आर० गणेश : इस प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की नैरोबी में हुई वार्षिक बैठक में विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि 20 देशों की समिति तथा उनके डिप्टियों की होने वाली बैठक में इसके विभिन्न पहलुओं को अन्तिम रूप दिया जायेगा। 20 देशों की समिति तथा उनके डिप्टियों की बैठक अभी तक नहीं हुई है और जनवरी, 1974 में बैठक होने की संभावना हैं इस के पश्चात् ही प्रक्रिया आरम्भ होगी।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि भारत जैसे विकासशील देशों के हितों की अवहेलना करते हुए भविष्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली बनाने के सम्बन्ध में ब्रिटेन, जर्मनी, जापान तथा फ्रांस के वित्तमंत्रियों की पेरिस में बैठक हुई थी और यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नैरोबी में हुई विगत बैठक के बारे पूछा गया है।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मंत्री महोदय द्वारा दिये गये लिखित उत्तर को देखें, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार का संदर्भ दिया है, वे देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधारों की अवहेलना कर रहे हैं अतः प्रश्न संगत है। इसमें असंगति क्या है? यदि आप इसे असंगत कहते हैं तो मैं अपने पक्ष पर बल नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सितम्बर, 1973 में नैरोबी में हुई बैठक के बारे में है जो विशेष आहरण अधिकारों का सहायता के साथ सम्पर्क स्थापित करने के बारे में हुई।

प्रो० मधु दंडवते : उसी में मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार तथा उसमें आने वाली कठिनाइयों का संदर्भ दिया है। इसी लिए मेरा प्रश्न संगत है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए आपका अधिकार हो जाता है कि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के बारे में प्रश्न पूछें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह सम्बद्ध नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : चूंकि कई वर्षों से विकसित और विकासशील के बीच सहायता अनुपात की तुलना में व्यापार में इस प्रकार प्रगति हो रही है जो हमारे जैसे विकासशील देश के लिए प्रतिकूल है, तो क्या इस संदर्भ में सहायता, विशेषकर जो सहायता देने का विचार है, की अपेक्षा व्यापार को विशेष आहरण अधिकारों के साथ जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा और क्या इस दिशा में देश ने कोई प्रयास किये हैं?

श्री के० आर० गणेश : इस समय भारत ने विशेष आहरण अधिकारों का विकास वित्त से सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। माननीय सदस्य ने दूसरा ही प्रश्न पूछ लिया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने व्यापार के बारे में पूछा है, क्या आप यह समझा सके हैं?

श्री के० आर० गणेश : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई भी माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ सका है।

श्री बी० वी० नायक : मैंने समझा है।

सामान्य बीमा सेवा एकीकरण समिति का चौथा अन्तरिम प्रतिवेदन

***485 श्री आर० एन० बर्मन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने सामान्य बीमा सेवा एकीकरण समिति के चौथे अन्तरिम प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारत के जीवन बीमा निगम के श्रेणी-I अधिकारियों की संस्था के महासंघ ने बताया है कि चौथी अन्तरिम रिपोर्ट उनकी मांगों को अंशतः भी पूरा नहीं करती।

श्री आर० एन० बर्मन : उनकी मांगें क्या हैं और अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अधिकारियों की मांगों में उन्होंने एक "रनिंग ग्रेड" मांगा है, महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाह मूल्य से सम्बद्ध करने तथा महंगाई का शत प्रतिशत निष्प्रभावीकरण करने और अधिक नगर भत्ता तथा कुल वार्षिक वेतन के 25 प्रतिशत बोनस की मांग की गई है। इसके विपरीत अन्तरिम प्रतिवेदन में नौवेतनमानों,

तीसरे वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता देने अर्थात् 12 माह के औसत में प्रत्येक 8 प्वाइंट की वृद्धि पर 2.5 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाए, जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर वेतनमानों का पुन: पुनरीक्षण किया जाये। 'क' वर्ग के शहरों के लिए 12.5 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये जो 460 रुपये से अधिक न हो अन्य शहरों मे यह 250 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से अन्तिम प्रतिवेदन का प्रश्न ही नहीं उठता। यही अन्तिम प्रतिवेदन है।

श्री समर मुखर्जी : क्या कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से सरकार की कोई सहमति हुई है और यदि हां, तो किन बातों पर और क्या इन्हें अधिसूचित किया जायेगा और यदि हां तो कब ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : प्रतिवेदन की अधिसूचना का प्रश्न ही नहीं उठता। यह कोई संविधिक दस्तावेज नहीं है। अन्ततः सरकार द्वारा एक योजना बनाई जायेगी जिसे बाद में, प्रतिवेदन पर विभिन्न अधिकारियों तथा सामान्य बीमा सेवा एकीकरण समिति के साथ चर्चा के पश्चात्, अधिसूचित किया जायेगा। सम्बद्ध अधिकारियों के साथ पहली बैठक हो चुकी है इस के पश्चात् और बैठकें होंगी।

श्री समर मुखर्जी : मैंने कर्मचारियों के बारे में पूछा है अधिकारियों के बारे में नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न अधिकारियों के बारे में है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह प्रश्न चौथे अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में है। सामान्य कर्मचारियों से भी इसका सम्बन्ध है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अराजपत्रित कर्मचारियों को अराजपत्रित अधिकारी ही कहा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न अधिकारियों के बारे में है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : चौथा अन्तरिम प्रतिवेदन विशेषतया अधिकारियों के बारे में है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सामान्य बीमा कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है तथा सरकार सामान्य बीमा कर्मचारी सेवाओं का एकीकरण करने की आशा करती है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, यह मूल विषय से सम्बन्ध नहीं है।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has said that officers have demanded bonus. May I know whether there is any reference to it in the interim report, if so the particulars thereof and the reaction of the Government as regards payment of bonus to the officers?

Shrimati Sushila Rohtagi : The question of bonus was not directly linked with the terms and reference of the Committee because it depends on profitability of the organization. Therefore it was not possible for the Committee to consider this question at this stage.

बाजार से नये ऋण लेने सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ करने की योजना

+

*487. श्री श्रीकिशन मोदी
श्री पी० गंगा देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार से नये ऋण लेने के कार्यक्रम आरम्भ करने की केन्द्रीय सरकार की योजना है?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितनी धनराशि का ऋण लेने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इस संदर्भ में हाल की मूल्य वृद्धि तथा इसके बजट पर प्रभाव के अनुमान को ध्यान में रखा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) बाजार से ऋण लेने के नये कार्यक्रम के बारे में एक घोषणा 6 दिसम्बर, 1973 को की गई थी और इसकी प्रतियां सभा-पटल पर भी रखी गयी थीं। 115 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बाजार ऋण 21 दिसम्बर, 1973 से लिये जाने शुरू हो जायेंगे। ये ऋण हैं; 1981 ई० का $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत, ब्याज वाला ऋण, 1987 ई० का $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण तथा 2003 ई० का $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण। सरकार को अधिसूचित रकम से ज्यादा रकम प्राप्त होने पर अधिसूचित रकम के 10 प्रतिशत भाग तक की रकम अपने पास रख लेने का पहले जैसा अधिकार है और इससे अनुमान है कि लगभग 126.50 करोड़ रुपये बतौर ऋण इकट्ठे हो जायेंगे। इससे बजट में अनुमानित 326 करोड़ रुपयों की अपेक्षा इस साल 481 करोड़ रुपये शुद्ध ऋण के रूप में मिलेंगे।

ये ऋण इसलिए लिये जा रहे हैं कि जिससे बढ़ती हुई जिम्मेवारियां पूरी की जा सकें।

(घ) हाल में कीमतों की बढ़ोतरी का सीधा असर यह हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीन बार मंजूरी देने से सरकार का इस वर्ष का वेतन बिल 90 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा। बजट में शामिल प्रोजैक्ट व योजनाओं पर इस असर का जहां तक सम्बन्ध है, इस बारे में इस के परिमाण को बताना कठिन है हालांकि इस साल के लिए संशोधित अनुमानों को तय करते समय और प्रमात्रों के साथ-साथ आवश्यक रूप से इस असर को भी ध्यान में रखा जाएगा।

Shri Sri Kishan Modi: This additional loan comes from the banks but the condition of the banks has become pitiable due to the Government going for market borrowings. I have come to know through reliable sources that the cheques of Bank of Baroda have come back and similarly the position in the Syndicate Bank it is pitiable. Is it a fact that because of this condition only the banks have become incapacitated to extend loans to the public? It would be better if the hon. Minister replies in Hindi.

श्री के० आर० गणेश : यह प्रश्न तो वस्तुतः बाजार से धन लेने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप केवल हिन्दी में ही उतर दे दें तो माननीय सदस्य उत्तर में दिये गए तथ्यों से विशेष मतलब नहीं होगा।

Shri Sri Kishan Modi : It is very much relevant. This condition has developed because of loans.

Shri K.R. Ganesh: I donot think, that market borrowings have resulted in so much pressures on the banks that their cheques are coming back.

Shri Sri Kishan Modi: Yesterday you got Rs. 1700 crore on account of PL-480 funds. Despite that what was the need for raising loans worth Rs. 115 crore? In case there is a need. then do you have any scheme to spend money in backward areas like Rajasthan?

Shri K.R. Ganesh : There was a need since the Government, commitments were rising. Rs. 90 crore were to be given as Dearness allowance and there were many other things alike. Regarding how and where to spend this money. It will be decided on the basis of national priorities.

मैंने कहा है कि पी० एल० 480 निधियों के बारे में करार कल ही हुआ था और उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई थी। इस पर विचार उस समय किया जायेगा जबकि हम बजट में व्यवस्था करेंगे।

3/L.S./74—4

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बाजार से ऋण लेने में लक्ष्य निर्धारित करते समय क्या सरकार यह ध्यान रखती है कि कुल सार्वजनिक ऋण का राष्ट्रीय श्राय के साथ कोई श्रनुपात भी होता है ? दूसरे, सरकार द्वारा ऋण लेने के संदर्भ में बैंकों से किस श्रनुपात में ऋण लिया जाता है ?

श्री के० श्रार० गणेश : मेरे पास इस तरह के श्रांकड़े नहीं हैं कि इस संदर्भ में बैंक की होल्डिंग तथा जमा राशियों की कितनी प्रतिशतता निहित है । मैं यह सूचना प्राप्त करके सभा को बता दूंगा । जहां तक कुल सार्वजनिक ऋणों का सम्बन्ध है, इसकी मात्रा निश्चित करते समय सभी प्रकार पहलुश्रों पर पूरी तरह विचार किया जाता है ।

श्री पी० वैंकटासुब्बैया : बाजार से ऋण प्राप्त करते समय क्या सरकार ने मुद्रा सफीति की वृत्ति को रोकने पर भी नजर रखी है जोकि परोक्ष रूप से मूल्यों में वृद्धि तथा हमारी श्रर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव डालने वाले प्रमुख कारणों में से एक है ।

श्री के० श्रार० गणेश : सार्वजनिक ऋण प्राप्त करना ही मुद्रा सफीति को रोकने का एक उपाय है । क्योंकि इस श्रर्थव्यवस्था का खोखलापन तथा श्रतिरिक्त धन घट जाता हैं ।

डेनमार्क से वित्तीय सहायता

***488. श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डैनमार्क ने 36 करोड़ रुपये की योजनागत सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया गया; श्रौर

(ग) इस सहायता की श्रगर कोई शर्तें हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० श्रार० गणेश): (क) जी, हां । डेनमार्क की सरकार ने पांचवी श्रायोजना की श्रवधि श्रर्थात 1974-75 से 1978-79 तक के वर्षों के लिए 25 करोड़ डेनिश क्रोनर (लगभग 34.25 करोड़ रुपये) तक की सहायता देने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) मुख्य क्षेत्र हैं : पशु पालन, लघु उद्योग, परिवार नियोजन तथा विज्ञान श्रौर टेकनोलाजी ।

(ग) सहायता खुले श्रनुदान के श्राधार पर प्रस्तावित की गई है श्रौर इस शर्त के श्रलावा कोई श्रौर शर्त नहीं रखी गयी है, कि इस सहायता का इस्तेमाल श्रापस में तय की गई परियोजनाश्रों श्रौर योजनाश्रों के लिए किया जायेगा ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार कर ली है कि इस श्रनुदान को कैसे, किन राज्यों में तथा प्रत्येक राज्य में कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

श्री के० श्रार० गणेश : डेनिश श्रनुदान के सम्बन्ध में पहले ही से कुछ परियोजनायें चल रही हैं । जहां नई परियोजनाश्रों को श्रारंभ करने का प्रश्न है वर्तमान स्थिति को तथा चल रही चर्चा के श्रनुसार इन परियोजनाश्रों को पारस्परिक रूप से स्वीकृत श्राधार पर ही क्रियान्वित किया जायेगा ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार इस 34 करोड़ रुपये के श्रनुदान को पहले से स्वीकृत योजना पर लगाया जायेगा ताकि क्या सरकार को श्रौर श्रतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की श्रनुमति मिली है तो, इस दृष्टि से, धन खर्च करने के लिए सरकार कुछ श्रन्य श्रनुपूरक योजनायें भी तैयार करेगी ?

श्री के० श्रार० गणेश : क्योंकि यह श्रनुदान पंचवर्षीय योजना के सम्पूर्ण श्रवधि के लिए मिली है, श्रत: योजना श्रायोग के साथ विचार-विमर्श करके उन्हें उन योजना के लिए नियत किया जायेगा जो कि सरकार ने पहले से तैयार कर रखी है तथा जिन पर डेनिश सरकार के साथ परस्पर सहमति हुई है ।

Shri Achal Singh: How much money would be spent on animal husbandry and in what manner would that be utilised?

श्री के० आर गणेश : मैं तो यही कह सकता हूं कि डेनिश ऋण को पशु-पालन, कृषि-उद्योगों तथा लघु-उद्योगों पर खर्च किया जायेगा और इसका बहुत बड़ा भाग—मुझे पूरे आंकड़े नहीं मालूम—पशु-पालन पर खर्च किया जायेगा क्योंकि अनुदान देने वाले देश ने ही स्वयं इस विषय में खर्च करने की अपनी इच्छा प्रकट की है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has stated that Rs. 25 crore will be available from Denmark and it would be spent on animal husbandry. Small scale industries etc. I would like to know whether the Government have formulated such schemes through which the backward areas would be benefitted more?

श्री के० आर० गणेश : योजना में पिछड़े वर्गों के लिए स्वास्थ्य संबन्धी योजनायें शामिल हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में बड़ी महत्वपूर्ण नीति बनाई है। ऐसी परियोजनायें रखी गई हैं। नई परियोजनाएं बनाते समय क्या उन पर संयुक्त रूप से विचार करते समय इस पहलू पर ध्यान दिया जायेगा।

छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की तीसरी शताब्दी का समारोह

***489 श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के तीसरी शताब्दी समारोह में सहयोग किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) जहां तक केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र सरकार से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकर राव सावंत : इस विचार से कि रामगढ़ तथा पचाड, जहां अगले वर्ष तीसरी शताब्दी समारोह आयोजित किये जायेंगे, अच्छे पर्यटन केन्द्र हैं, क्या पर्यटन मंत्रालय इन समारोहों में तथा इन केन्द्रो के और आगे विकास में कार्य होगा ?

डा० सरोजिनी महिषी : मैं यहां सभा में कई बार कह चुकी हूं कि पर्यटन विषय राज्य का विषय है, वह राज्य सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है और भारत सरकार तथा यहां के पर्यटन विभाग से संभव हो सकेगा उसे भी वह सहकारित के आधार पर किया जायेगा।

श्री शंकर राव सावंत : इस विशिष्ट मामले में पर्यटन मंत्रालय विशिष्ट रूप से क्या करने का विचार रखता हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य ने 27 अगस्त को इस मंत्रालय को पत्र लिखा था और उसका उत्तर दिया जा चुका है। अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में हमारे मंत्रालय से संपर्क करेगी। परन्तु हमें वहां से कोई पत्र नहीं मिला है। यदि हम से संपर्क किया जाता है तो हम प्रभार तथा अन्य बातों के संबन्ध अपना यथासंभव पूरा सहयोग देंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस तथ्य के अतिरिक्त कि महान शिवाजी का नाम ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्व पूर्ण रहा है क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र में शिवाजी के नाम से संबद्ध अनेक ऐसे स्थान हैं जो कि वस्तुतः प्राकृतिक दृश्यों तथा सौंदर्य से भरपूर हैं ? तो क्या सरकार इन स्थानों को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए और विकसित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुख्य प्रश्न पढ़िये और फिर अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये। मूझे खेद है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह पर्यटन मंत्रालत से सम्बंधित है············

अध्यक्ष महोदय इसका यह अर्थ नहीं कि आप इस प्रश्न के अधीन कोई भी प्रश्न पूछ डालें। अगला प्रश्न !

फ्रेंच मोटर कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

***499. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में फ्रेंच मोटर कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कितने कर्मचारियों को करों का भुगतान अदा किये बिना आय-कर अदायगी प्रमाण-पत्र दिये गए ;

(ख) क्या उनमें से केवल एक के मामले में करों की बकाया राशि 9,84,555 रुपये थी ;

(ग) इस कर को वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सम्बद्ध आयकर अधिकारी ने कुछ कारणों से अवैध रूप से अदायगी प्रमाण-पत्र जारी कर दिया ;

(ङ) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) यदि नहीं, तो करदाता के लिए आयकर तथा अन्य करों का भुगतान किये बिना सदा के लिए देश छोड़कर जाने के लिए उपयुक्त अदायगी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना कैसे संभव था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कुछ नहीं (1-4-1971 से)

(ख) एक मामले में, जिसमें 28-3-1963 को कर-बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, इस समय देय कर तथा दंड की रकम 9,25,160 रु० है। तथापि, उक्त तारीख को कर की कोई मांग बकाया नहीं थी।

(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 226 (3) के अन्तर्गत नोटिस और अभिग्रहण आदेश जीवन बीमा निगम नियोजक कंपनी और बैंकों को जारी किए गए हैं। इनके परिणामतः 36,155 रु० वसूल हुआ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(च) अनिर्णीत पड़े सभी कर-निर्धारणों के सम्बन्ध में करों की अदायगी करने के लिए नियोजक कंपनी से एक गारंटी पत्र प्राप्त करने के बाद आयकर अधिनियम 1961 की धारा 230 के अन्तर्गत 28-3-1963 को यह कर-बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति एक युरुपीय हैं और उसका नाम मिस्टर शुब्रिज है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हालांकि मेरे अनुसार 9,84,000 रुपये तथा सरकार के अनुसार 9,25,000 रुपये उनकी तरफ बकाया थे फिर भी वह अदायगी से कैसे बचता रहा और हमेशा के लिये यह देश छोड़ने का प्रमाण-पत्र पा गया और क्या उस व्यक्ति की अनुमति पत्र देने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? दूसरे क्या यह सत्य है कि इस मामले में कुछ अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं ?

श्री के० आर० गणेश : ब्रिटिश राष्ट्र के इस व्यक्ति ने यह कह कर कि वह छुट्टियों पर जा रहा है आयकर अधिकारी से अनुमति पत्र के लिए आवेदन किया था। आयकर अधिनियम की संबंधित धारा के अनुसार अनुमति पत्र तब दिया जा सकता है जबकि संबंधित अधिकारी कुछ बातों के बारे में संतुष्ट हो जाये तथा कि उस व्यक्ति से समुचिति गारन्टी प्राप्त हो जाये। जिस समय संबंधित अधिकारी ने उसे कर संबंधी अनुमति पत्र दिया तब इस

व्यक्ति की ओर कोई राशि बकाया नहीं थी और यह प्रमाण पत्र भी उस व्यक्ति से गारंटी लेकर तथा नियोक्ता कम्पनी से कर-मुक्त होने का दायित्व लेकर ही यह अनुमति पत्र दिया गया था।

सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई जानकारी नहीं है और अनुमति पत्र देने में संबंधित अधिकारी ने अपने यथोचित कानूनी अधिकार का ही प्रयोग किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह भी सच है कि नियोक्ता कम्पनी अर्थात दी फ्रेंच मोटर कम्पनी की ओर भी कर की भारी राशि बकाया है और क्या यह भी सच है कि सरकार गारंटी देने वाले से यह बकाया राशि अब तक वसूल नहीं कर सकी है और इस संबंध में कोई प्रयास भी नहीं किये गये हैं।

श्री के० आर० गणेश : पहले प्रश्न के संबंध में मेरे पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि फ्रेंच मोटर कम्पनी की ओर कितनी राशि बकाया थी। मैं उन्हें प्राप्त करके बता दूंगा। जहां तक बकाया राशि को गारन्टी देने वाले से वसूल करने का प्रश्न है दो प्रयास किये जा रहे हैं तथा इन प्रयासों को और तेज कर दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब तक तो कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Enquiry Conducted by Income-Tax Officers in Kota

*486. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Income Tax Officers in Kota, Rajasthan have conducted an investigation against some stone contractors of that place;

(b) if so, the outcome thereof;

(c) how Income-tax was recovered on sales of concrete worth lakhs of rupees in villages; and

(d) the amount of Income-tax recovered from each contractor during 1973-74?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Income-tax Department has no specific information about sale of concrete in villages.

(d) The information will be collected and laid on the Table of the House.

नवम्बर, 1973 की हड़ताल के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को हुई हानि

*491. **श्री नारायण चन्द पाराशर**

श्री वी० मायावन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1973 की हड़ताल के परिणाम स्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को कितनी हानि हुई;

(ख) नवम्बर मास में हड़ताल के दौरान प्रत्येक दिन, प्रत्येक रूट पर कितने जन घंटों की हानि हुई, कितनी उड़ानें रद्द की गई/देरी से उड़ी; और

(ग) क्या कोई ऐसे रूट भी थे जिन पर इस अवधि में उड़ानें सामान्य रही ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइंस में 12 नवम्बर, 1973 से नयी शिफट प्रणाली चालू होने के परिणामस्वरूप, अधिकतर कर्मचारियों ने "धीरे चलो," नियमानुसार कार्य करो, समयोपरि कार्य करने से इन्कार, गैरहाजिरी आदि जैसे विभिन्न तरीके अपनाए जिनसे विमान सेवाओं में विघ्न पड़ा। 23 नवम्बर तक यह स्पष्ट हो गया कि तकनीशियनों की बढ़ती हुई अनुपस्थिति तथा इंजीनियरों के समयोपरि कार्य करने से किए गए लगातार इन्कार के कारण उपलब्ध होने वाले विमानों में उत्तरोत्तर कमी के परिणामस्वरूप कारपोरेशन सेवाओं का परिचालन सुरक्षा तथा निश्चितता के साथ नहीं कर पाएगी। अत: प्रबंधक-वर्ग को 24 नवम्बर को तालाबन्दी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

12 से 23 नवम्बर, 1973 तक की इस अवधि के दौरान सेवाओं के अस्त-व्यस्त होने के कारण हुई कारपोरेशन को हानि लगभग 21 लाख रुपए थी।

(ख) और (ग) हड़ताल के कारण नवम्बर मास के दौरान बरबाद हुए श्रमिक घंटों की संख्या लगभग 3 लाख थी।

उस महीने के दौरान 23 नवम्बर, 1973 तक देरी से की गयी उड़ानों की संख्या 627 थी जबकि रद्द की गई उड़ानों की संख्या 130 थीं। प्रत्येक दिन रद्द की गयी तथा देरी से की गई उड़ानों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है। मार्ग-वार विस्तृत विवरण तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

12-11-73 से 23-11-73 तक के दौरान देर से की गयी/रद्द की गई उड़ानें

तारीख	देर की गई उड़ानों की संख्या	रद्द की गयी उड़ानों की संख्या
नवम्बर, 1973		
12	68	2
13	65	4
14	63	10
15	73	6
16	51	9
17	44	2
18	57	13
19	38	19
20	52	11
21	43	18
22	36	21
23	37	15

अपरिष्कृत पटसन का निर्यात

*492. **श्री एम० एस० संजीवो राव**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) गत जुलाई माह में पटसन की भरपूर फसल को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पटसन के निर्यात की अनुमति देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में जूट का निर्यात करने की सम्भावना है और किन देशों को उसका निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां ।

(ख) भरपूर फसल को ध्यान में रखते हुए सरकार इस वर्ष कच्चे पटसन की कुछ मात्रा का निर्यात करने की अनुमति देने का विचार रखती है । इसकी ठीक ठीक मात्रा बाजार की दशाओं तथा सर्वोत्तम वाणिज्यक शर्तें प्राप्त हो सकने वाले गन्तव्य स्थान पर निर्भर करेगी

इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कार्यवाही

***493. श्री बनमाली पटनायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध असन्तोषजनक रहे हैं और कर्मचारियों द्वारा किसी न किसी प्रकार के आन्दोलन किये जाते रहे हैं अथवा सदैव मांगें उठाई जाती रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता को अनावश्यक परेशानी होती है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों ने कितनी बार हड़तालें कीं और कितनी उड़ानें रद्द की गई और कितनी में विलम्ब हुआ; और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यकरण और कर्मचारियों-प्रबन्धकों के सम्बन्धों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए प्रबन्धक वर्ग के अधिकतम प्रयत्नों के बावजूद, इंडियेन एयरलाइन्स में श्रम स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही है और धीरे चलो, नियमानुसार कार्य करो आदि, बहुत से आन्दोलन एवं हड़तालें हुई हैं जिनके परिणामस्वरुप सामान्यतया सेवाओं में विघ्न पड़ा है और यात्री जनता को असुविधा हुई है ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा है ।

(ग) इंडियन एयरलाइंस के प्रबन्धक वर्ग ने अप-व्ययी क्रियाकलापों को दूर करने तथा अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं । इनमें शिफ्ट प्रणाली, समयोपरि भत्ते, स्थानान्तरण नीति, इकतरफा कमान, रात्रि-कालीन स्टाप, उड़ान कार्मिकों के उपयोग आदि से सम्बन्धित माभले सम्मिलित हैं ।

विवरण

वर्ष 1971-73 के दौरान कर्मचारियों द्वारा की गई हड़तालें

(30-9-73 तक)

वर्ष	24 घंटे से कम	24 घंटे से अधिक	कुल
1971	9	4	13
1972	17	1	18
1973 (30-9-73 तक)	3	1	4

इनके अलावा धीरे चलो, नियमानुसार कार्य करो तथा अन्य आन्दोलनायक कार्यवाहियों के कारण सेवाओं में अनेक विघ्न पड़े हैं तथा वे अस्त-व्यस्त हुई हैं।

पिछले तीन वर्षों में रद्द की गयी तथा देरी से की गयी उड़ानों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी बैंकों में भूतपूर्व शासकों की जमा धनराशि

***494. श्री सी० जनार्दनन:** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी बैंकों में भारतीय रियासतों के प्रत्येक भूतपूर्व शासक की जमा धन राशि का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये निदेश के अनुसार 25 भूतपूर्व शासकों ने विदेशों में जमा अपनी-अपनी रकम घोषित कर दी है। यह रकम कुल 92,71,615.00 रुपए है। उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया है कि उनके अधिकार और दायित्व अन्य नागरिकों के समान हैं। 'प्री जीरो' यानी 8 जुलाई 1947 से पहले जमा रकम के बारे में दिये गए संरक्षण को वापस ले लिया गया है। जिनका खाता खुला हुआ है उनसे कहा गया है कि उन्हें अपने-अपने खातों में जमा 500 पौण्ड से अधिक रकम को स्वदेश वापस लौटाना है। भूतपूर्व शासकों सहित ऐसे सभी लोगों से जिनके खाते खुले हुए हैं उनसे रिजर्व बैंक ऐसा ही करने का बराबर आग्रह कर रहा है। जो सूचित अवधि के अन्दर-अन्दर बैंक के निदेश का पालन नहीं करते हैं कानून के अधीन उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जो सूचित अवधि के अन्दर-अन्दर बैंक के निदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानून के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

बुल्गेरियाई प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत की यात्रा

***495. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक बुल्गेरियाई प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) बुल्गेरिया के साथ व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग) वर्ष 1974 के लिए भारत के साथ व्यापार, संलेख पर बातचीत करने के लिए बल्गारिया का एक प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर 1973 के दूसरे सप्ताह में भारत आया। व्यापार वार्ताओं की समाप्ति पर एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किये गए जिसमें 1974 के दौरान दोनों देशों के बीच 7400 लाख रुपए के कुल व्यापार की व्यवस्था की गई है। व्यापार संलेख में बल्गारिया को भारत से पटसन निर्मित वस्तुएं तेलरहित खली, लोह अयस्क, चाय, काफी आदि जैसी अनेक परम्परागत वस्तुओं के निर्यातों के अलावा अनेक इंजीनियर तथा गैर परम्परागत वस्तुएं जिनमें चमड़े के जूते तथा चमड़े का सामान, एल्यूमीनियम केबल्स, स्टील रोप्स, रासायनिक पदार्थ औषधि तथा भेवज, खेलकूद का सामान आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं।

1974 के दौरान बल्गारिया से भारत को आयतों की मुख्य वस्तुएं ये होंगी : उर्वरक, बेल्लित इस्पात तथा इस्पाती उत्पाद, कार्बनिक तथा गैर कार्बनिक रासायनिक पदार्थ, औषधियां तथा कतिपय इंजीनियर माल।

इस समय भारत का बल्गारिया से अनुकूल व्यापार संतुलन है। वर्ष 1972 तथा वर्ष 1973 (अगस्त के अंत तक) के लिए आयातों तथा निर्यातों के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :

1972	निर्यात	1929.2 लाख	रु०
	आयात	1827.3	,,	,,
1973	निर्यात	1822.5	,,	,,
(अगस्त तक)	आयात	1102.5	,,	,,

नई दिल्ली के अशोक होटल में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम

***496. श्री पी०जी मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटकों के मनोरंजन के लिए अशोक होटल, नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कला और नृत्य के लगातार ऐसे भद्दे और अप्रासंगिक प्रदर्शन के विरूद्ध अत्यधिक विरोध को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस बारे में सारी नीति पर सरकार ने पुनर्विचार किया है ?

पर्यटक और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) शास्त्रीय नृत्य के विकृत रूप तथा शैली के विरुद्ध कुछ आक्षेप प्राप्त हुए हैं। समस्त नीति की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जा रही है।

वर्ष 1973 में पूर्व चम्पारन, दरभंगा, पूर्णिया और साहरसा में जूट मिलों की स्थापना करना

***497 श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1973 में पूर्व चम्पारन, दरभंगा, पूर्णिया और सहरसा में जूट मिलें स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मिलों को निजी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) इन मिलों में किस तरह की जूट की वस्तुएं बनाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री : (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में एक जूट मिल स्थापित करने की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है।

(ख) मिल की स्थापना बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा की जायेगी।

(ग) इस मिल में सीमेंट की बोरियां, जूट की रस्सियां और टाट की बोरियां बनाने का विचार है।

इलायची बोर्ड द्वारा श्रमिक कल्याण योजनाएं बनाना

***499 श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलायची बोर्ड द्वारा कुछ श्रमिक कल्याण योजनाएं बनाई गई थीं, और सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो योजना की स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अपने मूल निश्चय पर पुनर्विचार करने का है ?

3/L. S. /74—5

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) इलायची बोर्ड द्वारा बनाई गई श्रमिक कल्याण योजनाओं को सरकार ने स्वीकृति दे दी है तथा उनकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(i) इलायची बागान कर्मचारियों के लाभ के लिए मेडिकल संस्थाओं को पूंजी अनुदान देना।

(ii) इलायची बागानों के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा-वृत्ति देना।

(ग) तथा (घ): प्रश्न नहीं उठते।

इंडिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड

***500. श्री राजदेव सिंह : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया टोबैको कम्पनी ने 490 लाख रुपए की उस राशि का भुगतान कर दिया है जो उसने 31 मार्च, 1973 को अपने तुलन-पत्र में "साख और व्यापार चिन्ह" (गुड विल एण्ड ट्रेड मार्क) शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई थी;

(ख) यदि हां, तो यह राशि किसने किसको और कब दी;

(ग) क्या इम्पीरियल टोबैको कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड ने टोबैको मैनुफैक्चरर्स (इंडिया) लिमिटेड को अपने अधिकार में 31 मार्च, 1953 को लिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी करार क्या है और इम्पीरियल टोबैको (अब इंडिया टोबैको) द्वारा किये गए भुगतान का ब्यौरा क्या है और भुगतान किन परिसम्पत्तियों के लिए किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 31 मार्च 1973 को इण्डिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड के तुलनपत्र में साख और व्यापार चिन्ह रूप में दिखायी गयी 490 लाख रुपए की राशि में से 329 लाख रुपये की निवेशित राशि, 1927 मे ब्रिटेन की एक कम्पनी को अन्तरित की गयी थी और 86 लाख रुपए की रकम इम्पीरियल टोबैको कम्पनी (जो अब इंडिया टोबैको कम्पनी कहलाती है) द्वारा 1943 में ब्रिटेन की पांच कम्पनियों को नकद अदा की गयी थी।

(ग) और (घ): इम्पीरियल टोबैको कम्पनी द्वारा टोबैको मैन्युफैक्चरर्स (इंडिया) लिमिटेड की जो परिसम्पति तथा दायित्व हाथ में लिए गए थे और उनके सम्बन्ध में जो अदायगियां की गयी थीं उनका ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसका पता लगाया जा रहा है।

पायलट प्रशिक्षण पाने के लिए ऋण छात्रवृति कार्यक्रम

***501. कुमारी कमला कुमारी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु कोई ऋण छात्रवृत्ति कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) भारत सरकार का विमान चालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए ऋण अथवा छात्रवृत्ति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, व्यक्तिगत रूप सेस प्रशिक्षणार्थी फ्लाइंग क्लबों में उपदान-प्राप्त उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं जोकि निजी विमानचालक लाइसेंस स्तर तक (अर्थात् 60 घंटे तक) सीमित है।

मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी

***502 श्री एम० सुदर्शनम**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अयस्क के मैंगनीज़ की मात्रा के सन्दर्भ में मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात पर प्रतिबन्ध लागू करने का विनिश्चय किया गया है जो कि 1-4-1973 से प्रभावी होगा निम्नस्तर ग्रेडों की अपेक्षा उच्चतर ग्रेडों वाले अयस्क अधिक प्रतिबन्धित होंगे। निर्यातों पर और आगे प्रतिबन्ध लगाने की कोई प्रस्थापना इस समय विचाराधीन नहीं है।

Unearthing of Narcotics Smuggling Racket in Delhi

4708. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of hashish, opium and liquor smuggling rackets unearthed by the Delhi Police during the last three months;

(b) the value of gocds seized;

(c) the action taken against the racketeers apprehended; and

(d) the number of those who have been acquitted by Courts?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Smuggling of Gold into India

4709. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether smuggling of gold is likely to increase on a large scale in India due to resumption of sale of gold in open markets in West Asia;

(b) if so, whether Government have taken some steps to check it; and

(c) if so, a gist thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) After the termination of the agreement that the Central Banks of USA and six European countries will not sell gold at a price above the international monetary rate, the price of gold in foreign countries had fallen and stayed lower for about a fortnight. But from 28th November it again jumped up and, in fact, ruled at a price higher than that prevailing before the termination of the agreement. There has, therefore, been no effect on the smuggling of gold. It is not practicable to predict future trend of gold prices and their consequential effect on gold smuggling.

(b) and (c): The following steps have, however, been taken to prevent smuggling of gold in to the country:—

Systematic collection and follow up of information, keeping a watchful eye on the suspected vessels or aircrafts, and checking of vulnerable sectors along the coast and the land frontiers. Additional launches and vehicles are being provided from time to time for effective interception, prevention etc. Some senior officers of the rank of Collectors of Customs, Additional Collectors of Customs, Assistant Collectors of Customs have been posted in vulnerable areas to look after antismuggling work exclusively. Recently, the Customs Act, 1962 has been further amended to provide more severe punishments for smuggling offences and to plug loopholes. In 1963, the Gold Control Act was introduced with a view *inter alia* to supplementing the anti-smuggling efforts with a detailed system of control over internal transactions in gold so as to make the circulation of smuggled gold more difficult. From 1.9.73 the Gold (Control) Act has been amended to provide deterrent punishment for certain offences. The position is kept under constant review.

ग्वालियर के सिन्धिया की धन सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण

4710 श्री अम्बेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, ग्वालियर के भूत पूर्व शासक, सिन्धिया की अचल सम्पत्ति, बैंक राशि तथा अन्य सम्पत्ति का मूल्य क्या है जिस पर कर निर्धारण किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : श्री माधव राव सिंधिया के व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में, पिछले तीन कर-निर्धारण वर्षों, अर्थात् 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के लिए धनकर-

निर्धारण, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ग्वालियर के भूतपूर्व शासक, श्री माधवराव सिन्धिया ने दोनों तरह से, व्यक्ति की हैसियत से तथा ग्वालियर के स्वर्गीय श्री जे० एम० सिन्धिया द्वारा छोड़ी गई हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पदा के कर्त्ता की हैसियत से भी तीन कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1972-73 के लिए धन-कर विवरणियां दाखिल कर दी हैं। दाखिल की गई विवरणियों में दिये गए आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

क्र० सं०	सम्पति का विवरण	कर-निर्धारण वर्ष		
		1970-71	1971-72	1972-73
		रु०	रु०	रु०
1.	शुद्ध धन में शामिल भू-सम्पत्ति का मूल्य	—	—	—
2.	शुद्ध धन में शामिल बैंक जमा	43.534	43,82,141	8,41,207
3.	शुद्ध धन में शामिल की गई अन्य सम्पत्ति का मूल्य	19,94,766	16,11,282	59,33,091
	(भारत से बाहर का धन)	1,80,154	4,11,994	2,39,856
	कुल योग:	22,18,454	64,05,417	70,14,154
	घटाइए:—देनदारियां (—)	11,40,039	39,95,287	50,35,058
	शुद्ध धन	10,78,415	24,10,130	19,79,096

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता

		1970-71	1971-72	1972-73
1.	"शुद्ध धन" में शामिल भू-सम्पत्ति का मूल्य	23,78,077	23,78,077	3,67,827
2.	"शुद्ध धन" में शामिल बैंक जमा	1,54,285	2,14,369	4,52,644
3.	शुद्ध धन में शामिल अन्य सम्पत्ति का मूल्य	74,79,041	69,11,391	120,75,434
	(भारत से बाहर का धन)	47,35,580	44,58,814	53,00,252
	कुल योग:	147,46,983	139,62,651	181,96,157
	घटाइए: देनदारियां (—)	32,34,288	43,53,891	69,42,979
	शुद्ध धन	115,12,695	96,08,760	112,53,178

सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा लघु उद्योगों के लिए दिये गये ऋणों का जाली होना तथा मारा जाना

4711. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में लघ उद्योग के लिए दिये गए ऋणों में जाली और मारी गयी धनराशि कुल ऋणों/की राशि की 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गयी है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और

(ग) कृषि के लिए कितने प्रतिशत ऋण दिये गए थे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से पता लगा लिया गया है कि लघु उद्योगों को दिये गए कुल ऋणों की बकाया रकम 1972 के अन्त में 45.12 करोड़ रुपए थी जो इस बैंक के द्वारा दिये गए कुल 1470.32 करोड़ रुपए के ऋणों की 9.5 प्रतिशत बैठती है। बैंक इनमें से अधिकांश ऋणों को वसूली योग्य मानता है और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए जहां आवश्यक समझा गया है बैंक ने अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की सलाह और उनके सन्तोष के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। लेकिन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अन्तर्गत और बैंकिंग समवाय (प्रतिष्ठानों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 के साथ पठित इसके अन्तर्गत निर्धारित तलपट और लाभ-हानि लेखे के फार्म के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए की गयी व्यवस्था प्रकट नहीं की जा सकती।

(ग) बैंक द्वारा कृषि की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिये गए कुल ऋणों की बकाया रकम सितम्बर, 1973 के अन्त में 63.41 करोड़ रुपए थी जो कुल ऋणों और अग्रिमों की 11.6 प्रतिशत बैठती है।

प्रत्यक्ष करों में कमी करने की मांग और वित्तीय प्रोत्साहनों में वृद्धि

4712. श्री मधु दण्डवते : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के प्रैसीडेंट ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि प्रत्यक्ष करों में कमी की जानी चाहिए और कम्पनियों को अधिक वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) जी नही। सरकार को ऐसे किसी सुझाव की औपचारिक रूप से सूचना नहीं मिली है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

विभिन्न राज्यों को सूत की सप्लाई के लिये मासिक कोटा

4713. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या वाणिज्य मन्त्री यहब ताने की कृपा करेंगे कि गत दस महीनों में राज्यों को सूत की सप्लाई का मासिक कोटा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : धागा नियंत्रण योजना केवल 13 मार्च, 1973 से ही आरम्भ की गई थी। मार्च 1973 के शेष भाग के लिए राज्यों को सूत के आवंटन तदर्थ आधार पर किये गए थे। आगे आवंटन तिमाही किये गए थे। मार्च, अप्रैल, जून तथा जुलाई—सितम्बर 1973 तिमाहियों के दौरान धागे के आवंटन दर्शाने वाले तीन विवरण संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6005/73]** सितम्बर, 1973 के बाद कोई आवंटन नहीं किया गया।

Raid by Officers of Excise Department of the Residence of Chief Cashier, State Bank of India Vijyanagarm

4714. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether officers of the Excise Department had carried out a raid on the residence of the Chief Cashier of the State Bank of India, Vijyanagaram and recovered gold and cash in huge quantity in September, 1973;

(b) the value and details of the articles so recovered; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) to (c): On a search of the family residence of Shri K.Hanumantha Rao, Chief Cashier of the Vijyanagaram branch of the State Bank of India and his brothers by the Central Excise Officers on the 13th and 14th September 1973, primary gold weighing 276 grammes and gold ornaments weighing 9284 grammes valued in all at about Rs. 2.60 lakhs were seized for contravention of the Gold (Control) Act. The Income-tax officers also recovered Rs. 37,500 in cash and some papers. The Special Police Establishment, Hyderabad have registered a case against Shri Hanumantha Rao. The cases are under investigation.

सरकारी उपक्रमों का कार्य निष्पादन

4715. श्री विश्वनाथ झुझुनवाला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी उपक्रम लाभ पर चल रहे हैं और वे अपने सौदे से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितना लाभ अर्जित किया तथा यह लाभ कितनी अवधि के लिए है; और

(ग) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों अथवा गत वर्ष उत्पादन स्थिर रहा और उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें उत्पादन में कमी हुई जिससे वे उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और ऐसे उपक्रमों को प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : निम्नलिखित उद्यमों को जिन्हें 1971-72 और 1970-71 में हानि हुई थी उन्हें 1972-73 में निम्नलिखित लाभ हुआ:—

(करोड़ रुपयों में)

	शुद्ध लाभ	शुद्ध हानि	
	1972-73 (अनन्तिम)	1971-72	1970-71
हिन्दुस्तान जिंक	0.47	0.29	1.18
माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	0.41	3.58	6.45
हिन्दुस्तान केबल्स	0.33	0.74	0.01
राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	0.07	1.25	1.26
एयर इण्डिया चार्टर्स	0.36	0.49	—
भारतीय बिजली परियोजना संघ	0.01	0.04	0.05
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	0.02	0.09	0.03

(ग) उन मुख्य उद्योमों के नाम, जहां पिछले तीन वर्षों में उत्पादन स्थिर रहा उत्पादन में कमी हुई और उन द्वारा उठाई गयी हानि इस प्रकार थी:—

(करोड़ रुपयों में)

कम्पनी का नाम	शुद्ध हानि		
	1972-73 (अनन्तिम)	1971-72	1970-71
7(1)	2	3	4
नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन	9.95	13.31	11.06
प्राग्रा टूल्स लि०	1.09	1.26	30
पायराइट्स फास्फेट्स ऐण्ड केमिकल्स लि०	0.40	0.42	0.16
सिन्दरी फर्टिलाइजर्स	4.55	3.47	1.58
हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि०	2.60	2.72	2.89
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावंकोर लि०	2.61	2.77	2.11
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	1.12	3.22	2.62

स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर द्वारा अपने नियंत्रण में लिए गए बैंक

4716. श्री क्यालार रवि : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर ने वर्ष 1960 में किन किन बैंकों को अपने नियंत्रण में लिया;

(ख) क्या इन बैंकों के अंशधारियों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों के अंशधारियों को बैंकवार दिये गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ट्रावनकोर फारवर्ड बैंक लि०, कोट्टायम ओरिएन्ट बैंक लि० और बैंक आफ न्यू इंडिया लि० का, जिनका वर्ष 1960 के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के अन्तर्गत अधिस्थगन कर दिया गया था, वर्ष 1961 में स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर में विलय कर दिया गया था।

(ख) और (ग): चूंकि ट्रावनकोर फारवर्ड बैंक लि०की देनदारियों की रकम अन्तिम मूल्यांकन के समय उसकी परिसम्पत्तियों की रकम से अधिक थी, इसलिए शेयरधारी किसी क्षतिपूर्ति (मुआवजे) के हकदार नहीं थे। जहां तक कोट्टायाम ओरिएन्ट बैंक लि० और बैंक आफ न्यू इंडिया का सम्बन्ध है, उनकी परिसम्पत्तियों और देनदारियों का अन्तिम मूल्यांकन और उसके परिणामस्वरूप शेयर धारियों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न, यदि पैदा हो तो वे सभी बातें भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं।

छोटे सिक्कों और नोटों की कमी

4717. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेष राजधानी में, छोटे सिक्कों और नोटों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) देश में छोटे सिक्कों की कोई कमी नहीं है। देश के कुछ भागों में कम मूल्य के नोटों के न मिलने के बारे में कुछ शिकायतें आई हैं। किन्तु दिल्ली में छोटे सिक्कों तथा छोटे नोटों की कमी नहीं है।

(ख) कुछ केन्द्रों में छोटे नोटों के न मिलने का कारण यह है कि करेंसी नोट प्रेस नासिक की छपाई की क्षमता पहले से ही सीमित होने से वह रिजर्व बैंक की छोटे नोटों की सारी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। यह असमर्थता होशंगाबाद स्थित प्रतिभूति कागज कारखाने में हाल ही में श्रमिक अशांति होने के कारण अंशतः कुछ और बढ़ गई थी।

(ग) नए नोटों तथा फिर से जारी किये जा सकने वाले नोटों के स्टाक के अनुरूप जितने छोटे नोट उपलब्ध होते हैं, बैंक उतने तक छोटे नोटों की मांग को पूरा करने के लिए व्यवस्था करता रहा है। हाल में होशंगाबाद के प्रतिभूति कागज कारखाने में सामान्य स्थिति पैदा हो जाने तथा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के लिए आवश्यक कागज की पूर्ति पहले से अधिक हो जाने के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि नासिक मुद्रणालय में छपाई की स्थिति फिर से सामान्य हो जायेगी और स्थिति में सुधार होगा। मुद्रणालय में करेंसी नोट तैयार करने की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित आवश्यक उपकरणों के साथ साथ और व्यक्तियों को काम पर लगाकर कार्य के अतिरिक्त स्थानों का निर्माण करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

Request from Delhi Administration to make Delhi a dry port

4718. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Delhi Administration has stressed that dry port must be set up in Delhi;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) Yes, Sir.

(b) The scheme envisages establishment of port facilities at Delhi so that importers and exporters can complete all formalities and documentation connected with shipment at Delhi.

The cargos will be moved from Delhi to the sea ports by rail in bond.

(c) The proposal regarding Dry Port is under active consideration of Government.

छोटे वाहन मालिकों को राहत देने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही

4719. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कूटर और मोटर साइकिल मालिकों को टायरों के उत्पादन शुल्क में और रजिस्ट्रेशन फीस में कमी कर कुछ राहत देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक वाहन मालिक को इनसे प्रत्येक वर्ष कितना लाभ होगा; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत लाभ वास्तव में छोटे वाहन मालिकों को प्राप्त हो और यह टायर व्यापारियों द्वारा न ले लिया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार, स्कूटर तथा मोटर साइकिल के मालिकों को, इस तरह की गाड़ियों में इस्तेमाल किये जाने वाले टायरों और ट्यूबों पर उत्पादनशुल्क में छूट देकर, कुछ राहत देने के प्रश्न की जांच कर रही है।

(ख) से (घ) : चूंकि मामला अभी भी विचाराधीन है, इसलिये इस समय विस्तृत ब्यौरा देना वांछनीय नहीं है।

विदेशी सहायता में कमी

4720. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता में और कमी होन की संभावना है;

(क) यदि हां, तो योजना और गैर-योजना कार्यक्रमों के लिये इस समय कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होती है और इसमें कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ग) विदेशी सहायता की कमी का योजना प्राक्कलनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन किन क्षेत्रों पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या योजना लक्ष्यों का विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में, पुनर्निर्धारण करने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जैसा कि बजट दस्तावेजों में बताया गया है, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक सहायता मिलने की संभावना है।

(ख) आयोजना अनुमानों की तुलना में, चौथी आयोजना की अवधि में कुल मिलाकर लगभग 3820 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता मिलने की संभावना है जिससे यह पता चलता है कि उक्त सहायता की राशि अनुमान से 310 करोड़ रुपया कम है।

(ग) तथा (घ) सरकार आत्मनिर्भरता तथा विदेशी सहायता पर कम निर्भर रहने की आवश्यकता पर बल दे रही है। अनुमान है कि विदेशी सहायता में कमोबेशी होने से आयोजनाओं के कार्यान्वियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सेवानिवृत कर्मचारियों को अपनी पेंशन उनके निवास से निकटयम डाकघर से लेने की सुविधा

4722. श्री के० मलन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवा निवृत कर्मचारियों को उनके द्वारा अपनी पेंशन अपने निवास स्थान निकटतम डाकघर से लेने की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो डाक-घर से ली जा सकने वाली पेंशन की अधिकतम राशि क्या होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) डाक-तार विभाग के सेवा निवृत्त पेंशनभोगियों तथा सैनिक पेंशनभोगियों को यह सुविधा ऐसे डाकघरों में मिलती है जो इस कार्य के लिये खास तौर पर चुने गये हों। अन्य सिविल पेंशनभोगियों को यह सुविधा देने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अनुसूचित बैंकों से पेंशन लेना

4723. श्री के० मालन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पेंशनर को, जिसने किसी अनुसूचित बैंक से पेंशन प्राप्त करने का प्रबन्ध कर रखा हो, को कार्यालय में अपने मामले को स्वयं पेरवी करनी होती है क्योंकि बैंक उक्त कार्यालय से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते; और

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों को पेंशनरों को उनकी पेंशन शीघ्र उपलब्ध कराने संबंधी कोई स्पष्ट अनुदेश हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) उन पेंशनभोगियों के संबंध में, जिन्होंने बैंकों से अपनी पेंशनें प्राप्त करने का प्रबन्ध किया है, पेंशन अदायगी आदेश सहित पेंशन बिल, बैंकों द्वारा संबंधित राजकोष/वेतन और लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किये जाते हैं। उस कार्यालय से पेंशन की राशि के चैक प्राप्त होने पर, बैंक उनकी रकमें प्राप्त करते हैं तथा उन रकमों को पेंशनभोगियों के खातों में जमा कर देते हैं और उन्हें इसकी सूचना देते हैं। बैंक पेंशन बिलों को, राजकोष/वेतन और लेखा कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिये तथा बाद में, पेंशन की राशि के चैक प्राप्त करने के लिये अपने कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं।

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उन्होंने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि पेंशन बिलों का प्राप्त करने में कोई विलम्ब न हो।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजकोष कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त करना

4724. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोष कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य किन किन स्रोतों से सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं ;

(ख) क्या डाक-घर इनका अन्य स्रोत है और यदि हां, तो क्या इस स्रोत से पेंशन की राशि प्राप्त करने की कोई सीमा है ; और

(ग) उन मंत्रालयों/विभागों की श्रेणीवार सूची क्या है जिनके सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन डाक-घरों से प्राप्त कर सकते हों ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) (i) पेंशन संवितरण अधिकारी का कार्य करने वाले महालेखापाल का कार्यालय/सिविल पेंशन भोगियों के मामले में अलग से बनाया गया वेतन और लेखा कार्यालय।

(ii) डाक-तार विभाग से सेवा निवृत्त पेंशनभोगियों के मामले में डाकघर।

(iii) इस संबंध में निर्दिष्ट किये जाने वाले कुछ चुने हुए डाकघर तथा सैनिक पेंशनभोगियों के मामले में पेंशन अदायगी कार्यालय।

(ख) जी, हां। पेंशन की रकम की कोई सीमा तय नहीं की गयी है।

(ग) डाक-तार तथा रक्षा विभाग।

पोनमुडी (केरल) को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव

4725. श्री वयालार रवि : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में पोनमुडी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, नहीं; परन्तु, केरल सरकार ने पोनमुडी का एक पर्यटन केन्द्र के रुप में विकास करने के लिये अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक स्कीम सम्मिलित की है ।

पुराने वेतन-मान रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों से विकल्प मांगना

4726. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभागों ने अपने कर्मचारियों से पुराने वेतन-मान रखने या तीसरे वेतन आयोग द्वारा बनाये गये नये वेतन-मान स्वीकार करने संबंधी विकल्प मांगने आरम्भ कर दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ मामलों में यदि कर्मचारी नये वेतन-मान लें तो उन्हें भारी हानि होगी;

(ग) उन्हें अपनी परिलब्धियों में हानि न हो, इसलिये यदि अपनी वार्षिक वृद्धि की तारीख तक वे पुराने वेतन-मान रखते हैं, तो क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें अपने वेतन-मानों के निर्धारण संबंधी लाभ प्राप्त होंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मामलों में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में यह विषमता क्यों बर्ती जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां । 13 नवम्बर, 1973 को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 1973 जारी की गई थी और इस नियमावली की अनुसूची में उल्लिखित पदों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने कर्मचारियों से संशोधित वेतनमानों को चुनने का विकल्प मांग रहे हैं ।

(ख) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 7 के अन्तर्गत जिन मामलों में किसी कर्मचारी की मौजूदा परिलब्धियां संशोधित परिलब्धियों से अधिक हों उन मामलों में उन परिलब्धियों के अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में लेने की अनुमति दी जायेगी और जिसे भविष्य की वेतन वृद्धियों में खपाया जायेगा ।

(ग) तथा (घ) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जो कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अगली अथवा परवर्ती वेतन वृद्धियां लेने के बाद संशोधित वेतनमान के अन्तर्गत आने का विकल्प देता है, उस कर्मचारी का, संशोधित वेतनमान में वेतन-नियतन मूल नियमों के अन्तर्गत ही किया जा सकता है, और उन नियमों के अनुसार संशोधित वेतनमान में वेतन नियतन के प्रयोजन से, केवल वह मूल वेतन हिसाब में लिया जा सकता है, जो विकल्प देने की तारीख को था । इस स्थिति में, सरकार ने संबंधित सिफारिश में सुधार करते हुए यह व्यवस्था की है कि ऐसे मामलों में संशोधित वेतनमानों में ऐसे किसी कर्मचारी का वेतन नियतन करते समय उसके विकल्प देने की तारीख को न केवल उसका मूल वेतन, बल्कि उसके मूल वेतन से संबंधनीय मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्तरिम राहतों को भी 1 जनवरी 1973 से पूर्ववर्ती दरों पर हिसाब में लिया जाये ।

बसंत बिहार, नई दिल्ली में गार्डन बाजार नामक फर्म के विरुद्ध शिकायतें

4727. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसंत बिहार, नई दिल्ली के रिहायशी क्षेत्र में 'गार्डन बाजार' नामक दुकान पर आयातित शराब, प्रसाधन सामग्री, ब्लेड, सिगरेट, खाद्य पदार्थों के डिब्बे, पुस्तकें तथा पत्रिकायें आदि खुले तौर पर बेचे जाने के संबंध में प्रवर्तन निदेशक, विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, तथा राजस्व आसूचना निदेशक, कार्मिक विभाग नई दिल्ली से शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और अवैध बिक्री को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या ऐसी वस्तुओं के आयात के लिये कोई आयात लाइसेंस दिया गया था; यदि नहीं, तो वस्तुयें किस प्रकार आयात की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली में बसंत बिहार स्थित "माडर्न बाजार" के नाम से विदित दुकान में तस्करी के माल की बिक्री होने के बारे में, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय तथा सीमाशुल्क समाहर्ता, दिल्ली को प्राप्त शिकायतों के अनुसरण में, सीमाशुल्क के कर्मचारियों द्वारा उक्त परिसर में 5 अप्रैल 1973 तथा 27 अगस्त, 1973 को छापे मारे गये और क्रमश: 2400 रु० और 12,000 रु० मूल्य की विदेशों में बनी प्रसाधन सामग्रियां, सिगरेट तथा ब्लेड आदि पकड़े गये।

पहले मामले में, न्याय-निर्णय की कार्यावाही आरम्भ की गई। पकड़े गये माल में से, 400 रु० मूल्य के विदेशी सिगरेट पूर्णत: जब्त कर दिये गये। शेष वस्तुयें भी जब्त कर ली गई थीं, किन्तु पार्टी को यह विकल्प दिया गया कि 1200 रु० जुर्माना अदा करने पर वह उन्हें छुड़ा सकती है। इसके अतिरिक्त, माडर्न बाजार के मालिक, श्री विश्वंत कुमार पर 400 रु० का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया। दूसरे मामले में श्री विश्वंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उसे 8000 रु० के व्यक्तिगत बांड तथा उतनी ही रकम के जमानती बांड पर, जमानत पर रिहा कर दिया। इस मामले में आगे कार्यवाही जारी है।

(ग) माडर्न बाजार के परिसर से बरामद किये गये माल के लिये, पार्टी कोई आयात लाइसेंस पेश नहीं कर सकी। पकड़े गये माल को तस्कर-आयात का माल बताया गया है।

विग इंडिया फैक्टरी, मद्रास को हुआ घाटा

4728. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1960 में हांगकांग की एक फर्म के सहयोग से मद्रास के निकट एक औद्योगिक बस्ती अम्बात्तार में स्थापित विग इंडिया फैक्टरी लगातार घाटे में चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे और निर्यात लक्ष्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। विग इंडिया फैक्टरी ने 1966-67 तथा 1967-68 के पहले दो वर्षों में लाभ कमाया परन्तु 1968-69 से घाटा उठा रही है।

(ख) तथा (ग) एक अमरीकी ग्राहक के साथ विग इंडिया द्वारा किये गये करार के अन्तर्गत मूल योजना 40 लाख डालर (3 करोड़ रुपये) मूल्य के विग्ज निर्यात करने की थी। परन्तु दिसम्बर 1968 में अचानक इस फर्म का समापन हो गया। तब से अब तक यूरोपीय देशों की बिक्री बढ़ाने के प्रयास किये गये। गत तीन वर्षों में विग्ज और बरौनियों, तथा साधित बालों के निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा :—

वर्ष	लाख रु०
1970—71	24.39
1971—72	2.53
1972—73	6.69

गत तीन वर्षों में हुई हानियां निम्नोक्त प्रकार रहीं :

वर्ष	लाख रु०
1970—71	61.57
1971—72	30.50
1972—73	22 37

पुरानी दिल्ली की एक दुकान पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे में सोना और जेवरात बरामद होना

4729. श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने हाल ही में पुरानी दिल्ली की एक दुकान पर छापा मारा था जिसमें लगभग 60 लाख रुपये का विदेशी सोना और जेवरात बरामद हुए थे ?

(ख) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गत छः महीनों में इस प्रकार के छापे मारकर कितनी कीमत की वस्तुयें बरामद की गई ;

(ग) सोने के भारत लाने पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखने के बावजूद विदेशों से सोना भारत कैसे आता है; और

(घ) इसके लिये कौन कौन व्यक्ति दोषी हैं और इस संबंध में कड़ी निगरानी रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिल्ली के सीमाशुल्क अधिकारियों ने अभी हाल ही में पुरानी दिल्ली की किसी दुकान से लगभग 60 लाख रु० मूल्य का सोना तथा जेवर बरामद नहीं किये हैं।

(ख) मई से अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान देश में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये माल का भारतीय बाजार दर पर कुल मूल्य 1576 लाख रु० है। इसमें भारतीय बाजार दर पर लगभग 44 लाख रु० मूल्य का सोना शामिल है।

(ग) सरकार के सतर्क रहने के बावजूद भी देश में तस्करी का सोना आने के निम्नलिखित कारण हैं :–

(1) देश के आकार, लम्बी सीमाओं तथा हजारों मील तक फैले समुद्र तट को देखते हुए यह व्यवहार्य नहीं है कि जिन स्थानों से होकर देश में माल का तस्कर आयात किया जाता है उन सभी पर प्रभावकारी ढंग से पहरेदार रखने की व्यवस्था की जा सके।

(2) सोने आदि के ठोस आयतन के कारण तस्कर व्यापारियों के पास तथा यात्रियों के असबाब में छिपाने के लिये उपयुक्त होने की वजह से उसका पता लगाना कठिन होता है।

(3) सोने को जेवरों में बदलना इतना आसान होता है कि तस्कर-आयात किये गये सोने का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

(4) देश में सामाजिक रीति-रिवाज तथा परिस्थितियों के कारण सोने के लिये देश में मांग का बना रहना।

(घ) जो लोग इस स्थिति के लिये उत्तरदायी हैं वे देश के भीतर तथा विदेशों में तस्कर-व्यापारी हैं।

देश में सोने के तस्कर आयात को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का संदेह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना तथा समुद्र-तट और भू-सीमाओं के सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना, ऐसे माल को कारगर तरीके से मार्ग में रोकने, उसकी रोक-थाम आदि के लिये समय-समय पर अतिरिक्त लांच-नौकाओं और वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। तस्कर-विरोधी कार्य की अनन्य रूप से देख-भाल करने के लिये सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अवर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। तस्कर-व्यापार संबंधी अपराधों के लिये और अधिक कठोर दण्ड देने तथा खामियों को दूर करने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में, हाल ही में और संशोधन किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ सोने के आन्तरिक क्रय-विक्रय पर नियंत्रण की विस्तृत प्रणाली और तस्कर-व्यापार -विरोधी प्रयासों को अनुपूरित करने की दृष्टि से 1963 में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था ताकि तस्कर-आयात के सोने के परिचालन को अधिक कठिन बनाया जा सके। कतिपय अपराधों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था करने के लिये 1–9–73 से स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन किया गया है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

बंगलादेश को निर्यात किये गये सूती कपड़े की खराब क्वालिटी के बारे में शिकायतें

4730. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगलादेश व्यापार करारों के अन्तर्गत भारतीय सूती कपड़ा निर्माताओं द्वारा बंगलादेश को सप्लाई किये गये सूती कपड़े, विशेष रूप से धोतियों और साड़ियों की घटिया क्वालिटी के बारे में बंगलादेश के समाचारपत्रों में प्रकाशित व्यापक जन-शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या ऐसी कोई शिकायत सरकारी तौर पर बंगलादेश सरकार अथवा भारत से बंगलादेश में सूती कपड़े का आयात करने वाली बंगलादेश की किसी सरकारी एजेंसी ने की है; और

(ग) क्या भारत से बंगलादेश को निर्यात किये जाने वाले सूती कपड़े अथवा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उचित क्वालिटी नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये हमारी सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) बंगलादेश सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किये जाने पर वस्त्र समिति द्वारा लदान पूर्व निरीक्षण के बिना बंगलादेश को अक्तूबर, 1972 में वस्त्रों के कुछ परेषण निर्यात किये गये थे। जब यह माल बाजार स्थल पर पहुंचा, तो वहां वस्त्रों की असंतोषजनक क्वालिटी के बारे में बंगलादेश के समाचारपत्रों में शिकायतें थीं। तथापि, जांच किये जाने पर पता चला कि इन वस्त्रों की खुदरा कीमतें अत्यधिक आयात शुल्क तथा वितरण लाभांश बढ़ने के कारण हमारी जहाज पर मूल्य की निर्यात कीमतों से बहुत ही ऊंची थीं। इस बात की जानकारी हमारे उच्चायुक्त द्वारा एक समुचित प्रेस नोट जारी करके बंगलादेश की जनता को भी दी गयी। इस घटना के बाद, वस्त्र समिति का लदान पूर्व निरीक्षण अन्य गन्तव्य स्थलों की तरह बंगलादेश को निर्यात किये जाने वाले वस्त्रों के संबंध में भी लागू कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान, बंगलादेश को निर्यात किये गये वस्त्रों की क्वालिटी के संबंध में न तो बंगलादेश सरकार से और नही बंगलादेश व्यापार निगम से सरकारी तौर पर कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारत बंगलादेश व्यापार वार्ताओं ने बंगलादेश सरकार से वस्त्र समिति द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के अलावा वस्त्रों के लिये अपने निजी लदानपूर्व निरीक्षण की व्यवस्था करने के लिये आग्रह किया। यह सुझाव बंगलादेश सरकार द्वारा मान लिया गया है। सितम्बर, 1973 में बंगलादेश सरकार से इस आशय का एक अनुरोध प्राप्त हुआ कि बंगलादेश को किये जाने वाले निर्यात हेतु वस्त्रों का वस्त्र समिति द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था को हटा दिया जाये ताकि ईद पर्व से पूर्व की अवधि में निर्यात तीव्र गति से किये जा सकें चूंकि बंगलादेश सरकार द्वारा इस देश में नियुक्त लदान पूर्व निरीक्षण अभिकरण ने पहले ही अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। बंगलादेश का यह अनुरोध अक्तूबर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये मान लिया गया।

2. भारत से निर्यात की जा रही बहुत सी अन्य चीजों के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित होता है जो कि लदान पूर्व निरीक्षण का कार्य करती हैं।

3. इन प्रबन्धों को देखते हुए, फिलहाल भारत सरकार द्वारा कोई और कदम उठाने का विचार नहीं है।

सैन्य लेखा नियंत्रक (सी० डी० ए०) पटना के कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें

4731. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित सैन्य लेखा नियंत्रक (सी०डी०ए०) के कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में विभिन्न मुकदमें चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा किस किस प्रकार के मुकदमें चल रहे हैं; और उनम अंतग्रस्त कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा दोनों पक्षों के अभियुक्त किन किन स्थानों पर नियुक्त हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे एकाउटेन्टों को प्रशासन सेक्शन में नियुक्त किया गया है जिन पर न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं;

(घ) क्या उनको प्रशासन सेक्शन से हटाने के बारें में मांगें प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय दिया गया है; और

(ङ) सरकार का ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनके विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं और जिनकी नियुक्ति दूरस्थ स्थानों पर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जी, हां ।

(ख) इन मामलों में विभाग ग्रस्त नहीं है इसलिये रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है । जहां तक रक्षा लेखा नियंत्रक पता लगा सका है ऐसे पांच मामले हैं । पता चला है कि इनमें से चार मामलों का संबंध अखिल भारतीय रक्षा लेखा कर्मचारी संघ कलकत्ता की पटना शाखा के दो दलों के झगड़ों से है, और पांचवां मामला अखिल भारतीय रक्षा लेखा संघ (केंद्रीय संघ) पूना की पटना शाखा में आंतरिक मतभेदों से पैदा हुआ है । रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना जो अधिकतम सूचना पा सका है उसके अनुसार अदालती मामलों के ब्यौरे और जो व्यक्ति उनमें ग्रस्त हैं / थे, उनके नाम तथा उनकी तैनाती के स्थानों के नाम अनुबंध 'क' में दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०-6006/73]**

(ग) जी, हां । केवल तीन ऐसे लेखाकार प्रशासन अनुभाग में काम कर रहे हैं ।

(घ) जी, हां । शिकायतें वाजिब नहीं थीं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

(ङ) 26 कर्मचारी, पहले दल के 10 और दूसरे दल के 16 कर्मचारी फिलहाल पटना से बाहर तैनात हैं । इन सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण निम्न आधार पर किया गया था :–

पटना में तैनाती की अवधि, और प्रशासनिक विचार जिनमें प्रिय स्थानों (जैसे पटना) और अप्रिय स्थानों (जैसे असम मिजोराम आदि में स्थित स्थान) के बीच कर्मचारियों की अदला-बदली करते रहने की आवश्यकता शामिल है ।

इन कर्मचारियों का केवल इस आधार पर स्थानान्तरण रोकना वांछनीय नहीं समझा गया कि वे अदालती मामलों में ग्रस्त हैं, विशेषतः जबकि (क) मुकदमे में प्रशासन ग्रस्त नहीं है और इसमें जनहित का कोई प्रश्न नहीं उठता है, और (ख) संबंधित कर्मचारी न्यायालय आदि में उपस्थित होने के लिये सामान्यनियमों के अंतर्गत छुट्टी ले सकते हैं ।

सैन्य लेखा नियंत्रक (सी०डी०ए०) पटना के कार्यालय में श्रेणी चार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

4732. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्य लेखा नियंत्रक पटना के कार्यालय में श्रेणी चार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में नीति क्या है;

(ख) क्या श्रेणी चार के कुछ कर्मचारियों ने प्रशासन के विरुद्ध कुछ शिकायतें की हैं;

(ग) क्या श्रेणी चार के एक कर्मचारी के बदले की भावना से किये गये स्थानान्तरण के कारण मृत्यु हो गई;

(घ) क्या उक्त कर्मचारी की पत्नी से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर०गणेश) : (क) भरती नियमों के अनुसार, रक्षा लेखा विभाग के श्रेणी- IV के कर्मचारियों का स्थानान्तरण भारत भर में किया जा सकता है और दफ्तरियों और चपरासियों समेत कुछ श्रेणियों का 'फील्ड सरविस' के लिये भारत में तथा भारत से बाहर भी स्थानान्तरण किया जा सकता है । यह नीति नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना के अधीन काम कर रहे श्रेणी- IV के कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होती है ।

अपने मूल-निवास के राज्य से बाहर काम कर रहे श्रेणी- IV के कर्मचारियों का अपने मूल राज्य में स्थानान्तरण की व्यवस्था रखने के लिये कर्मचारियों की मुख्य कार्यालय पटना और उप-कार्यालयों के बीच अदला बदली की जाती है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से औषधियों का आयात

4733. डा० सरदीश राय

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से औषधियों का आयात करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) से (ग) 1973–74 के लिये 2 अप्रैल, 1973 को घोषित की गई नीति के अनुसार कतिपय औषधियों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है । फिलहाल मार्गीकरण के अधीन औषधियों की अतिरिक्त मदों को लाने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा बाहर भेजी गई धनराशि

4734. श्री आर०के० सिन्हा

श्री नवल किशोर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला निर्यात निगम को विदेशों में धनराशि भेजने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह निर्यात संबंधी बातों के कारण था और यदि हां, तो भारतीय बोटलरों को कोका कोला के मसाले (कंसेंट्रेट) की बिक्री से हुए लाभ को स्वदेश भेजने की उनकी अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) नई दिल्ली स्थित कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन विदेश में निगमित कम्पनी की एक शाखा है और इस मामले में सरकार की नीति यह है कि ऐसी शाखाओं को इस देश में किये गये कार्य से हुए लाभों में से कर की रकम घटाने के बाद शेष रकम को बाहर भेजने की खुली छूट होती है और सामान्यतः, इन प्रेषणाओं का निर्यात से होने वाली आय से कोई संबंध नहीं होता । परन्तु कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की भारतीय शाखा द्वारा बाहर भेजी जाने वाली लाभों आदि की राशियों को सीमित करने की दृष्टि से, सभी प्रेषणाओं अर्थात् लाभों, व्यय, आयातों से संबद्ध सभी प्रेषणाओं को जनवरी 1969–मार्च, 1972 के दौरान, निर्यात से हुई आमदनी के 80 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है । अप्रैल, 1972 के बाद से इस प्रकार की प्रेषणाओं को कारपोरेशन दारा केवल अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के निर्यात होने वाली आमदनी तक सीमित कर दिया गया है ।

औद्योगिक विकास में सरकारी क्षेत्र की भूमिका

4735. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया

श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की योजना और क्रियान्वयन मशीनरी को सुदृढ़ बनाने का है जिससे अर्थ व्यवस्था स्वतः विकसित हो सके और आयात को कम किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सरकार ने सरकारी क्षेत्र में परियोजना बनाने और उनके क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए समय समय पर कई उपाय किये हैं। हाल ही में इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। निवेश संबंधी और अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकत निर्णयों को शीघ्रता से लेने के प्रयोजन के लिए एक सरकारी निवेश बोर्ड की स्थापना की गयी है। प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उत्पादन क्षमता की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए योजना आयोग में एक उच्च स्तर पर निरीक्षण और मूल्यांकन एकक की भी स्थापना की गयी है। इस के अतिरिक्त, योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में सरकारी उपक्रमों पर एक कार्यकारी समिति कुछ और स्थापति तथा नए स्थापित किये जाने वाले एककों में क्षमता का अधिकतम प्रयोग यथाशीघ्र प्राप्त करने की आवश्कता की देखभाल कर रही है। सरकारी उद्यम कार्यालय, जो सरकारी उद्यमों के संबंध में एक केन्द्रीय परामर्शदायी सेवा और मूल्यांकन संगठन का काम कर रहा है। इसका पुनर्गठन किया जा रहा है और परियोजना को बनाने और क्रियान्वयन/मूल्यांकन की कुशलता में सुधार लाने के लिए इसे व्यावसाधिक रूप से मजबूत किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों को स्थापित करते समय महत्वपूर्ण बातों में से जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाता है वह आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा को बचाने की आवश्यकता होती है ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

Smuggled Goods Seized from Foreign Diplomats

4736. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether an ancient piece of art being sent abroad recently in the name of some V.I.P. was seized at Calcutta airport by the Customs authorities; and

(b) if so, the name of the V.I.P. in whose name the ancient piece of art was being sent and by whom?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) & (b) An idol, which according to expert opinion is an antiquity, was detained on 27-3-73 by the Customs authorities at Calcutta Airport, contained in a package presented for shipment. Investigations are still in progress and until the case is finalized it cannot be said as to who is the person who has contravened the law relating to exports.

रेशम उद्योग से प्रशुल्क संरक्षण का हटाया जाना

4737. श्री सी० जनार्दनन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या रेशम उद्योग को जो प्रशुल्क संरक्षण दिया जाता है उसे खत्म किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे हमारे रेशम व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) उद्योग को संरक्षण 1974 तक ही दिया गया है। 1974 के दौरान टैरिफ आयोग उद्योग को पुनर्विलोकन करेगा तथा उसको दिये गये संरक्षण को जारी रखने या न रखने के प्रश्न पर उचित सिफारिशें करेगा। सरकार टैरिफ आयोग की ऐसी सिफारिशों की जांच करेगी तथा उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

राज्यों के महालेखाकारों के कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्च श्रेणी लिपिकों को सिलेक्शन ग्रेड देना

4738. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि भारत के प्रत्येक महालेखाकार कार्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने उच्च श्रेणी लिपिकों को आरक्षण के आधार पर सैलेक्शन ग्रेड दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है ।

विवरण

कार्यालय का नाम	आरक्षित पदों पर सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत किये गये अनु० जा०/अनु० जन जा० के उच्च श्रेणी लिपिकों (अब लेखापरीक्षकों) की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1. महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश-1 तथा 11 हैदराबाद ।	22	1
2. महालेखाकार, असम आदि, शिलांग	2	10
3. महालेखाकार, बिहार, रांची	11	39
4. महालेखाकार, गुजरात, अहमदाबाद	8	—
5. महालेखाकार, हिमाचल, प्रदेश एवं चण्डीगढ़, शिमला	1	—
6. महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़	7	—
7. महालेखाकार, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर	—	—
8. महालेखाकार, कर्नाटक, बंगलौर	31	—
9. महालेखाकार, केरल, त्रिवेंदम	8	—
10. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर	10	—
11. महालेखाकार महाराष्ट्र I तथा महालेखाकार, सेंट्रल, बम्बई	6	—
12. महालेखाकार, महाराष्ट्र, II नागपुर	28	5
13. महालेखाकार, उड़ीसा, भुवनेश्वर	13	—
14. महालेखाकार, पंजाब, चण्डीगढ़	34	—
15. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर	15	—
16. महालेखाकार, तमिल नाडु, मद्रास	27	—
17. महालेखाकार उत्तर प्रदेश I और II इलाहाबाद ।	18	—
18. महालेखाकार पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	36	2

बाढ़ राहत कार्यों के लिए अन्य देशों से सहायता

4739. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाढ़ राहत कार्यों के लिये अन्य देशों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होते।

इण्डियन एयरलाइंस में नई पारी व्यवस्था पर विवाद

4740. श्री मधु दंडवते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने इंडियन एरलाइंस के कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच "नई पारी व्यवस्था" के प्रश्न पर विवाद को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इसमें कितनी प्रगति हुई है और ऐसे विवादों तथा यात्रियों को होने वाली असुविधा की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) उपमुख्य श्रम आयुक्त (सैंट्रल) ने झगड़े को समाधान-प्रक्रिया के अंतर्गत हाथ में लिया था लेकिन चूंकि झगड़े का निपटारा नहीं हो सका इसलिये उसने एक रिपोर्ट भेज दी है जो कि विचाराधीन है।

इण्डियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि संबंधित तीन संघों में से इण्डियन एयरक्राफ्ट टेकनीशियंस एसोसिएशन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जिस के अंतर्गत उन्होंने नयी शिफ्ट प्रणाली के अनुसार कार्य करना तथा कई अपव्यय वाली पद्धतियों को समाप्त करने में सहयोग देना मान लिया है। इस वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में 10-12-73 से तालाबन्दी उठा ली गयी है तथा परिणाम स्वरूप कारपोरेशन का 17-12-1973 से कामचलाऊ सेवाओं (स्केलेटन सर्विसिज) को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार का समझौता करने की दृष्टि से अखिल भारतीय विमान इंजीनियर संघ के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। जहां तक तीसरे संघ, अर्थात् वायु निगम कर्मचारी संघ, का संबंध है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि वे नयी शिफ्ट प्रणाली को मानने तथा अपव्यय वाली कार्य पद्धतियों को समाप्त करने में प्रबंधकवर्ग के साथ सहयोग करने के लिये तैयार हैं।

प्रबंधकवर्ग विमान सेवाओं की सुरक्षा, नियमितता तथा समय-पालन में सुधार करने की दृष्टि से इस प्रकार की अपव्यय वाली कार्य पद्धतियों को समाप्त करने तथा सेवाओं के कभी-कभी अवरुद्ध हो जाने से यात्रियों को होने वाली असुविधाओं का परिहार करने के लिये कर्मचारी संघों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा है।

राज्य व्यापार निगम के मुख्यालय का स्थानान्तरण

4741. श्री जगन्नाथराव जोशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनपथ, नई दिल्ली स्थित राज्य व्यापार निगम के नये मुख्यालय में फर्नीचर आदि लगाने में लागत (मद-वार व्यौरा सहित) कितनी आई है;

(ख) बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में पहले स्थापित मुख्यालय को इस स्थान में स्थानान्तरित करने में कितना व्यय आया है तथा उसके क्या कारण हैं ?

(ग) राज्य व्यापार निगम के पूर्व कार्यालय में उसके उन फर्नीचर, फिटिंग, कार्यालय की सामग्री की सूची क्या है जो नये कार्यालय में नहीं है;

(घ) प्रत्येक सामग्री किस प्रकार तथा कितने मूल्य पर बेची गई थी तथा इन प्रत्येक सामग्रियों का उस समय बाजार मूल्य कितना था; और

(ङ) सरकारी वस्तुओं तथा संपत्ति को बेचने के लिये सरकार की मानक प्रक्रिया क्या है तथा इस मानक प्रक्रिया का कभी उल्लंघन हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) फर्नीचर तथा फिटिंग्स पर 6.13 लाख रु० व्यय हुआ।

(ख) बहादुरशाह जफर मार्ग पर इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में राज्य व्यापार निगम के पास जो स्थान उपलब्ध था वह निगम के विभिन्न प्रभागों को स्थान देने के लिये पर्याप्त नहीं था। उनके लिये स्थान की व्यवस्था नई दिल्ली में इधर-उधर विभिन्न भवनों में करनी पड़ी जिससे कार्य चालन संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हुई। इस लिये जनपथ पर बीचों बीच स्थित भवन में नये कार्यालय का स्थान नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी से 2.28 लाख रु० के मासिक किराये पर लिया गया है।

(ग) तथा (घ) उस पुराने फर्नीचर का ब्यौरा, जिसका पहले वाले कार्यालय में उपयोग हो रहा था लेकिन जिसे नये कार्यालय में नहीं लाया गया और जिन मदों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेच दिया गया था अथवा धर्मार्थ की संस्थाओं को दान कर दिया गया था, उन्हें एक विवरण में दिया जाता है, जो संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया-देखिए संख्या एल टी 6007/73]**

(ङ) सरकारी क्रियाविधि के अन्तर्गत सभी अप्रयुक्त तथा काम न आने वाला सामान नीलामी बिक्री अथवा किसी और ढग से, जिसके बारे में सक्षम प्राधिकारी विनिश्चय करे, बेचा जाता है। चूंकि राज्य व्यापार निगम ने अपना पुराना फर्नीचर निगम के बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बिक्री, नीलामी, दान के जरिये निपटाया है, इस लिये स्टैण्डर्ड क्रियाविधि का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

विदेशी फर्मों को तदर्थ आयात लाइसेंस देना

4742. श्री विक्रम महाजन

श्री आर० के० सिन्हा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1972-73 में भारत में काम पर रहे विदेशी फर्मों को कितने तदर्थ आयात लाइसेंस मंजूर किये गये;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनको ये तदर्थ लाइसेंस मंजूर किये गये हैं और प्रत्येक लाइसेंस की तिथि तथा उसका मूल्य कितना है; और

(ग) प्रत्येक मामले में तदर्थ लाइसेंस किस आधार पर मंजूर किये गये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) जारी किये गये आयात लाइसेंसों के फर्म-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। परन्तु सभी जारी किये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा, जिसमें आयातकों के नाम तथा पते और आयात लाइसेंस के मूल्य भी दिये होते हैं, "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज" में प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को सप्लाई की जाती हैं।

(ग) जिस आधार पर तदर्थ लाइसेंस मंजूर किय जाते हैं, वह प्रत्येक मामले में अलग अलग होता है। जब तक कोई विशिष्ट मामले नहीं बताये जायें, तब तक प्रश्न के इस भाग का कोई उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा बंगलादेश को भेजी गई विभिन्न वस्तुओं का स्तर और किस्म

4743. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगलादेश करार के अन्तर्गत राजकीय व्यापार निगम द्वारा बंगलादेश को भेजे गये विभिन्न

वस्तुओं के स्तर और किस्म के विरुद्ध बंगलादेश में जनता और समाचार पत्रों में भारी आलोचना की गई थी और यदि हां, तो किस प्रकार की आलोचना की गई थी और मामले के तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंगलादेश में राजकीय व्यापार निगम के विरुद्ध आलोचना का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत-बंगलादेश करार के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम द्वारा बंगलादेश को निर्यात किये गये विभिन्न वस्तुओं के स्तर और किस्मों के विरुद्ध बंगलादेश की जनता और समाचारपत्रों द्वारा व्यापक आलोचना किये जाने के संबंध में सरकार को कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विमान की कानपुर से दिल्ली वापसी उड़ान

4745. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान की कानपुर से दिल्ली वापसी उड़ान नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) और (ख) मध्य में रुकने वाली सेवा आई०सी०-411 कानपुर में रुकती है जबकि वापसी उड़ान आई०सी०-412 (कलकत्ता-दिल्ली) के लिये वर्तमान सीमित टर्बो-प्रॉप धारिता के कारण कानपुर में रुकने की व्यवस्था नहीं है ।

Raid on the House of Store and Purchasing Officer, Ashoka Hotel, New Delhi.

4746. Shri Atal Bihari Vajpayee: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the house of the Store and Purchasing Officer of the Ashoka Hotel was raided by the Customs Officials a few months ago;

(b) whether 319 smuggled watches of foreign-make were recovered from the house; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) & (b) On 1st June 1973, the residential premises of the Store and Purchasing Officer of the Ashoka Hotel were raided by the Customs staff of the Delhi Customs and 319 smuggled watches of foreign-make were seized **from** a room occupied by the Brother-in-law of the said Stores and Purchasing Officer.

(c) The Brother-in-law who claimed the ownership of the watches was arrested and produced before a Magistrate. The Magistrate has granted him bail on a personal bond of Rs. 8,000 plus a surety bond of life amount. Further proceedings in the matter are in progress.

Registration of Rolling Mills in Indore for Income-tax

4747. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7539 on 26th May, 1972 regarding registration of rolling mills in Indore for income-tax and state:

(a) why the income-tax assessment of a rolling mill in Indore is done in Amritsar and of another in Calcutta

(b) the time by which the assessment of taxes in respect of the remaining two rolling mills in Indore will be completed; and

(c) the names of rolling mills of Indore in respect of which assessment of income-tax is done in Amritsar and Calcutta?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

(c) M/s Hindustan Forgings is assessed in Amritsar and M/s Purshottam Traders (P) Ltd. is assessed in Calcutta.

Use of Wrong Weights and Measures by Sweet Sellers.

4748. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether the Weights and Measures Department under his Ministry has reported the the sweet buyers had to incure loss of Rs. 1.20 after every kilogram of sweets on the eve of Dipawali because the weights of the card-board packet was included in the weight of sweets by the shopkeepers; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) The Weights and Measures (Law Revision) Committee has observed in its report that the weighment of sweets alongwith cardboard boxes, without giving allowance for it, deprived the consumers of about. 10 per cent of sweets or of about 80 paise to Rs. 1.20 for every kilogram of sweets purchased. The loss to the customer varies between 50 and 90 paise per Kilogram, excluding the cost of the box.

(b) Enforcement of weights and measures laws being a State subject, the Centre had asked States to prosecute offenders. As the maximum penalty under the State laws relating to weights and measures is only Rs. 300, prosecution did not prove effective. The Weights and Measures (Law Revision) Committee has proposed, in its revised draft legislation, deterrent punishment for offenders, including imprisonment for second or subsequent offences. The proposed legislation is under examination of Government of India.

दूसरे और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी

4749. **श्री हुक्म चन्द कछवाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे वेतन आयोग के अनुसार अक्तूबर 1972 से अक्तूबर 1973 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि दर्शाने वाले बारह महीने के औसत अंकों के माह-वार आंकड़े क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी के कर्मचारियों के लिये तृतीय वेतन आयोग के अनुसार बारह महीने के औसत अंकों के माह-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या फरवरी 1973 में उपभोक्ता सूचकांक के बारह महीने के औसत अंकों में 10 अंकों की वृद्धि हो कर वह 248 से अधिक हो गया था और यदि हां, तो तृतीय वेतन आयोग के अनुसार मार्च, 1973 में मंहगाई भत्ते की अदायगी न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अक्तूबर 1972 से अक्तूबर 1973 तक की अवधि के लिये 1949=100 आधार और 1960=100 आधार के साथ अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों की औसतों का विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है ।

(ख) फरवरी 1973 को समाप्त होने वाले मास में अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949 100) की 12 महीनों की औसत 248 अंक को पार कर गयी थी । परन्तु तृतीय वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्टों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 मार्च 1970 से समय समय पर राहतें दी जाती रही हैं, इसलिये उनकी अंतिम सिफारिशों के संदर्भ में ही अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की मंजूरी का निर्णय किया जाना था । आयोग ने 1960 के क्रम में वृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ता मंजूर करने की सिफारिश की है क्योंकि संशोधित वेतनमान उन्हीं पर आधारित हैं । यह सिफारिश सरकार ने कुछ सुधारों के साथ मान ली है और विभिन्न स्तरों पर महंगाई भत्ता मंजूर करने के आवश्यक आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं ।

विवरण

मास	समाप्त होने वाले मास में अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों की औसत	
	आधार 1949=100	आधार 1960=100
1972		
अक्तूबर	242	200
नवम्बर	244	201
दिसम्बर	245	202
1973		
जनवरी	247	203
फरवरी	249	205
मार्च	251	207
अप्रैल	254	209
मई	257	211
जून	260	214
जुलाई	264	217
अगस्त	268	221
सितम्बर	272	224
अक्तूबर	277	228

टिप्पणी : 12 महीनों की औसत के आंकड़े निकटतम पूर्णांक तक सही हैं।

Scheme to make Palwal (Haryana) a Dry Port.

4750. **Shri Chandu Lal Chandrakar:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme to make Palwal (District Gurgaon) in Haryana, a dry port;

b) whether the survey has already heen conducted in this regard; and

(c) the time by which the construction work is likely to start?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) Government have not formulated any scheme to establish a dry port at Palwal.

(b) & (c) Do not arise.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के परिणामस्वरूप सरकार पर पड़ा वित्त भार

4751. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 अक्तूबर 1973 से मंहगाई भत्ता दिये जाने के परिणामस्वरूप सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा;

(ख) क्या प्रति बार मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की वास्तविक मंजूरी घट जाती है क्योंकि हर बार मूल्यों में सामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है और रुपये की कीमत घट जाती है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वास्तविक मंजूरी में कितनी कमी हुई ; और

(ग) क्या सरकार ने मंहगाई भत्ते की राशि को खाद्यान्नों पर राज सहायता के रूप में देने की वांछनीयता पर विचार किया है जिससे मुद्रा स्फीती की प्रवृति को रोका जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 अक्तूबर 1973 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान में राजकोष पर वर्ष 1973–74 में लगभग 20.68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार और पूरे वर्ष में लगभग 49.64 करोड़ रुपये का भार पड़ने का अनुमान है ।

(ख) महंगाई भत्तां मंजूर करने के परिणामस्वरूप स्वत: ही मूल्यों में वृद्धि नहीं होती। जब विभिन्न कारणों से मूल्य ऊपर जाते हैं तब जिस सीमा तक उचित समझा जाता है, मंहगाई भत्ता मंजूर करके कर्मचारियों के वास्तविक वेतनों को संरक्षण प्रदान किया जाता है ।

(ग) तृतीय वेतन आयोग ने इस सुझाव पर भी विचार किया था कि मूल्यों में वृद्धि के लिये प्रतिपूर्ति के रूप में मंहगाई भत्ता देने की बजाय सरकार अपने कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति घटी हुई दरों पर करें । इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को घटी हुई दरों पर कुछ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, उपयोगी प्रस्ताव नहीं होगा और आयोग ने सिफारिश की कि मूल्यों में वृद्धि के निमित्त प्रतिपूर्ति के लिये कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की मंजूरी जारी रखी जाये । महंगाई भत्ते की दरों के संबंध में आयोग द्वारा की गयी विशिष्ट सिफारिश को सरकार स्वीकार कर चुकी है ।

अफ्रीका में भारतीय उपक्रम

4752. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अफ्रीका के विभिन्न देशों में भारत के कुल कितने उपक्रम हैं; और

(ख) इस में से कितने उपक्रम सरकार द्वारा संचालित हैं और कितने गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इस समय अफ्रीका के विभिन्न देशों में 15 भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यम हैं । ये सभी औद्योगिक संयुक्त उद्यम भारतीय उद्यमियों द्वारा वहां की स्थानीय पार्टियों के सहयोग से स्थापित किये जाते हैं ।

Assistance to Bihar for Loss Due to Floods

4753. Shri M.S. Purty: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have not provided any assistance to Bihar despite a loss of Rs. 25 crores due to floods and rains in the State this year; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) and (b) A Central team of officers has just visited Bihar for an assessment of the flood situation in Bihar and its report on the expenditure qualifying for Central assistance is awaited. Central assistance would be released to the State Government on the basis of ceilings adopted by the Government in the light of the team's recommendations.

राज्यों को सूखा राहत के लिए सहायता

4754. श्री ग्रार० एस० बर्मन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों को 158 करोड़ रुपयों की सूखा राहत सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अभी तक राज्य सरकारों को सूखा सहायता के रूप में 176 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है ।

(ख) चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल सरकार ने सूखा राहत कार्यों पर खर्च करने के लिये वित्तीय सहायता के लिये कोई अनुरोध नहीं किया है, अतः उसे इस प्रयोजन के लिये धन देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसंधान तथा विकास विभाग

4755. श्री यमुना प्रसाद मण्डल

श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में अनुसंधान और विकास विभाग स्थापित किये जाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सफलता और आत्म-निर्भरता पूर्वक कार्य किये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये सरकार ने सरकारी उद्यमों को बताया है कि सोद्देश्य अनुसंधान और विकास का महत्व कितना अधिक है । इस संबंध में उद्यमों को यह सलाह दी गयी थी कि वे सरकारी उद्यमों और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रत्येक प्रयोगशालाओं के बीच और अधिक सहयोग स्थापित करने की अपेक्षा आन्तरिक सहायता सहित अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों में तेजी लावे ।

Indigenous and Foreign Cars in Government Offices and Public Sector Undertakings.

4756. Shri Hukam Chand Kachwai

Dr. H.P. Sharma:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the estimated number of indigenous and imported Cars in Government Offices and Public Sector Undertakings in the country at present?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): According to information readily available, approximately 3580 vehicles including 294 imported ones were with Government Offices as on 1.5.72. The present position regarding Cars in Government Offices and Public Sector Undertakings in the country is being ascertained from the various Ministries. The information will be placed on the Table of the House, as soon as possible.

औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के लाभ में वृद्धि

4757. श्री पी० गंगादेव

श्री श्री किशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1973 से (अक्तूबर तक) अपने लाभ में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना 12 अप्रैल, 1971 को की गई थी । हर वर्ष इसका लेखा वर्ष 30 जून को समाप्त होता है । 30 जून 1972 और 30 जून 1973 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिये लेखा परिक्षित लाभ और हानि लेखे के अनुसार निगम द्वारा अर्जित लाभ (विशेष प्रारक्षित निधि, कराधान और सामान्य प्रारक्षित निधि की व्यवस्था करने से पूर्व) निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	लाभ की राशि (लाख रुपयों में)
12-4-71 से 30-6-72	16.39
1-7-72 से 30-6-73	47.77

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण उद्योगों को दिया गया ऋण

4758. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस वर्ष के गत महीने तक ग्रामीण उद्योगों को वर्षवार कितना ऋण दिया ;

(ख) क्या ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार ने कोई निदेश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक दिसम्बर 1972 से हर छठे महीने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से उनके द्वारा 'ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं' को मंजूर किये गये ऋणों के संबंध में सूचना इकट्ठी करता है । सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिये दिये गये ऋणों की बकाया रकम दिसम्बर 1972 को अन्तिम शुक्रवार को 189 लाख रुपये थी ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से, जो ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम का आयोजन और क्रियान्वयन करने के लिये जिम्मेदार है, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे वित्तीय और प्रशासनिक मामलों से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाएं ताकि होने वाली देरी से बचा जा सके । राज्य सरकारों को उनके द्वारा विचार किये जाने और अपनाये जाने के लिये भेजे गये निर्देशक सिद्धांतों में और बातों के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर शक्तियां देने के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव भी शामिल हैं ।

(i) योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, नये पद बनाना, नियुक्तियां और अन्य प्रशासनिक मामले ।

(ii) ऋणों, अनुदानों, राजसहायता की मंजूरी और मंजूर किये गये ऋणों और अनुदानों के संबंध में दस्तावेज भराने की प्रक्रिया ।

(iii) स्थान किराये पर लेना, आकस्मिक व्यय आदि जैसे कार्यालयों के प्रतिष्ठानों से संबंधित वित्तीय मंजूरी ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

4759. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में (आज तक) गोआ से विदेशों को कितने मैंगनीज अयस्क का जहाजों पर लदान किया गया ;

(ख) कितना मूल्य वसूल किया गया; और

(ग) क्या अयस्क भारतीय जहाजों से भेजा गया और यदि नहीं, तो इस कार्य के लिये विदेशी जहाज मालिकों को कितना भाड़ा दिया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 (30 नवम्बर, 1973 तक) के दौरान 7.57 करोड़ रुपये के मूल्य के 7.66 लाख मि० टन मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया था जिससे लगभग 99 रु० प्रति मि० टन की औसत एफ०ओ०बी० कीमत प्राप्त हुई ।

(ग) चूंकि निर्यात एफ०ओ०बी०टी० के आधार पर किये गये थे अत: विदेशी खरीदारों ने भारतीय तथा विदेशी दोनों ध्वज वाले जहाज किराये पर लिये तथा जहाज मालिकों को सीधे भाड़ा अदा कर दिया ।

ताम्बे के मूल्य में वृद्धि

4760. श्री बी०बी० चन्द्रगोडा

श्री सी०के० जाफर शरीफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताम्बे का मूल्य गत जनवरी में 14,000 रुपया प्रति टन से बढ़कर लगभग 26,000 रुपया हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ताम्बे के मूल्य में इस अभूतपूर्व वृद्धि से धातु के आयात पर भी कोई प्रभाव पड़ा है जिससे उपयोग कर्ताओं का उत्पादन संबंधी निर्धारित कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) से (ग) तांबे के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा रिलीज किये गये तांबे के मूल्यों में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उद्योगों की कठिनाई दूर करने के लिये बढ़ी मात्रा में तांबा सहित अलौह धातुओं के आयात की प्रस्थापना प्रस्तुत की है तथा मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

मोटर व्यापार में कमीशन एजेंटों के बारे में अनियमित समंजन प्रविष्टि

4761. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू इण्डिया सेंट्रल एंश्योरेंस ने वर्ष 1971–72 में मोटर व्यापार के कमीशन एजेंटों के बारे में 90,000 से अधिक समंजन प्रविष्टियां (एडजस्टमेंट ऐंट्रीज) की ओर ध्यान नहीं दिया है ;

(ख) क्या इस प्रकार के समंजनों की मंजूरी के बारे में कानूनी तौर पर कोई अनुमति दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि लेखापरीक्षकों (मैसर्स फर्गूसन एण्ड कम्पनी) ने इस समंजन प्रविष्टियों पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के इस भाग की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इन अनियमित समंजनों के लिये संबद्ध उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

न्यू इंडिया एन्स्योरेंस कम्पनी के उच्च अधिकारियों द्वारा बनायी गई बेनामी एजेंसियों द्वारा आयकर का भुगतान

4762. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री न्यू इण्डिया एन्श्योरेंस कम्पनी लि० और ओरियंटल फायर एण्ड जनरल एन्श्योरेंस कम्पनी लि० में अनियमितताओं के बारे में संसद सदस्य से प्राप्त पत्र के बारे में 31 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5231 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी दी गई है कि मैसर्स बी० के० शाह, जी०बी० कपाड़िया और न्यू इण्डिया एंस्योरेंस के अन्य प्रमुख कार्यालयों द्वारा सम्बद्ध जीपों की पुनः बिक्री के लिये बेनामी एजेंसियां बनाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंटों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कितना प्रीमियम दिया जाता है;

(ग) क्या इनकी जांच-पड़ताल की गई है तथा इन पर आयकर का निर्धारण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) जांच पड़ताल जारी है ।

आरण्डी के बीजों का वायदा बाजार

4763. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक संसद सदस्य को ओर से अरण्डी के बीजों के वायदा बाजार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कोई पत्र मिला है;

(ख) क्या कोई प्रतिबंध लागया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) अरण्डी के बीजों के निर्यात व्यापार के हित में उसके वायदा बाजार पर रोक नहीं लगायी गयी है । इसके कुल उत्पादन का करीब 60 प्रतिशत निर्यात किया जा रहा है जिससे देश के लिये बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है ।

मिलों द्वारा सूत का सरकार के कानूनी तौर पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना

4764. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय द्वारा तमिलनाडु काटन टेक्सटाइल मिलों को सूत नियंत्रण आदेश के स्थान की मंजूरी दिये जाने के बाद इन मिलों ने सरकार द्वारा कानूनी तौर पर निर्धारित किये गये सूत के मूल्यों से अपने सूत के अधिक मूल्य लेने आरम्भ कर दिये;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी मिलों ने अधिक मूल्य लेकर उनका अनुसरण किया;

(ग) क्या यह आरोप लगाये गये हैं कि सूती कपड़ा आयुक्त की मिलों से सांठ-गांठ थी तथा उस ने यह कदाचार करने वाली काटन मिलों के विरुद्ध कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की; और

(घ) यदि हां, तो टेक्सटाइल कमिश्नर तथा उन मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अपने सूत को अधिक मूल्य पर बेचा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) से (घ) जिन मिलों पर स्थगन आदेश लागू हैं वे मिलें नियंत्रण आदेश और इसके अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा नियत कीमतों द्वारा बाध्य नहीं हैं । जहां तक मिलों द्वारा 'अधिक मूल्य' लिये जाने तथा मिलों के साथ किसी सांठगांठ का प्रश्न है, सरकार को कदाचार के बारे में कोई पक्की रिपोर्ट नहीं मिली है । तथापि, राज्य सरकारों से इस प्रकार के कदाचारों के मामलों में कड़ी कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है । वस्त्र आयुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिये कोई आधार नहीं मिले हैं ।

करों की दरों में कमी

4765. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि विधि सचिव श्री आर० एस० गाई ने सात सितम्बर, 1973 को नई दिल्ली में कर वसूली अधिकारियों की बैठक में यह कहा था कि ईमानदार कर दाताओं तथा कर प्रशासकों में प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न न होने देने के लिये वांचू समिति के कर की दरों में कमी करने के सुझाव को स्वीकार करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश): (क) जी, हां । सरकार ने एक प्रेस-रिपोर्ट देखी है जिसमें विधि मामलों के विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री आर० एस० गाई के बारे में बताया गया है कि उन्होंने इस आशय की टीका टिप्पणी की है ।

(ख) आय-कर की दरों के मामले में सरकार की स्थिति वार्षिक वित्त विधेयकों में स्पष्ट की जाती है ।

रूबल का अवमूल्यन

4766. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी रूबल का हाल में अमरीका डालर की तुलना में लगभग 3 से 4 प्रतिशत तक अवमूल्यन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका भारतीय रुपये पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां। सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के स्टेट बैंक ने, 20 नवम्बर, 1973 से रूबल-अमरीकी डालर की दर 100 अमरीकी डालर= 74.61 रूबल तक तय की है जबकि पहली दर 100 अमरीकी डालर= 71.50 रूबल थी।

(ख) रूबल-अमरीकी डालर की समता दर में हुए परिवर्तन का रुपये-रूबल की समता दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

बंगाल बंद के कारण रद्द की गई उड़ानें

4767. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 17/18 नवम्बर, 1973 को बंगाल बन्द के कारण कुल कितनी उड़ानें रद्द की गईं;

(ख) सरकार को कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) इस संबंध में उत्तरदायी ठहराये गये इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 16।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स को लगभग 1.4 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(ग) बंगाल बंद के लिये एयरलाइन्स के अधिकारी उत्तरदायी नहीं थे, अत: उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर पटसन की वसूली

4768. श्री श्री किशन मोदी

श्री मोहम्मद इस्माइल:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम वसूली मूल्य तथा किसानों से खरीदी जाने वाली अपरिष्कृत पटसन की मात्रा के बारे में किये गये वायदे से पटसन उद्योग मुकर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पटसन उद्योग को अनुशासित करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(घ) क्या उद्योग को कोई विशेष निदेश जारी किये गये हैं ?

वाणिजय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पटसन आयुक्त ने पटसन (लाइसेंसिंग तथा कंट्रोल) आदेश, 1956 के अन्तर्गत आदेश जारी किये थे जिनमें पटसन मिलों को अक्तूबर, 1973 के दौरान 12.54 लाख तथा नवम्बर, 1973 के दौरान 12.50 लाख गांठों की न्यूनतम मात्रा की खरीद करने का निदेश किया गया है। ऐसा मूल्य में स्थायीकरण के लिये अतिरिक्त उपाय के रूप में किया गया है।

उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

4769. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रशासन में सुधार करने के लिए बड़ी मात्रा में केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

सरकार द्वारा खुले बाजार से लिये गये ऋणों की राशि

4770. श्री शंकर राव सावन्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा खुले बाजार से कितनी धनराशि के ऋण लिये गए;

(ख) इन ऋणों की पुनंअदायगी की क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या किसी ऋण की मूल राशि अथवा ब्याज की गैर-अदायगी के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो किन ऋणों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) इस वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा खुले बाजार में जारी किये गए ऋणों की रकमें तथा उनकी वापसी-अदायगी की शर्तें नीचे दी गयी हैं:—

ऋण जारी किये जाने की तारीख	ऋण	जुटाई गई रकम (करोड़ों में)	वापसी अदायगी का शर्तें
1	2	3	4
12-5-1973	$4\frac{3}{4}$% ब्याज वाला ऋण 1980	117.29	12-5-1980 को सम-मूल्य पर वापसी अदायगी।
	5% ब्याज वाला ऋण, 1984 (दूसरा निर्गम)	200.09	1-6-1984 को सम-मूल्य पर वापसी अदायगी।
	$5\frac{3}{4}$% ब्याज वाला ऋण, 2003	233.21	12-5-2003 को सम-मूल्य पर वापसी अदायगी।
21-7-1973	$4\frac{3}{4}$% ब्याज वाला ऋण, 1981	99.26	21-7-1981 को सम-मूल्य पर वापसी अदायगी।
	$5\frac{1}{4}$% ब्याज वाला ऋण, 1987	173.37	21-7-1987 को सम-मूल्य पर वापसी अदायगी।
	$5\frac{3}{4}$% ब्याज वाला ऋण 2003 (दूसरा निर्गम)	85.02	12-5-2003 को सम-मूल्य पर वापसी अदायगी

जुलाई, 1973 में जारी किये गए ऋणों की 115 करोड़ रुपए की राशि की अगली किस्तें 21 दिसम्बर, 1973 को जारी की जा रही हैं। पहले की भांति, अधिसूचित रकम से 10 प्रतिशत तक अधिक अभिदान रखने के अधिकार से लगभग 126.50 करोड़ रुपए की रकम के जुटाए जाने की संभावना है।

वापसी अदायगियों की रकम को घटा कर, वर्ष के दौरान बाजार ऋणों से प्राप्त रकम 481 करोड़ रुपए बैठेगी जबकि बजट में इस सम्बन्ध में 326 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

काले धन का पता लगाने के लिए विमुद्रीकरण

4771. श्री ज्योतिर्मय बसु

श्री एस० ए० मुरुगनान्तरम :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० वी०के०आर०वी०राव और पांच अन्य बड़े अर्थशास्त्रियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गए "इन्फ्लेशन एण्ड इण्डियन इकानामिक क्राइसिस" नामक लेख पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अर्थशास्त्रियों ने अपने लेख में यह राय जाहिर की है कि विमुद्रीकरण (संगत त्रुटियों और अर्थ-व्यवस्था के सामान्य कार्यकरण के बावजूद) से काले धन की समस्या का शीघ्रता से समाधान करने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) प्रधान मन्त्री और उनके कुछ साथियों ने डा० वी०के०आर०वी० राव तथा अन्य पांच अर्थशास्त्रियों द्वारा उनके सम्मुख प्रस्तुत किये गए एक प्रबन्ध पर उनके साथ विचार-विमर्श किया था। यह प्रबन्ध देश के सामने आने वाली वर्तमान आर्थिक समस्याओं तथा उनसे निपटने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों के बारे में था। दल द्वारा दिये गए सुझावों को नोट कर लिया गया है।

(ख) इस प्रबन्ध का सम्पूर्ण पाठ "मुद्रा स्फीती और भारत का आर्थिक संकट" (इन्फ्लेशन ऐण्ड इण्डियन इकानामिक क्राइसिस) नामक पुस्तक के रूप में लेखकों द्वारा स्वयं प्रकाशित किया गया है और यह पुस्तक उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं। दूसरी ओर अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि "काले धन की तात्कालिक समस्या विमुद्रीकरण" करके निपटायी जा सकती है और विमुद्रीकरण को असली रूप देने और अर्थ व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के मार्ग में अनेक रुकावटें हैं, इसलिए समस्या का वास्तविक समाधान यह है कि मूल्य नियंत्रण और औद्योगिक लाइसेंस देने का आर्थिक दृष्टि से युक्ति संगत उपाय किया जाए और प्रत्यक्ष करों के उत्तरोत्तर बढ़ते जाने की प्रक्रिया को कम कठोरता से लागू किया जाये।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारत स्थित विदेशी कम्पनियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए योजना

4772. श्री ज्योतिर्मय बसु

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत स्थित विदेशी कम्पनियों अथवा उनकी शाखाओं की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 28 और 29 के अन्तर्गत, विदेशों में निगमित कम्पनियों की शाखाओं तथा 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयरधारिता वाली भारतीय कम्पनियों को, एजेन्टों, अथवा तकनीकी या प्रबन्ध सलाहकारों के रूप में कार्य करने अथवा नियुक्तियां स्वीकार करने या अन्य पार्टियों को अपने ट्रेड मार्कों का प्रयोग करने की अनुमति देने, अपनी मौजूदा व्यापारिक गतिविधियां जारी रखने, चाहे वे गतिविधियां वाणिज्यिक किस्म की हों अथवा औद्योगिक किस्म की और भारत में नयी शाखाओं की स्थापना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी होगी। धारा 29 के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये जा रहे हैं और अन्तिम रूप दिये जाने पर उनकी प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए बोनस शेयर

4773. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड ने कम्पनी के विदेशी ग्रंशधारियों को गत तीन वर्षों में लाभांश के रुप में कुल कितनी धनराशि दी; ग्रौर

(ख) इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड ने ग्रपने भारतीय ग्रंशधारियों को गत तीन वर्षों में लाभांश के रूप में कुल कितनी धनराशि दी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 30 सितम्बर 1972 को समाप्त हुए तीन वर्षों में इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड द्वारा कम्पनी के विदेशी शेयरधारियों को दिये गए सकल लाभांशों (कर की रकम काटने से पहले) की कुल रकम 131.55 लाख रुपए बैठती है।

(ख) 30 सितम्बर 1972 को समाप्त हुए तीन वर्षों में इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड द्वारा कम्पनी के भारतीय शेयरधारियों को दिये गए लाभांशों (कर की रकम काटने से पहले) की कुल रकम 67.11 लाख रुपए बैठती है।

इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड के निदेशक मंडल में सदस्य का नामांकन

4774. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इंडियन ग्राक्सीजन लिमिटेड के निदेशक मण्डल में किसी सदस्य ग्रथवा सदस्यों को मनोनीत करने ग्रथवा नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो गैर-निवासी कर्मचारी ग्रंशधारियों मजदूर संघ ग्रंशधारियों, बीमा कम्पनियों ग्रौर बैंक तथा समवाय ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों समेत ऐसे वित्तीय संस्थान जो इस कम्पनी के ग्रंशधारी हैं, का प्रतिनिधित्व करें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जी, नहीं।

ऋण दिए जाने के बारे में स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया, वारास्योनी, मध्य प्रदेश द्वारा कथित ग्रनियमितता ग्रौर पक्षपात

775. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया, वारास्योनी (मध्य प्रदेश) द्वारा ऋण दिये जाने के मामले में ग्रनियमितताग्रों ग्रौर पक्षपात के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं, ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) ग्रौर (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिना बने तम्बाकू का निर्यात

4776. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिना बने तम्बाकू के निर्यात से सरकार को 1971-72 ग्रौर 1972-73 में कितनी विदेशी मुद्रा की ग्राय हुई; ग्रौर

(ख) कुल कितना तम्बाकू निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में ग्रनिर्मित तम्बाकू के निर्यातों का मूल्य क्रमशः 42.25 करोड़ रु० तथा 61.07 करोड़ रु० था।

(ख) दो वर्षों के दौरान निर्यातित तम्बाकू की कुल मात्रा इस प्रकार थी:—

1971-72	57,288 मि० टन
1972-73	94,484 मि० टन

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

4777. श्री पी०जी० मावलंकर : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा विदेशी मुद्रा की कितनी राशि अर्जित की गई; और

(ख) इसमें से कितनी राशि विदेशों से मशीनरी और कच्चे माल के आयात पर खर्च की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सभी उद्यमों के लिए 1972-73 के लेखा परीक्षित लेखे अभी उपलब्ध नहीं हैं। 1971-72 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान सरकारी उद्यमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा और कच्चे माल के आयात और भण्डार पर किया गया विदेशी मुद्रा राजस्व व्यय के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 6008/73]** सरकारी उद्यमों के निर्यात और आयात को देखते हुए, देश के शोधन शेष को समृद्ध करने में उनके अंशदान को स्वीकार करना होगा। इन उद्यमों के उत्पादन का आयात प्रतिस्थापन के प्रयत्नों में बहुत बड़ा हाथ है। इन उद्यमों के उत्पादन का मूल्य जैसा कि अनुबन्ध में बताया गया है, जो कि 1971-72 में 2250 करोड़ रुपए, 1970-71 में 1900 करोड़ रुपए और 1969-70 में 1700 करोड़ रुपए रहा यह इस बात का द्योतक है कि इन उद्यमों ने किस सीमा तक आयात पर देश की निर्भरता को कम किया है और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत की है।

सौराष्ट्र में पर्यटन आकर्षण के गिर वन की विकास सम्बन्धी योजनाएं

4778. श्री पी०जी० मावलंकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन आकर्षण के लिए सौराष्ट्र में गिर सिंह वन का और विकास करने सम्बन्धी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ससनगिर में एक फारेस्ट लाज का निर्माण कर रही है। शरण-स्थान के अन्दर वन्य जीवों को देखने तथा उनका फोटो लेने के लिए विशेष उपकरणों से सुसज्जित दो मिनी बसों की व्यवस्था की गयी है।

गुजरात सरकार की भी गिर सिंह वन के विकास के लिए लगभग 4.50 लाख रुपए की एक योजना है ?

काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र का विकास

4779. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के विकास में अगर कोई प्रगति हुई है, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त क्षेत्र के विकास कार्य की गति तीव्र करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) क्षेत्र से निर्यात 1970–71 में 33.44 लाख रु० से बढ़कर 1971–72 में 79.78 लाख रु० और 1972–73 में 151.17 लाख रु० मूल्य के हुए। चालू वित्तीय वर्ष में 4 दिसम्बर 1973 तक 94.89 लाख रु० के निर्यात हुए।

(ख) काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र समिति के अलावा, जो वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और जो क्षेत्र के प्रबन्ध संबंधी मामलों की देख भाल करती है, वाणिज्य उपमंत्री की अध्यक्षता में मई 1973 में एक उच्चशक्ति प्राप्त संचालन बोर्ड स्थापित किया गया था। यह बोर्ड क्षेत्र की सभी प्रमुख समस्याओं की देख-भाल करता है।

Selection of Sites for Tourissm

4780. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the main criteria laid down by the Central Government for selection of sites for tourism;

(b) the authorities who are entrusted with the job of making selection of the sites; and

(c) the extent to which the Members of Parliament are consulted?

Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi): (a) The selection of places for tourism development in the Central sector depends upon the availability of resources and on priorities which are determined by the actual or potential attraction of a site for tourists, its accessibility, its historical, archaeological and natural attractions, availability of basic tourism infrastructure, present flow of tourist traffic, etc.

(b) and (c) Specific areas for tourism development are not determined by any committee or through consultations but by having regard to the preferences of tourists feasibility studies, and the various factors mentioned above.

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

4781. श्री विभूति मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 तथा 1973 में, 21 नवम्बर तक भारत-नेपाल सीमा पर (बिहार से लगने वाले भाग) में तस्करी के कितने मामले पकड़े गये; और

(ख) इनमें से पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1972 स संबंधित तस्करी के मामलों की संख्या 5257 है। वर्ष 1973 में 30 नवम्बर तक के मामलों की संख्या 5282 है।

(ख) वर्ष 1972 में पकड़े गये माल का मूल्य 50 लाख रु० है तथा वर्ष 1973 में (30 नवम्बर तक) पकड़े गये माल का मूल्य 63 लाख रु० है।

सीमा-शुल्क अधिकारियों को प्राप्त होने वाली पुरस्कार राशि पर आयकर की अदायगी से छूट

4782. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी की वस्तुओं को पकड़वाने में मदद करने वाले मुखबिरों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि पर आयकर से छूट दी जाती है, जबकि सीमा-शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाने वाली इसी प्रकार की राशि पर आयकर लगता है;

(ख) क्या सीमा शुल्क कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली पुरस्कार राशि पर आयकर की अदायगी से छूट देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। आय-कर अधिनियम के अधीन, कानून के उल्लंघन अथवा तस्कर-व्यापारियों को पकड़ने के विषय में सूचना देने के लिये सूचना देने वालों को और सीमाशुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये गये पुरस्कारों के कर-उपचार में इस समय कोई भेदभाव नहीं है। ये पुरस्कार अधिकारियों को मिले अथवा सूचना देने वालों को मिले वे कर लगने योग्य होते हैं।

(ख) प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक 1973 के खण्ड 2(सी) का उद्देश्य आय-कर अधिनियम की धारा 10 में एक नये खण्ड 17(बी) को समाविष्ट करना है जिसके अन्तर्गत लोकहित में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा की गयी किसी भी अदायगी पर आय-कर में छूट

दी जायेगी । यह विधेयक जब कानून के रूप में लागू होगा, तब सरकार द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि उल्लिखित पुरस्कारों को क्या इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया जाना चाहिये और उन पर छूट दी जानी चाहिये ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े औद्योगिक गृहों से आयकर और सम्पत्ति कर की वसूली

4783. कुमारी कमला कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान सभी बड़े औद्योगिक गृहों से आयकर की कितनी राशि वसूल की गई ;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान टाटा, बिड़ला और साहू जैन गृहों से कितना संपत्ति कर वसूल किया गया था;

(ग) क्या सरकार इन गृहों से उचित तरीके से संपत्ति कर वसूल करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति (दत्त समिति), जुलाई, 1969 की रिपोर्ट के अनुसार देश में बड़े औद्योगिक गृह 73 हैं । ये औद्योगिक - गृह अलग इकाइयां नहीं हैं । प्रत्येक बड़े औद्योगिक गृह के नियंत्रण में बड़ी संख्या में लिमिटेड कम्पनियां हैं । इन कम्पनियों की कुल संख्या 1600 से अधिक हैं और उनका कर-निर्धारण पूरे देश में होता है । आयकर विभाग के पास ऐसे अलग रजिस्टर नहीं हैं जहां बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में संयुक्त रूप से तथ्यों को रिकार्ड किया जाता हो । तथापि यदि माननीय सदस्य, बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित किसी विशिष्ट निर्धारिती के बारे में सूचना चाहते हों तो उसे प्राप्त किया जा सकता है और पेश किया जा सकता है ।

(ख) से (घ) टाटा, बिड़ला और साहू जैन के 'परिवार' जिस अर्थ में माननीय सदस्य ने उन्हें लिया है उस अर्थ में वे धन कर अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण योग्य इकाइयां नहीं हैं । इन गृहों के अन्तर्गत बड़ी संख्या में व्यष्टि और हिन्दू अविभाजित परिवार होंगे जो अकेले ही धन कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारिती होंगे । यदि माननीय सदस्य, इन समूहों के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार से संबंधित धन-कर निर्धारणों तथा वसूलियों के बारे में सूचना चाहते हों तो उसे इकट्ठा किया जायेगा और सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

बिड़ला बन्धुओं से आयकर का वसूल किया जाना

4784. कुमारी कमला कुमारी

श्री शिव नाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में बिड़ला परिवार से आयकर की कुल कितनी राशि वसूल की गई;

(ख) उनसे करों की कुल कितनी राशि की वसूली होना शेष है; और

(ग) उनसे उक्त राशि की सरकार वसूली क्यों नहीं कर सकी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) बिड़ला परिवार के सदस्यों से वित्तीय वर्ष 1972–73 में वसूल की गई आयकर की कुल रकम 30,67,644 रु० है ।

(ख) 31 मार्च, 1973 को उनकी तरफ बकाया करों की कुल रकम इस प्रकार है :–

आयकर	धनकर	दान-कर	संपदा-शुल्क
रु०	रु०	रु०	रु०
7,41,461	1,30,069	603	7,24,083

(ग) ऊपर (ख) में दिखाई गई कर की बकाया रकमों में से निर्धारितियों ने अब तक आयकर की 3,29,301 रु० और सम्पदा शुल्क की 5,70,000 रु० की बकाया रकम अदा कर दी है। बकाया मांग पड़े रहने के निम्नलिखित में से एक या अधिक कारण हैं :–

(i) अपीलों का निपटान होने तक मांगे स्थगित रखी गई हैं;

(ii) पहले ही की गई अदायगियों का सत्यापन किया जा रहा है;

(iii) भूल-सुधार संबंधी आवेदन विचाराधीन हैं ;

(iv) बकाया पड़ी मांगों के प्रति वापसियों का समायोजन किया जा रहा है; और

(v) प्रोबेट शुल्कों के कारण राहत देय है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने पर रोक का प्रभाव

4785. श्री प्रभुदास पटेल

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में घोषित ऋणों पर रोक से मूल्य वृद्धि रोकने में सहायता मिलेगी,

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि कहां तक रोकी जा सकेगी; और

(ग) उक्त निर्णय से अन्य क्या लाभप्रद प्रयोजन सिद्ध होंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (ग) 16 नवम्बर और 30 नवम्बर, 1973 को रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों पर रोक लगाये जाने के संबंध में सामूहिक रूप से जिन उपायों की घोषणा की गई थी, उनका उद्देश्य उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले बैंक ऋण के विस्तार का नियमन करना है। अर्थ व्यवस्था में भारी स्फीतिकारी दबावों की पृष्ठभूमि में, निस्सन्देह ऋणों पर रोक लगाने से मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी। परन्तु, चूंकि किसी भी अवधि विशेष में मूल्यों का बढ़ना मांग और पूर्ति संबंधी कई तत्वों की क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम होता है, इसलिये इस दिशा में ऋण संबंधी उपायों का कितना प्रभाव पड़ा है, इसका मूल्यांकन करना कठिन है।

भूतपूर्व शासकों द्वारा करों की अदायगी

4786. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रियासतों के उन भूतपूर्व शासकों में से प्रत्येक की विभिन्न रूपों में सम्पदा की कीमत का अब सरकार ने मूल्यांकन कर लिया है, जिनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को संविधान के संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या अब वे सरकार को आयकर और धन-कर आदि की अदायगी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो संविधान के संशोधन के बाद से प्रत्येक ने कितनी कितनी धन-राशि अदा की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) से (घ) भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों को, जिनके अधिकार तथा विशेषाधिकार संविधान के 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिये गये थे, उक्त संशोधन के पूर्व अथवा बाद में आयकर तथा धन-कर अधिनियमों के उपबंधों से छूट प्राप्त नहीं थी। धन-कर अधिनियम के उपबंध जब कभी उन पर लागू हुए, उनका धन-कर निर्धारण किया गया है। भूतपूर्व शासकों को धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ छूट पाने का हक है। यह छूट धनकर अधिनियम की धारा 5(1) (iii) और 5(xiv) के अन्तर्गत दी जाती है। इन

उपबंधों के अन्तर्गत सरकारी आवास और जेवरात पर जिसके अन्तर्गत कुलागत वस्तुयें आती हैं, जिन्हें सरकार द्वारा इसी रूप में मान्यता दी गई है, कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्राप्त है। धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत उपबंधित इन विशेष छूटों को छोड़कर अन्य स्थितियों में भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों को धन-कर देना होता था। 26वें संशोधन द्वारा जिन भूतपूर्व शासकों के अधिकार तथा विशेषाधिकार समाप्त किये गये थे उनकी संख्या 277 थी। इनमें से प्रत्येक के धन संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जाते। यदि माननीय सदस्य किसी भूतपूर्व शासक के बारे में सूचना चाहते हों तो उसे इकट्ठा किया जायेगा और सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

कोल्हापुर में हवाई अड्डा

4787. श्री अणासाहिब गोटखिंडे : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिये महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके उसको केन्द्रीय सरकार को सौंपा है;

(ख) क्या कोल्हापुर के निकट के हवाई अड्डे पर विमान सेवायें शुरु करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 95 एकड़।

(ख) और (ग) हवाई अड्डे को विकसित करने के लिये नक्शे तथा प्राक्कलन सरकार के विचाराधीन हैं। हवाई अड्डे के निर्माण के पश्चात विमान सेवायें प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

बांसपानी—जखपुरा प्रदेश (उड़ीसा) के मूलभूत ढांचे का विकास करने के लिए पत्तनों सम्बन्धी सब-ग्रुप

4788. श्री अर्जुन सेठी : क्या **वाणिज्य** मंत्री 23 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4388 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बांसपानी-जखपुरा क्षेत्र के मूलभूत ढांचे का विकास करने के लिये पत्तन संबंधी सब ग्रुप ने उन कागजात पर विचार किया था जिन्हें तैयार किया गया था; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। पत्तन संबंधी सब-ग्रुप की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

विदेशी ऋण की वापसी

4789. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 को, क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में और 31 अक्तूबर, 1973 को देशवार भारत पर कितना विदेशी ऋण-भार था;

(ख) अब तक उक्त प्रत्येक देश को ब्याज स्वरूप कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) आगामी छः वर्षों में उक्त प्रत्येक देश को कितना ब्याज देना होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) एक विवरण (अनुबन्ध 1) संलग्न है जिसमें 15 अगस्त, 1947 को तथा पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय आयोजनाओं के प्रारम्भ में विदेशी ऋणों की बकाया रकमों तथा 31 अक्टूबर, 1973 को ऋणों की अनुमानित बकाया रकमों का देशवार ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—6009/73]**

(ख) और (ग) एक विवरण (अनुबन्ध II) संलग्न है जिसमें 31 अक्टूबर, 1973 के अन्त तक चुकाये गये व्याज की अनुमानित रकम तथा अगले छः वर्षों (1974–75 से 1979–80 तक) में व्याज की अनुमानित देनदारी का देशवार व्यौरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—6009/73]**

आनुषंगिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए भुगतान न किए जाने के कारण व्यापार गृहों को दिये जाने वाले ऋण में कमी किया जाना

4790. श्री दिनेश सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि वह उन बड़े व्यापार गृहों को दिये जाने वाले ऋणों में कमी कर देगा जो 6 महीने के भीतर आनुषंगिक सुविधायें उपलब्ध करने के लिये भुगतान नहीं करते; और

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तव में कोई ऋण रोक दिया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि छोटे उद्यमों और उद्यमकर्ताओं द्वारा बड़े और मध्यम उद्योगों को की गई पूर्तियों से संबंधित बिलों की उनके द्वारा उन्हें अदायगी किये जाने की समस्या का इस उद्देश्य से अध्ययन करने और उपयुक्त प्रबन्ध करने के लिये—कि दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिये सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके—भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी, श्री के०आर० रामानुजम, की अध्यक्षता में अप्रैल 1971 में बैंक ने जो समिति स्थापित की थी उसने और बातों के साथ साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(i) छोटे पैमाने के उद्यमों के ऋण-बिक्री (क्रेडिट सेल) लेनदेनों को बिलों में परिवर्तित कर दिया जाये ;

(ii) मध्यम और बड़े उद्योगों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों से की गयी खरीद से संबंधित स्वीकृति/ऋणपत्र सुविधा के लिये स्वीकृत समग्र ऋण-सीमा के भीतर अलग-अलग उपसीमायें स्वीकार कर के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपूर्ति की बिल प्रणाली प्रोत्साहित की जानी चाहियें ;

(iii) बैंकों को, उन ऋणकर्ताओं के लिये जिनकी ऋण-सीमा 25 लाख रुपये और इससे अधिक है, ऋण सीमा स्वीकार करते समय/उसका नवीकरण करते समय/उस पर पुनर्विचार करते समय, उनके विविध देनदारों और देय बिलों के व्यौरे प्राप्त करने चाहियें ताकि वे उचित मामलों में ऋणकर्ताओं से ऋण खरीदों को बिलों में परिवर्तित करने का मामला उठा सकें और उन एककों पर दबाव डाल सकें जो कोई सुधार प्रदर्शित न कर रहे हों; और

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक को उन ऋणकर्ताओं के संबंध में, जिनकी ऋणसीमायें एक करोड़ रुपया या उससे अधिक हैं, ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की जांच करते समय , उपर्युक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर समग्र रूप से दृष्टि रखनी चाहिये।

रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण प्राधिकरण के संबंध में आवेदन पत्रों/रिपोर्टों की जांच किये जाने के समय यह पता चलता है कि ऋणकर्ताओं को बैंकों द्वारा पर्याप्त स्वीकृति सुविधायें दी गयी हैं, तो वह उन पूर्तिकर्ताओं के बारे में पूछताछ करता है जिनके बिल स्वीकार किये जा रहे हों। इस प्रकार की पूछताछ के आधार पद पर, जहां आवश्यक हो, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों पर इस बात के लिये जोर देता है कि वे इस प्रकार के ऋणकर्ताओं का उनके नाम पर छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा लिखे गये बिल स्वीकार करने के लिये राजी करें, ताकि 'स्वीकृति' सुविधा का लाभ छोटे पैमाने के उद्योगों को मिल सके। इसके अतिरिक्त, यदि यह बात देखी जाती है कि ऋणकर्ताओं के तुलनापत्रों में अधिक 'विविध ऋणदाता व्यापार' हैं तो इस प्रकार के ऋण-दाताओं का व्यौरा मंगाया जाता है ताकि यह जांच की जा सके आया कि छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को अदायगियां करने में कोई विलम्ब तो नहीं हुआ है और उसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त हिदायतें जारी की जाती हैं।

भारतीय निर्यातकों को न्यूयार्क स्थित वाणिज्य दूत द्वारा दी गई सहायता

4791. श्री पीलू मोदी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी मण्डियों में भारतीय निर्यातकों को उनके हितों में संवर्धन हेतु न्यूयार्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूत तथा उसके कर्मचारियों ने उनकी कहां तक सहायता की;

(ख) गत दो वर्षों में वर्षवार) न्यूयार्क के वाणिज्य दूत द्वारा मात्रा और मूल्य के रूप में कितना व्यापार प्राप्त किया गया; और

(ग) क्या सरकार उनके कार्य से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो उक्त विभाग को सक्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) न्यूयार्क में भारत के महाकांसुलावास के वाणिज्यिक विभाग का मुख्य कार्य भारतीय माल के निर्यात में समन्वय तथा सहायता करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, वाणिज्यिक विभाग विभिन्न कार्यों का निष्पादन करता है जैसे कि :

(1) वाणिज्यिक सम्पर्क स्थापित करने में भारतीय व्यापारियों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, अमरीकी आयातकों, विभागीय भण्डारों तथा अन्य संगठनों की सहायता करना;

(2) भारतीय निर्यातकों तथा अमरीकी आयातकों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करने में अपनी मध्यस्थता प्रदान करना;

(3) बाजार स्थिति रिपोर्टें, अमरीकी व्यापार के आंकड़े आदि एकत्र करना और भारत के अपरंपरागत माल के निर्यात का पता चलाना तथा उनका संवर्धन करना;

(4) व्यापारिक तथा आर्थिक सम्मेलनों में भाग लेना और भाड़ा दरें तय करने के लिये विभिन्न शिपिंग कान्फ्रेंस लाइन्स के साथ निकट संपर्क बनाये रखना;

(5) न्यूयार्क स्थित अन्य सरकारी तथा अर्ध-सरकारी व्यापार कार्यालयों के कार्यकलापों का समन्वय करना।

वाणिज्यिक विभाग एक व्यापार करने वाला निकाय नहीं है और इसलिये इसके कार्य जिस सीमा तक निर्यातों के संवर्धन के लिये उत्तरदायी रहे हैं उसका आकलन मुद्रा तथा मात्रा के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमरीका को भारत के निर्यात 1971–72 में 262.79 करोड़ रु० से बढ़कर 1972–73 में 275.74 करोड़ रु० के हो गये।

सरकार, न्यूयार्क में भारत के महाकांसुलावास में वाणिज्य विभाग के कार्य निष्पादन से संतुष्ट है।

जामनगर शहर (गुजरात) का दर्जा ऊंचा किया जाना

4792. श्री पीलू मोदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जामनगर शहर (गुजरात) का दर्जा श्रेणी-सी से बढ़ाकर बी-1 करने की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) मामले की जांच की जा रही है।

भारतीय निर्यात कर्ताओं के साथ न्यूयार्क में भारतीय वाणिज्य दूत द्वारा सहयोग न करना

4793. श्री पीलू मोदी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क स्थित वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों द्वारा सहयोग न करने के बारे में अनेक भारतीय निर्यातकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) ऐसी शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) वास्तविक निर्यातकों से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे माल की कमी के बारे में सूरत के आर्ट सिल्क बुनकरों से ज्ञापन

4794. श्री पीलू मोदी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्ट सिल्क के निर्माण में सिल्क बुनकरों को विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के बारे में अभी हाल में सूरत के आर्ट सिल्क बुनकरों से कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त ज्ञापन का अध्ययन किया है और इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, 23 अगस्त, 1973 को ।

(ख) उन कत्तिनों तथा बुनकरों के प्रतिनिधियों को, जिन्होंने विस्कोस फिलामेंट धागे के वितरण के लिये एक स्वैच्छिक करार पर हस्ताक्षर किये हैं उन्हें 30 अगस्त, 1973 को बैठक में बुलाया गया था ताकि स्वैच्छिक करार के, जो कुल मिला कर संतोषजनक रूप से चल रहा है, कार्यकरण को अधिक मुकर बनाने के लिये उस करार पर हस्ताक्षर करने वालों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके । विस्कोस फिलामेंट धागे के 100 प्रतिशत उत्पादन को कीमत तथा वितरण नियंत्रण के अधीन लाने के लिये ज्ञापन में दिये गये सुझाव पर, टैरिफ आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के विचारों को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात ही विचार किया जा सकता है ।

भारतीय व्यापार मेला और प्रदर्शनी परिषद् को समाप्त करने का निर्णय

4795. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में गठित भारतीय व्यापार मेला और प्रदर्शनी परिषद् को समाप्त करने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय मेला प्राधिकरण नाम से इसी प्रकार के एक अन्य संगठन की स्थापना की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक प्राधिकरण स्थापित करने की प्रस्थापना है जो कि सभी व्यापार अभिमुख प्रदर्शनियों, जिनमें भारत में होने वाली प्रदर्शनियां भी शामिल हैं, के आयोजन के लिये उत्तरदायी होगा और भारत तथा विदेशों में वाणिज्यिक प्रचार का कार्य भी संभालेगा । ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं । यह प्राधिकरण बनाने का उद्देश्य इस क्षेत्र में कार्यरत अभिकरणों की बहुलता को दूर करना तथा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये एक एकीकृत उच्चशक्ति प्राप्त अभिकरण की व्यवस्था करना है ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे के होटलों का अधिग्रहण करने सम्बन्धी प्रस्ताव

4796. श्री श्याम सुन्दर महापात्र: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ अन्य होटलों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे से पचास से अधिक साल पुराने होटल का अधिग्रहण करने के बजाय पर्यटन विभाग द्वारा पुरी में होटल के अपने भवन का निर्माण न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) पुरी में दक्षिण-पूर्वी रेलवे के होटल को, जो कि एक लोकप्रिय होटल है और अच्छी हालत में है, और आगे विकास करने के लिए उपयुक्त समझा गया है ।

उड़ीसा के लिए केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता-कार्यालय

4797. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के लिए पृथक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार ने कतिपय प्रशासनिक उपाय करने का निर्णय किया है ताकि व्यापारियों तथा उद्योग एवं राज्य में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग के कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर किया जा सके । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उप-समाहर्ता के पद को जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है, अगर समहर्ता के पद में बदल दिया गया है और इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को राज्य में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले मामलों के बारे में कतिपय कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है जो वर्तमान में समाहर्ता में निहित हैं । कलकत्ता तथा उड़ीसा समाहर्ता कार्यालय के वर्तमान उड़ीसा एकक को भी, राज्य में सभी अराजपत्रित पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि के प्रयोजनों के लिए क्रम-बद्ध तरीके से एक अलग स्वयपूर्ण प्रशासनिक एकक बनाया जा रहा है जिससे कि उड़ीसा में सभी अराजपत्रित ग्रेडों के पदों को क्रमशः उड़ीसा के लोगों में से भरा जायेगा और जब तक वे अराजपत्रित पदों पर बने रहेंगे तब तक वे केवल उसी राज्य में कार्य करेंगे ।

उद्योगपतियों के विरुद्ध बकाया करों की राशि

4798. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के कितने बड़े उद्योग-पतियों ने गत तीन वर्षों में करों की अदायगी नहीं की है;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश): (क) से (ग) आयकर लगाने के प्रयोजन से, निर्धारितियों का वर्गीकरण, उनके आय-स्रोत, व्यवसाय या वृत्ति के अनुसार नहीं किया जाता । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष निर्धारिती के बारे में सूचना चाहते हैं तो उसे एकत्रित करके दे दिया जायेगी ।

2. उड़ीसा के कर-निर्धारितियों के सम्बन्ध में तत्काल उपलब्ध सूचना यह प्रकट करती है कि 31-3-73 को 4 कर-निर्धारिती ऐसे थे जिनकी ओर 5 लाख रु० तथा 10 लाख रु० के बीच आय कर की शुद्ध बकाया थी । उक्त तारीख को कोई भी ऐसा निर्धारिती नहीं था जिसकी ओर आयकर की शुद्ध बकाया 10 लाख रुपए से अधिक हो ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों को जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये एजेंसी

4799. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने नयी वस्तुएं और खाद्यान्न खरीदने और होटल की इमारतों के रखरखाव के लिए अपने होटलों को कोई निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं ।

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम की इन निदेशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कोई एजेन्सी है; और

(ग) यदि नहीं, तो होटलों के लिए सामान खरीदने और इमारतों के रखरखाव का काम कैसे किया जा रहा है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, हां। मुख्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग तथा यूनिट वित्त अधिकारीगण इन अनुदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चाय बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति के संबंध में चाय अधिनियम में संशोधन

4800. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति के सम्बन्ध में चाय अधिनियम के उपबन्धों में संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार उस पर किसी राजनीतिक की नियुक्ति करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) चाय उद्योग सम्बन्धी टास्क फोर्स के विचारार्थ विषयों में से एक विषय यह विचार करना भी है कि चाय बोर्ड के कार्यकरण तथा सरकार की तुलना में इसके सम्बन्धों में क्या परिवर्तन आवश्यक हैं। इस विषय पर इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) तथा (ग) सरकार चाय बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति चुनने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

Allocation of Foreign Exchange to Maruti Limited

4801. Shri Jagannatharao Joshi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange sanctioned for Maruti Limited and its various Officer , separately indicating the dates on which this amount was sanctioned;

(b) their further demands for foreign exchange; and

(c) the outlines of the scheme for earning foreign exchange by this Company?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) to (c) Apart from the release of foreign exchange indicated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 3568 dated the 12th August, 1973, no release was made to any other person on account of M/s Maruti Ltd., No further demands have also been received. The company has scheme for earning of exchange by exports.

बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता से विश्व के बड़े-बड़े शहरों को जाने के लिये विमान भाड़ा ढांचा

4802. श्री समर गुह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता से लन्दन, न्यूयार्क, टोकियो, मास्को, पेरिस, बोन तथा विश्व के अन्य बड़े-बड़े शहरों को जाने के लिए विमान भाड़ा ढांचा भिन्न-भिन्न है; और यदि हां, तो इसका क्या आधार है;

(ख) क्या इस प्रकार की विषमता का प्रभाव देश के विभिन्न क्षेत्रों से होने वाले व्यापार पर पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार समानता लाने के विचार से विमान भाड़ा ढांचे पर पुनः विचार करेगी?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) भारत से विश्व के विभिन्न केन्द्रों के बीच भाड़े की दरें भिन्न-भिन्न हैं जो कि मार्ग-प्रकृति (रूट पैटर्न) उद्गम एवं गन्तव्य स्थानों के बीच दूरी आदि जैसे तत्वों पर आधारित है।

(ख) और (ग) भाड़े की दरों का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन द्वारा किया जाता है जिसका कि एयर-इंडिया भी एक सदस्य है। भारत से वृहदाकार निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए एयर-इंडिया द्वारा समय-समय पर विशेष पण्य दरों का प्रस्ताव रखा जाता है जो सभी सदस्य विमान-कम्पनियों द्वारा स्वीकार किये जाने तथा सम्बन्धित सरकारों द्वारा मंजूर किये जाने की अवस्था में ही लागू होती है।

दोषपूर्ण तोल और माप

4803. श्री समर गुह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रयोग में लाये जा रहे 60 प्रतिशत माप और तोल दोषपूर्ण पाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो आम उपभोक्ताओं को और कृषि समुदाय के काश्तकारों को इससे कितनी हानि होने का अनुमान है।

(ग) क्या 1956 के तोल और माप अधिनियम के मानकों में दोषपूर्ण तोल और माप के भ्रष्ट प्रयोक्ताओं के लिए काफी गुंजाइश है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दोषपूर्ण तोल और माप का प्रयोग रोकने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी और इस प्रकार के तोल और माप का प्रयोग करने के लिए कठोर दंड देने की व्यवस्था करेगी;

(ङ) क्या सरकार मानक तोल और माप बनाने की जिम्मेदारी केवल अपने पर लेगी और निरीक्षण निरीक्षणालय को सुदृढ़ बनायेगी; और

(च) यदि हां, तो क्या कदम उठाने का विचार है; और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तोल तथा माप (विधि संशोधन) समिति को अपने विचार-विमर्श के दौरान इसे दी गई जानकारी से पता चला कि मापक उपकरणों की कतिपय किस्मों जैसे कि बाथरूम स्केलों, स्कल वेट्स, टैक्सीमीटरों, चिकित्सा सम्बन्धी थर्मामीटरों आदि में बहुत से दोषपूर्ण थे।

(ख) उपर्युक्त समिति ने अनुमान लगाया है कि तोल तथा माप साधनों अथवा तोल तथा माप की यथार्थता में 5% की त्रुटि से कृषि वस्तुओं के आम उपभोक्ताओं और कृषकों को हर वर्ष 1500 करोड़ रु० की हानि होगी।

(ग) मानक तोल तथा माप अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मानक निर्धारित हैं और गैर-मीटरिक तोल तथा माप साधनों के प्रयोग पर रोक है परन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने की दशा में दंड की व्यवस्था नहीं है। दण्डीय उपबन्धों की अनुपस्थिति में इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करना संभव नहीं हो पाया है।

(घ) राज्य क्षेत्र में मानक तोल तथा माप साधनों का प्रवर्तन होने से राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में राज्य अधिनियम के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें। तथापि, उक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गए रूप में इस सम्बन्ध में विद्यमान केन्द्रीय तथा राज्य कानून के प्रतिस्थापन का विषय विचाराधीन है।

(ङ) वाणिज्यक तोल तथा माप साधनों की जांच के लिए निरीक्षण स्टाफ द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले तोल तथा माप साधनों में से अधिकांश इंडिया गवर्नमेंट मिंट, बम्बई में बनते हैं। सरकार के लिए वाणिज्यिक तोल तथा माप साधन बनाना संभव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा ताइवान के साथ किया गया निर्यात एवं आयात व्यापार

4804. श्री समर गुह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1971 से लेकर अब तक ताइवान के साथ निर्यात एवं आयात व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी;

(ख) क्या केवल राज्य व्यापार निगम ही यह व्यापार करता है और यदि हां, तो वर्ष 1970 से लेकर ताइवान के साथ किन किन वस्तुओं का निर्यात एवं आयात व्यापार हो रहा है ;

(ग) क्या भारत और ताइवान के बीच गैर-सरकारी व्यापार बढ़ रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971-72 में ताइवान को भारत के निर्यात 513 लाख रु० के हुए थे जो 1972-73 में गिरकर 149 लाख रु० के रह गए। तथापि, 1971-72 में ताइवान से भारत में 37 लाख रु० के जो आयात हुए थे वे 1972-73 में बढ़कर 57 लाख रु० के हो गए।

(ख) जी, नहीं। प्रश्न के साथ वाले भाग पर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) ताइवान के साथ क्षेत्रवार व्यापार के आंकड़े नहीं रखे जाते।

भारतीय माल के निर्यात को बढ़ाना

4805. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय सामान के निर्यात को और अधिक बढ़ाने संबंधी संभावनायें क्या हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में निर्यात व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) निकट सम्भावनायें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा लातीनी अमरीका के बाजारों में परम्परागत तथा अपरम्परागत दोनों प्रकार के विभिन्न किस्मों के भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। निर्यातों में वृद्धि करने के लिये किये गये उपायों में निर्यात-अभिमुख उत्पादों की निर्यात संभाव्यता का पता लगाना बाजार सर्वेक्षण, उत्पादों के उत्पादन आधार को मजबूत बनाना, विभिन्न प्रचार माध्यमों से बिक्री संवर्धन उपायों में सुधार करना, आद्योपान्त परियोजनाओं तथा अधिक मूल्य वाली अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं में भाग लेना, भारतीय परामर्शी सेवाओं के निर्यात का प्रभावी संवर्धन तथा विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना, बिक्री सेवाओं में सुधार, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के दौरे तथा व्यापार करारों/व्यवस्थाओं को संपन्न करना शामिल है।

(ख) अप्रैल-अगस्त 1973 की नवीनतम अवधि के दौरान, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत के निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) 850.8 करोड़ रुपये के हुए जबकि 1972 के उन्हीं महीनों में 757.1 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे। यह 93.7 करोड़ रुपये अथवा 12.4 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देता है।

(ग) निर्यातों के लिये बाजार भारतीय उप-महाद्वीप के आसपास मध्यपूर्व के देश, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा हिन्द महासागर के आसपास के अन्य देश हैं।

Release of Coarse Cloth Quota to Madhya Pradesh

4806. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government for early release of coarse cloth quota to the State; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) & (b) The Government of Madhya Pradesh had approached the Textile Commissioner for the allotment of 1000 bales more of controlled cloth for November, 1973. They were informed that, based on the production of controlled cloth reported to the Textile Commissioner by mills, 1468.5 bales of controlled cloth already allotted to the State were in excess of its share of controlled cloth for that month.

Raids to unearth Black Money in Madhya Pradesh

4807. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of raids conducted by the Income-tax Department in Madhya Pradesh

to unearth undisclosed money during 1972-73;

(b) the amount unearthed as a result thereof; and

(c) the action taken by Government against the persons found guilty?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) Three.

(b) Rs. 2,23,812.

(c) In one case nothing incriminating was found. In other two cases assessment proceedings are in progress and action as found necessary in law will be taken.

Loans Advanced by Public Sector Banks to Farmers and Industrialists in Madhya Pradesh

4808. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loans advanced to farmers and industrialists in Madhya Pradesh by the Banks in public sector during the last three years; and

(b) area-wise data thereof as compared to that before nationalisation?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) & (b) Outstanding advances to formers (Direct Finance) and small scale industries by public sector banks in Madhya Pradesh during the last three years have been as follows:—

(in lakhs of Rupees)

	Period ending	*Amount Outstanding*
Farmers	June 1969	70
	June 1970	533
	June 1971	740
	June 1972	842
	Dec. 1972	1012
Small Scale Industries	June 1969	832
	June 1970	1101
	June 1971	1347
	June 1972	1590
	Dec. 1972	1564 (Provisional)

Separate data relating to advances to "industrialists" granted by public sector banks in Madhya Pradesh and area-wise figures are not available. The outstandings of credit granted by all scheduled commercial banks to industries in Madhya Pradesh as at the end of December, 1972 stood at Rs. 72.30 crores.

Procurement of Cotton on monopoly basis from Madhya Pradesh

4809. Shri G.C. Dixit: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have started procurement of cotton on monopoly basis; and

(b) if so, whether same type of cotton was procured at different prices; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

1974 में दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार मेले में भाग लेने वाले संभावित देश

4810. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार मेले में किन किन देशों के भाग लेने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): विश्व के ऐसे सभी देशों को निमंत्रण दिये गये हैं, जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं। मेले में जिन देशों द्वारा भाग लिये जाने की संभावना है, उनके नाम बताना अभी संभव नहीं है।

इण्डियन एयरलाइंस के प्रबंधकों द्वारा इण्डियन कर्मशियल पायलट्स एसोसिएशन के साथ किये गये समझौते की समाप्ति

4811. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबंधकों का विचार इण्डियन एयरलाइन्स कर्मशियल पायलट्स एसोसिएशन के साथ अपना समझौता समाप्त कर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके विकल्प के रूप में किये जाने वाले किसी नये समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) सारगर्भित वार्तायें चलाने तथा नयी सेवा शर्तें निर्धारित करने की दृष्टि से इण्डियन एयरलाइन्स ने भारतीय वाणिज्यिक विमान-चालक संघ तथा तीन अन्य संघों/एसोसिएशनों के साथ हुए समझौते की समाप्ति के नोटिस 22 नवम्बर, 1973 को जारी किये थे। नवीन समझौते के लिये अभी वार्तायें प्रारम्भ नहीं हुई हैं लेकिन प्रबंधकवर्ग का मन्तव्य केवल अपव्ययी कार्य-प्रणालियों को समाप्त करना तथा उससे सेवाओं की सुरक्षा तथा कुशलता में सुधार करना है।

विदेशों से ऋण

4812. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भारत परियोजना विशेष से संबद्ध और निर्धारित गैर-परियोजना सप्लाई हेतु दिये जाने वाले विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिये उत्सुक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के कुल कितने ऋण का अब तक भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) क्या कुछ देश अथवा एजेंसियां भारत को भारतीय ऋण देने पर सहमत हो गई हैं जिन्हें किसी परियोजना के लिये सम्बद्ध नहीं समझा जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत ने सहायता को सामान प्राप्त करने के स्रोत से संबद्ध न करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

(ग) पश्चिम जर्मनी ने सहायता को सामान की प्राप्ति के स्रोत से अनाबद्ध कर दिया है। विश्व बैंक समूह से मिलने वाली सहायता और स्वीडन ऋण हमेशा से इसी प्रकार अनाबद्ध रहे हैं।

स्वनियोजना की ओर योजनाओं के लिए धन

4813. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यापक रूप से प्रकट की गई इन भावनाओं की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक सारे देश म और विशेष कर आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्वनियोजन की योजनाओं में धन देने के संबंध में आशाओं के अनुकूल नहीं उतरे हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या मूल्यांकन है; और

(ग) इसमें यदि कोई बाधक कारण हैं तो उनको दूर करने तथा स्थिति को सुधारने के लिये क्या कर्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है तब स सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनायी गयी नीति का लक्ष्य आत्म नियोजन योजनाओं के लिये अधिकाधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऋण लेने वालों के लेखों की संख्या तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की व्यावसायिक और आत्म नियोजित व्यक्तियों की श्रेणी के अन्तर्गत बकाया अग्रिमों के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है :–

व्यवसायिक और आत्म नियोजित व्यक्तियों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बकाया अग्रिम

	अखिल भारतीय		आन्ध्र प्रदेश	
	लेखों की संख्या	बकाया रकम	लेखों की संख्या	बकाया रकम
जून 1969 के अन्त में	7,769	191	569	10
मार्च 1973* के अन्त में	89,127	1824	7,571	89

*अनन्तिम

उपर्युक्त के अलावा, कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार तथा लघु व्यवसाय, आदि जैसे अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये बैंक अग्रिमों में, इस क्षेत्रों में काम करने वाले आत्म नियोजित व्यक्तियों को दिये गये अग्रिमों के भी कई मामले शामिल होंगे। वित्त पोषण करने के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, अपने विकास कार्यों में जुटे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा परामर्शदायी सेवायें प्रदान करने के लिये भी कदम उठाये हैं। हाल में, अपने प्रयत्नों में और तेजी लाने तथा योजना आयोग द्वारा बनाये गये पांच लाख लोगों को रोजगार दिलाने के कार्यक्रम में सहायता देने के लिये उन्हें कुछ सुझाव दिये गये हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं :–

(i) सक्षमता के आधार पर, ऋणों प्रार्थना-पत्रों को तेजी से जहाँ तक हो सके दो महीनों में निपटाने को सुनिश्चित करना और इस दिशा में, संगठन तथा प्रक्रिया आदि की समीक्षा करना;

(ii) इन योजनाओं के लिये उचित दर पर ब्याज लेना;

(iii) उचित मार्जिन निर्धारित करना जिसे लघु ऋणों के संबन्ध में उचित रूप से कम रखा जाना चाहिये, तथा तकनीकी उद्यमकर्ताओं के लिये योजनाओं के तेजी से प्रसार के सुनिश्चित करना, जिनके लिये किसी प्रकार के मार्जिन मनी की गुंजाइश नहीं रखी गयी है;

(iv) छोटे उद्यमकर्ताओं को परामर्शदायी तथा सलाह देने संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिये, राज्य सरकारें तथा उनके नियमित अभिकरणों के प्रयत्नों की पूर्ति करना;

(v) जिला तथा राज्य अधिकरणों और राज्य वित्तीय तथा निगमों में निकट संपर्क स्थापित करना ताकि सक्षम परियोजनाओं को ऋण सहायता प्रदान करने के लिये तेजी से निर्णय लिये जा सकें।

सामान्य बीमा निगम के प्रादेशिक कार्यालयों की स्थापना के बारे में आन्ध्र प्रदेश वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष द्वारा किया गया अनुरोध

4814. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष ने दिनांक 15 नवम्बर, 1973 के अपने एक पत्र में भारतीय सामान्य बीमा निगम के चार वर्गों के प्रादेशिक कार्यालयों को हैदराबाद में स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या उसमें उल्लिखित न्यायोचित कारणों को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध स्वीकार किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) कार्यचालन की अधिकतम दक्षता को ध्यान में रखकर समूहों के संगठनात्मक ढांचे को आयोजित करना होगा और उस विचार से केवल चार महानगरीय केन्द्रों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना उचित समझी गयी। आन्ध्र प्रदेश के वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ का सुझाव मुख्यत: इस तर्क पर आधारित है कि कोई भी कार्यालय, निर्णय लेने की पर्याप्त शक्तियां होने पर ही, अधिक कारगार तरीके से कार्य करेगा तथा विशिष्ट प्रकार के बीमों को और बड़े दावों को निपटाने में भी समर्थ होगा, परन्तु, इस उद्देश्य की पूर्ति हैदराबाद में पर्यात शक्तियां देकर एक प्रभागीय कार्यालय स्थापित करने से हो सकती है।

सामान्य बीमा कर्मचारियों के वेतन-मानों और सेवा शर्तों सम्बन्धी मथरानी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

4815. श्री वसंत साठे

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामन्य बीमा कर्मचारियों के वेतन-मानों और सेवा शर्तों संबंधी मथरानी समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और उनकी क्रियान्विति पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) क्या सामान्य बीमा अधिकारियों ने इस प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन मामलों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जिनके बारे में अधिकारियों को शिकायत है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) तथा (ख) जी, हां। वेतनमानों तथा सेवा शर्तों के संबंध में रिपोर्टों की मुख्य-मुख्य बातों का एक विवरण-पत्र संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6010/73]** अधिकारियों के संबंध में रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है, इसलिये कर्मचारियों के सभी वर्गों के संबंध में वित्तीय फलितार्थ अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) इन मुद्दों की जांच करने की दृष्टि से नवम्बर 1973 के अन्तिम सप्ताह में कर्मचारियों के सभी संघों के साथ विविध बीमा निगम की संयुक्त बैठक हुई थी।

सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखों में उनकी राशि का जमा न किया जाना

4816. श्री वसन्त साठे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महालेखाकारों द्वारा रखे जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में कर्मचारियों की राशि लेखों में जमा न करने की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में राशि लेखों में जमा न किये जाने का समाचार है और लेखों में जमा न की गई कुल राशि कितनी है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकारी कर्मचारी लेखों में राशि जमा न किये जाने के किसी भय के बिना भविष्य निधि में अधिकतम राशि की बचत करें, भविष्य निधि के लेखों को रखने की दोषहीन और सक्षम पद्धति करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर०गणेश) : (क) महालेखाकार द्वारा रखे जाने वाले भविष्य निधि खातों में जमा नहीं की गई रकमों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस संबंध में स्थिति अन्य कार्यालयों की अपेक्षा कुछ कार्यालयों में अधिक असन्तोषजनक नहीं है।

(ख) 30 सितम्बर, 1972 की स्थिति के अनुसार सभी महालेखाकारों द्वारा रखे जाने वाले लगभग 34 लाख भविष्य निधि खातों में प्रतिवर्ष अंशदाताओं की लगभग 4 करोड़ आठ लाख जमा राशियों को खतियान पड़ता है जिनमें लगभग 35 लाख संख्या गुम जमा राशियों की है जिसमें वर्ष 1971–72 की दस लाख तथा पूर्ववर्ती वर्षों की लगभग 25 लाख है। मोटे तौर पर वर्ष 1971–72 से संबंधित जमा राशियों का लगभग 2.5 प्रतिशत गुम है। खातों में प्रतिवर्ष खतियाये जाने वाली जमा राशियों की कुल संख्या के प्रति गुम जमा राशियों की प्रतिशतता भिन्न भिन्न कार्यालय में भिन्न भिन्न है। कुछ कार्यालयों में यह 0.3 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक कम है और अन्य कार्यालयों में इससे अधिक है। गुम जमा राशियों में ग्रस्त रकम की गणना करना बहुत ही कठिन है क्योंकि भिन्न भिन्न अंशदाताओं की भिन्न भिन्न रकमें हैं और ये राशियां भविष्य निधि नियमावली के अनुसार कुछ अवधियों के दौरान नहीं किये गये अंशदानों के कारण भी हो सकती हैं।

(ग) आमतौर पर इन कारणों से जमा राशियां गुम हो जाती हैं—आहरण अधिकारियों द्वारा अनुसूचियों का त्रुटिपूर्ण तैयार किया जाना खाता संख्याओं के आवंटन से पूर्व ही आहरण अधिकारियों द्वारा अंशदानों की वसूली, विभिन्न स्तरों पर मार्ग में अनुसूचियों का गुम जाना, खातों में जमा राशियों का गलत वर्गीकरण, कुछ विभागों में सरकारी कर्मचारियों के बार बार स्थानान्तरण तथा स्वीयेतर सेवा/प्रतिनियुक्ति/ड्यूटी पर गये सरकारी कर्मचारियों के अंशदानों को अन्य लेखा सर्किलों में भेजने में देरी जिसमें विनिमय खातों के जरिये निपटारे की समस्या भी ग्रस्त है। इन जटिलताओं के कारण बिगड़ी हुई समग्र स्थिति समीक्षाधीन है। गुम जमाराशियों के समायोजन के लिये अब तक किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं---महालेखाकार के कार्यालय में अंशदाताओं के सही खाता नम्बरों को वर्णानुक्रमिक सूचकांक रजिस्टरों से ढूंढना, नहीं खतियायी गई मदों के सम्बन्ध में सही अनुसूचियां तथा ब्यौरों को प्राप्त करने के लिये आहरण अधिकारियों तथा खजाना अधिकारियों से पत्र-व्यवहार, कुछ मामलों में हिसाब-किताब माध्यम के स्थान पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा लेखा सर्किलों के बीच जमाराशियों का अन्तरण, प्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर गुम जमाराशियों के समायोजनों में उदारीकरण तथा जहां कहीं आवश्यक हो, मौके पर चलते फिरते दलों को भेज कर अपेक्षित ब्यौरों को इकट्ठा करना।

Rise in Prices of Essential Commodities *vis-a-vis* Interim Relief given to Government Employees

4817. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the extent to which prices of milk, coal, kerosene oil and rationed food articles have increased recently from 1st October, 1973 to-date;

(b) whether this increase is much less as compared to the recent increase in salary or interim relief given to the employees; and

(c) the reaction of Government to the rising prices and the relief given to Government employees?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) Between 29th September and 24th November 1973, the wholesale price index (1961-62=100) for cereals has risen by 4.4 per cent, for Kerosene oil by 31.2 per cent, and for sugar by 0.1 per cent. There has been no change in Coal prices, while milk prices have declined by 8.8 per cent over the same period.

(b) & (c) The weighted average increase for the above items comes to 2.1 per cent, whereas the dearness allowance recently sanctioned to Government Employees drawing upto Rs. 1200 p.m. in the revised pay scales would mean an addition of 2.25 to 4 per cent to their pay.

विमान परिचायकाओं की सेवानिवृत्ति की आयु

4818. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान परिचायकाओं की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 30 वर्ष है और यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तो वे 40 वर्ष तक सेवा में रह सकती हैं;

(ख) क्या विवाह करने की स्थिति में उन्हें तुरन्त सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विभिन्न देशों में अन्य विमान कम्पनियां भी इसी नियम का अनुसरण करती हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के सेवा विनियमों के अनुसार, एक विमान परिचारिका 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अथवा, जब वह शादी कर लेती है, जो भी पहले हो, सेवा-निवृत्त हो जाती है। परन्तु, प्रबंधकवर्ग एक अविवाहित विमान परिचारिका को 40 वर्ष की आयु तक सेवा में रख सकता है बशर्ते कि वह डाक्टरी तौर पर स्वस्थ हो और उसका सेवा का रिकार्ड संतोष-जनक हो। ऐसा समझा जाता है कि एक अविवाहित विमान परिचारिका अपने कर्तव्य-पालन में अधिक सक्षम है। इस संबंध में दोनों एयर कारपोरेशनों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्य-प्रणाली विदेशों में बहुत सी एयरलाइनों में प्रचलित प्रथा के अनुरूप है।

भारत में परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के दल का दौरा

4819. श्री कमल मिश्र मधुकर

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने भारत में विभिन्न परियोजनाओं के लिये सहायता देने हेतु हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या दल ने राजस्थान में राजस्थान नहर एवं चम्बल क्षेत्रों के लिये सहायता की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ) विश्व बैंक के एक दल ने राजस्थान नहर तथा चम्बल नदी क्षेत्र विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिये हाल में राजस्थान का दौरा किया है। दल अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक को प्रस्तुत करेगा। इन परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से लगभग 8 करोड़ डालर का ऋण मिलने की संभावना है।

भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ, लाभांश और अन्य खर्चों के रूप में स्वदेश भेजी गई धन-राशि

4820. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ लाभांश और अन्य खर्चों के रूप में स्वदेश भेजी गयी धनराशि के बारे में 27 जुलाई 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 905 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त उत्तर में लिखित कम्पनियों से अतिरिक्त अन्य विदेशी कम्पनियों के बारे में सूचना एकत्र कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्होंने गत वर्षों में कितनी धनराशि स्वदेश भेजी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) सूचना अभी भी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में आय-कर की बकाया राशि

4821. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में आयकर की बकाया राशि बहुत बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1973 के अन्त में कुल कितनी राशि बकाया थी और उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर 5000 रु० से अधिक राशि बकाया है; और

(ग) सरकार ने बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर आयुक्त, पटना, बिहार के कार्य-क्षेत्र में 31-3-1972 और 31-3-1973 को वसूली के लिये आयकर की सकल तथा शुद्ध बकाया निम्न प्रकार है :-

	(करोड़ रु० में) बकाया	
निम्नलिखित तारीख को	सकल	शुद्ध
31-3-1972	16.17	11.26
31-3-1973	14.72	12.46

इस प्रकार यह देखने में आयेगा कि जबकि सकल बकाया घट गयी है, लेकिन शुद्ध बकाया में वृद्धि हुई है।

(ख) बकाया के संबंध में आयकर के आंकड़े तिमाही आधार पर तैयार किये जाते हैं। आयकर आयुक्त बिहार के कार्यक्षेत्र में वसूली के लिये पड़ी आयकर की सकल और शुद्ध बकाया 30-6-1973 को क्रमशः 14.46 और 13.19 करोड़ रुपये थी।

ऐसे निर्धारितियों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है जिनकी तरफ 30-6-1973 को 5000 रु० से अधिक की बकाया थी और उसे एकत्रित करने में लम्बा समय लगेगा। जिन निर्धारितियों की ओर 30-6-1973 को 50,000 रु० से अधिक आयकर की शुद्ध बकाया थी उनके बारे में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) सरकार द्वारा बकाया की वसूली के लिये किये गये उपाय अनुबंध में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०6011/73]**

इण्डियन एयरलाइंस के लिए ग्राउन्ड हैंडलिंग इक्विपमेंट खरीदने में मालूम हुई अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

4822. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में फ्रांस से इण्डियन एयरलाइन्स के लिये कैरेवल ग्राउन्ड हैंडलिंग इक्विपमेंट खरीदने में मालूम हुई अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभी अपना जांचकार्य पूरा नहीं किया है।

बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर विचार

4823. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग आयोग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्गठन के बारे में की गई सिफारिशों पर विचार पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :(क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुन:संरचना के बारे में बैंकिंग आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

साईकिलों के निर्यात में वृद्धि

4824. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साईकिलों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या साईकिल निर्माण उद्योग के विकास और साईकिलों के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई कार्यक्रम विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी०जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय साईकिलों के निर्यात में वृद्धि हुई है, जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से मालूम होता है :–

वर्ष	मात्रा (संख्या)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1971–72	1,42,620	1.84
1972–73	2,11,576	2.58
1973–74 (अप्रैल-सितम्बर, 73)	उपलब्ध नहीं है	1.39

साईकिलों के मुख्य खरीदार इस प्रकार हैं:–

(1) इंडोनेशिया (2) ईरान (3) नाइजीरिया (4) बंगला देश तथा (5) सं० रा० अमरीका।

(ग) तथा (घ) साईकिल उद्योग अधिकतर आत्मनिर्भर है तथा देश में उपलब्ध साधनों से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की स्थिति में है।

राज्य व्यापार निगम के कार्यों में बिचौलियों की भूमिका

4825. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विदेशी पूर्तिकर्त्ताओं के साथ सीधा संबंध स्थापित करने तथा उसके द्वारा अधिक किफायत पर खरीदारियां करने की दृष्टि से राज्य व्यापार निगम अभिकर्त्ताओं के कार्यों की बराबर जांच करता रहता है।

नये औद्योगिक संस्थानों को रियायती रुपया ऋण सहायता दिया जाना

4826. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनायें लगाने वाले नये औद्योगिक संस्थानों को रियायती रुपया ऋण सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, देश के विशिष्ट पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार की परियोजनाओं के लिये दिये जाने वाले पात्र ऋणों के बारे में राज्यीय वित्त निगमों/बैंकों को प्रत्यक्ष सहायता देने और पुनर्वित प्रदान करने, दोनों के संबंध में जुलाई 1970 से रियायती आधार पर धन देने की योजनायें चला रहा है। अब पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को प्रत्यक्ष ऋण 9 प्रतिशत वार्षिक की सामान्य दर की बजाय $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर दिये जाते हैं। मूलतः योजना के अन्तर्गत रियायतें

केवल उन्हीं परियोजनाओं को दी जाती थीं जहां परियोजना की कुल लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती थी। किन्तु फरवरी 1973 में इस सीमा को 3 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। जून 1973 में इस योजना को और अधिक उदार बना दिया गया और अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय ऋण और निवेश निगम के सहयोग से, प्रत्यक्ष रियायती सहायता योजना के अन्तर्गत, विशिष्ट पिछड़े हुए जिलों में परियोजनाओं की स्थापना करने वाले प्रतिष्ठानों को, चाहे परियोजनाओं की लागत कितनी भी क्यों न हो, 2 करोड़ रुपये तक रुपया-ऋण सहायता दी जाती है और 1 करोड़ रुपये तक की हामीदारी संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त सीमा से अधिक सहायता साधारणतः सामान्य शर्तों पर दी जायेगी यद्यपि गुणावगुण के आधार पर विशेष परिस्थितियों में अपवाद किया जा सकता है। दूसरी रियायतों में ऋण संबंधी छूट की लम्बी अवधि और ऋण परिशोधन के लिये अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अवधि, वचनबद्धता –प्रभार में कमी, हामीदारी के कमीशन में कमी आदि का किया जाना शामिल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्यीय वित्त निगमों और बैंकों को, विशिष्ट पिछड़े हुए क्षेत्रों में उनके द्वारा छोटे और मध्यम आकार की परियोजनाओं को दिये जाने वाले सभी पात्र ऋणों के संबंध में 4 प्रतिशत की रियायती दर से पुनर्वित प्रदान करता है जिससे कि प्राथमिक वित्तीय संस्थाओं को (10.5 प्रतिशत की सामान्य दर और 8.5 की विशेष दर के मुकाबले जिस पर छोटे पैमाने के उन एककों को ऋण दिया जाता है जो ऋण-गारण्टी योजना के अन्तर्गत आते हैं) 7.5 प्रतिशत से अनधिक दर पर ऋण देने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। ये रियायतें प्राथमिक ऋण-दाता द्वारा 20 लाख रुपये तक स्वीकृत ऋणों के संबंध में उपलब्ध कराई गई थीं। फरवरी 1973 से, रियायती पुनर्वित्त सहायता, विशिष्ट पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार की परियोजनाओं को दिये जाने वाले सभी पात्र ऋणों के संबंध में 30 लाख रुपये की सीमा तक दी जाती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऋण प्राप्त करने वाले एककों की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। पुनर्वित्त प्रदान करने के मामले में अन्य रियायतों का संबंध उन मामलों में, जहां प्रारम्भिक ऋणदाता संस्थाओं ने इस प्रकार की रियायतें दे रखी हों, वचन-बद्धता और प्रभार न लगाने, 2 या 3 वर्षों या इससे भी अधिक वर्षों की अवधि के लिये प्रारम्भिक ऋण-स्थगन अवधि सहित वापसी अदायगी की अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अवधि प्रारम्भिक वर्षों में मूल और ब्याज की किस्तों की अदायगी के स्थगन आदि से है।

जुलाई 1970 से सितम्बर 1973 के अन्त तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने रियायती शर्तों पर, विशिष्ट पिछड़े हुए जिलों में परियोजनाओं के लिये प्राप्त 1036 आवेदन-पत्रों पर 14.7 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता और 28 परियोजनाओं के लिये 24.1 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष-सहायता स्वीकार की है।

सिले-सिलाये कपड़े के निर्यात में कमी होना

4827. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कपड़ा मिलों के कथित मशीनीकरण के कारण भारत से सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात को काफी धक्का पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1971 से 1973 तक पटसन के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

4828. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 में पटसन के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) 1971–72 तथा 1972-73 के दौरान पटसन माल के निर्यात क्रमशः 264.71 करोड़ रुपये तथा 247.12 करोड़ रुपये के हुए थे।

(ख) संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों से कड़ी प्रतियोगिता होने के कारण आय में कमी आई है। सरकार ने अनेक उपाय आरंभ किये हैं जिनमें निर्यात शुल्क का घटाया जाना और पटसन की प्रतियोगिता स्थिति सुधारने के लिये गवेषणा तथा विकास पर अधिकाधिक बल देना शामिल है।

Trade Agreements with other Countries re: Cotton Export.

4829. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether any agreement has been reached with U.S.S.R., Canada and Japan for importing garments made of Indian cotton;

(b) whether he is aware that the production of cotton is likely to decline in the near future thereby upsetting the arrangements for import of garments from the said countries; and

(c) the difficulty being experienced by Government in manufacturing garments in the country instead of importing them from abroad?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Proposal to Import Essential Commodities on credit basis

4830. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to import some essential commodities on credit basis with a view to save foreign currency;

(b) if so, the names thereof and the names of the countries from which these are to be imported; and

(c) Whether any efforts have been made in this direction?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) Long-term loans and credits which are available from foreign countries and international institutions are already being used for import of essential raw materials as well as capital equipment. There is no proposal to use commercial credits for import of raw materials.

(b) Does not arise.

(c) Efforts in this direction will be made as and when necessary.

बंगला देश को सूती कपड़े का निर्यात

4831. श्री एम० एस० पुरती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने बंगला देश को कितना कपड़ा सप्लाई किया है और उस देश को सूती कपड़ा निर्यात करने का वार्षिक लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : अप्रैल-अक्तूबर, 1973 के दौरान 2.72 करोड़ रुपये मूल्य का सूती वस्त्र बंगलादेश को निर्यात किया गया है । बंगलादेश को सूती कपड़े के निर्यात के लिये कोई समग्र वार्षिक लक्ष्य नहीं है । तथापि, 28-9-1973 से 27-9-1974 तक की अवधि के लिये वर्तमान सीमित भुगतान करार में बंगलादेश द्वारा भारत से 300 लाख रुपये तक के सूती वस्त्र खरीदने की व्यवस्था है ।

चीनी के उत्पादन शुल्क में छूट

4832. श्री के० लकप्पा

श्री पुरुशोत्तम काकोडकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 29 सितम्बर, 1973 को उत्पादन शुल्क में कुछ छूट की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इससे उद्योग को अधिकतम उत्पादन करने में सहायता मिलेगी;

(ग) क्या इससे मिल मालिक गन्ने की ऊंची कीमत देने में भी समर्थ होंगे; और

(घ) क्या छूट की प्रतिशतता विभिन्न अवधियों के दौरान भिन्न भिन्न होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) जी, हां।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात

4833. श्री के० लकप्पा

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 1 सितम्बर में सोवियत संघ और बंगलादेश को प्रतिनिधिमंडल भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या अखबारी कागज के आयात के बारे में कोई बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा सितम्बर, 1973 में सोवियत संघ तथा बंगलादेश को कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजे गये थे। तथापि, राज्य व्यापार निगम ने अखबारी कागज की खरीद के लिये मई-जून, 1973 में सोवियत संघ को प्रतिनिधिमंडल भेजा था और वार्ताओं के फलस्वरूप वर्ष 1973-74 में सप्लाई के लिये 28000 मे० टन अखबारी कागज के लिये संविदा की गई और इसके साथ ही उसी वर्ष में और आगे सप्लाई के लिये 22000 मे० टन अखबारी कागज की भी व्यवस्था की गई जिसके लिये कीमत नवम्बर-दिसम्बर, 1973 में तय की जानी थी। इस संबंध में रूसी सप्लायरों के साथ वार्तायें इस समय चल रही हैं।

बंगलादेश के संबंध में वार्तायें जारी हैं।

राज्य की राजधानियों से विमान द्वारा एक ही दिन में दिल्ली पहुंचना

4834. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों के समय निर्धारण करने में थोड़ी फेर बदल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि राज्यों की राजधानियों और नई दिल्ली के बीच विमान द्वारा एक ही दिन में आया जाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो यह फेर बदल कब से लागू की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि विमान द्वारा एक ही दिन में दिल्ली न पहुंचने के कारण कुछ राज्यों की राजधानियों को हानि उठानी पड़ती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) अपनी समय-सारणी तैयार करने में इंडियन एयरलाइंस दिल्ली तथा विभिन्न राज्यों की राजधानियों के बीच, जिनके लिये विमान सेवाएं विमानों की उपलब्धता, परि-चालनात्मक आवश्यकताओं, आदि को दृष्टि में रखते हुए ही परिचालित की जाती हैं, उसी दिन का कनेक्शन प्रदान करने का प्रयत्न करती है।

इम्फाल हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण

4835. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इम्फाल हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के प्रस्तावित निर्माण की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त निर्माण में विलम्ब के कारण जनता में व्यापक असंतोष है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इसे गति देने के लिए विशेष उपाय करने का है; और

(घ) प्रस्ताव पर विचार कब प्रारम्भ हुआ और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) इम्फाल विमानक्षेत्र पर एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण को मार्च, 1972 में स्वीकृति दी गयी थी। कोई अनुकूल निविदा प्राप्त न होने के कारण कार्य को अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। मूल्य को घटाने की दृष्टि से विनिर्देशों (स्पीसिफिकेशन्स) को परिवर्तित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यदि यह सफल रहा तो नए प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे।

मणिपुर में हथकरघा उद्योग को सहायता

4836. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर में हथकरघा उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है;

(ख) क्या सरकार मणिपुर में हथकरघा उद्योग के लिए एक अलग निदेशालय और पर्याप्त कार्यकारी दल बनाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) :(क) से (ग) मणिपुर में हथकरघा उद्योग का विकास करना मुख्य रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। अत: राज्य में उद्योग के लिए प्रथक निदेशालय तथा उपयुक्त कृत्तिक दल की स्थापना करने का प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य में उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दे रही है। वित्तीय सहायता राज्य की वार्षिक योजना की अधिकतम सीमाओं के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य में एक बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

मणिपुर में पर्यटन के लिए एक अलग निदेशालय

4837. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर सरकार अलग से एक पर्यटन निदेशालय बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस स्तर का;

(ग) मणिपुर के वर्तमान पर्यटन विभाग का ढांचा क्या है और उसमें कितने कर्मचारी हैं; और

(घ) क्या सरकार ने पहले ही से निर्मित पर्यटक बंगलों के आसपास विकास करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी मणिपुर सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन में सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खादी करघे के कपड़े और सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

4838. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और हथकरघे के कपड़े तथा सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात के लिए अब तक क्या उपाय किये गए हैं, उनका निर्यात करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं और कौन कौन से देश उन्हें खरीदते हैं।

(ख) क्या सरकार को पता है कि खादी तथा हथकरघे के कपड़ों की लोकप्रियता स्वदेश और विदेशों में बढ़ती जा रही है;

(ग) क्या सरकार विदेशों में तथा देश में इस व्यापार के विस्तार के लिए नए उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) जी हां।

विवरण

(क) हथकरघा कपड़े तथा परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं; अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रसिद्ध विदेशी पत्नों तथा पत्रिकाओं में विज्ञापन के माध्यम से विनियमित तथा प्रभावशाली प्रचार, बाजार अध्ययन, बाजार ढूंढने तथा सृजन करने के लिए अध्ययन दल तथा प्रतिनिधिमण्डल भेजना, आयात नीति के अन्तर्गत रंजक तथा रासायनिक पदार्थों तथा सिले सिलाये परिधान मशीनरी की मदों के आयात के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान करना।

(ख) हथकरघा माल के निर्यात के संवर्धन में लगे हुए अभिकरण ये हैं (1) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद मद्रास (2) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई (3) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम तथा (4) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि०, बम्बई। खादी के लिए अभिकरण हैं। (1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (2) खादी ग्रामोद्योग भवन।

(ग) जो देश विस्तृत मात्रा में इन वस्तुओं का आयात करते हैं वे हैं: (1) पूर्व यूरोपीय देश, (2) नार्डिक देश (3) यूरोपीय साझा बाजार के देश, (4) सं० रा० अमरीका (5) कनाडा (6) पश्चिम अफ्रीकी देश (7) जापान (8) आस्ट्रेलिया तथा (9) न्यूजीलैण्ड।

(घ) ऊपर (क) में बताये गए उपायों के अलावा इन वस्तुओं के व्यापार विस्तार के लिए जो और उपाय किये जा रहे हैं, वे ये हैं:

(1) नई वस्तुएं प्रस्तुत करने के लिए निरन्तर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(2) व्यापार करारों, व्यापार वार्ताओं आदि के अन्तर्गत विदेशी सरकारों से, जहां भी संभव हो, टैरिफ रियायतें प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(3) निर्यातकों को बाजार जानकारी देने, प्रतियोगी दरों पर कच्चे माल की सप्लाई आदि के रूप में सहायता।

(4) कतिपय देशों को निर्यातों के लिए अपेक्षित निरीक्षण प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरण का सरलीकरण।

(5) नये डिजाइन तैयार करने में तथा हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन में तकनीकी सुधार लाने हेतु हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के लिए और अधिक बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना करना जिससे स्थानीय एवं विदेशी बाजारों में बिक्री बढ़ेगी।

(6) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति तथा हस्तशिल्प व हथकरघा निर्यात निगम द्वारा विदेशी कार्यालय खोलना; और

(7) खादी के माल की भारत तथा विदेशों में बिक्री में सुधार करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समय समय पर बाजार सर्वेक्षण करके निरन्तर प्रयास करना।

निर्यात ऋण की ब्याज दर

4839. श्री चन्द्रशेखर सिंह

श्री सरजू पांडे :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्यात ऋण की ब्याज दर में हाल की वृद्धि के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जहाज पर चढ़ाने से पूर्व (पैकिंग क्रेडिट्स) और जहाज पर चढ़ाने के बाद के माल पर जो ऋण मिलता है इस पर पहले निर्धारित की गयी ब्याज की अधिकेतम सीमा को 7 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर तत्काल 8 प्रतिशत वार्षिक करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए निदेश के विरुद्ध सरकार को कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आस्थगित आदयगी शर्तों पर निर्यात के लिए उपलब्ध किये गए ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की दर की अधिकतम सीमा 6 प्रतिशत वार्षिक ही बनी हुई है।

(ख) अभ्यावेदनों में दी गयी मुख्य बातें ये हैं कि निर्यात वित्त पर ब्याज की दर में वृद्धि किये जाने का विदेशों में भारतीय उत्पादों की प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और निश्चित रूप से निर्यात में वृद्धि करने की सरकार की नीति के विरुद्ध होगा।

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात वित्त पर लागू ब्याज की दर की अधिकतम सीमा में वृद्धि कुल मिलाकर मुद्रा की स्थिति और ब्याज की दर के ढांचे में उपयुक्त एक रूपता लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गयी है। अब बैंक ऋणों पर ऋण देने की ब्याज की न्यूनतम दर 11 प्रतिशत होने पर, निर्यातकर्ताओं को निर्यात ऋणों पर 8 प्रतिशत या 6 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देकर काफी रियायत दी जाती है। चूंकि ब्याज की दर की अधिकतम सीमा में वृद्धि केवल बैंक द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले अल्पावधिक निर्यात ऋणों पर की गयी है और आस्थागित अदायगी के आधार पर किये जाने वाले निर्यात पर ब्याज की दर की अधिकतम सीमा 6 प्रतिशत ही बनी हुई है इसलिए ब्याज की दर की अधिकतम सीमा में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप सामान्य निर्यात को कोई हानि पहुंचने की संभावना नहीं है।

बम्बई में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

4840. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने हाल ही में मध्य एवं दक्षिण बम्बई में 10 नवम्बर, 1973 को 11.5 लाख रुपए के मूल्य का सोना तथा कपड़ा पकड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 10-11-73 को बम्बई में सोने, वस्त्र और नाइलोन तथा रेडिएंट धागे के निम्नलिखित अभिग्रहण किये:—

क्र० सं०	अभिग्रहण का स्थान	पकड़ी गई वस्तुएं	बाजार दर पर मूल्य	गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या
1.	कालबादेवी	वस्त्र	0.23	3
2.	माहिम	वस्त्र, नाइलोन और रेडिएंट धागा	2.53	शून्य
3.	नागदेवी स्ट्रीट	सोना	7.96	1

भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच व्यापार करार

4841. श्री भागीरथ भंवर : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच एक व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस करार से भारत का विदेश व्यापार एक नये युग में प्रवेश करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) :(क) से (ग) वाणिज्यिक सहयोग करार के विषय पर अभी अंतिम करार किया जाना है ।

आयकर सहायक आयुक्तों की पदोन्नति

4842. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-उत्पादन-शुल्क तथा आयकर जैसी केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति की समान नीति का अनुसरण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या अन्य केन्द्रीय सेवाओं की तुलना में आयकर सहायक आयुक्तों के पदोन्नति के अवसर बहुत कम है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

बैंक ऋण के लिए न्यूनतम ब्याज दर

4843. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया

श्री पी० मंगा देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 'सलेक्टिव क्रैडिट कंट्रोल' के अन्तर्गत आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर दिये जाने वाले बैंक-ऋणों की न्यूनतम ब्याज दर में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इसके अन्तंगत कोन-कोन सी वस्तुयें आती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) 1973-74 के काम काज के मौसम के लिए ऋण नीति के अंग के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली निम्नलिखित वस्तुओं के एवज में दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों के लिए, ब्याज की न्यूनतम दर को 12% से बढ़ा कर 13% वार्षिक कर दिया है :

(i) **खाद्यान्न :** गेहूं, धान और चावल और अन्य खाद्यान्न जिन में दालें शामिल हैं अधिकृत वसूली अभिकरणों को दिये जानें वाले अग्रिमों से अन्यथा अग्रिमों के लिए ;

(ii) **तेलहन :** अर्थात मूंगफली, तोरिया, सरसों, रेण्डी अलसी और उनके तेल, तथा वनास्पती ।

(iii) **रुई और कपास :** 12-14 सप्ताह वाले पर खपत वाले भण्डारों को छोड़कर जिनके लिए मिलें कम मार्जिन वाले लाभों की हकदार हैं, कपास के भण्डारों के एवज में से (क) सूती वस्त्र मिलों को और सूती वस्त्र मिलों से भिन्न पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में ;

(iv) **चीनी, गुड़ और खाण्डसारी :** शुल्क रहित चीनी के भण्डार जो सरकार द्वारा विक्री के लिए दिये हैं, के एवज में मिलों की ओर

(ख) चीनी, गुड़ तथा खाण्डसारी के भण्डारों के एवज में चीनी मिलों से भिन्न पार्टियों को दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में ।

फिर भी, शुल्क रहित चीनी के भण्डारों, जो सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है, के एवज में चीनी को पत्र फैक्ट्रियों को मंजूर किये गये अग्रिमों पर ब्याज की न्यूनतम दर 12% निर्धारित की गयी है। वर्तमान नीति से पूर्व इस प्रकार की कोई निर्धारित दर नहीं थी।

वस्त्र उद्योग और धागे : धागे सहित वस्त्र तथा हाथ से बने रेशों से बने धागे, जिसमें निर्माणाधीन भण्डार शामिल हैं (जिन्हें 17 नवम्बर 1973 के चयनात्मक ऋण नियंत्रण की वीधि ले आया गया था) सहित सूती वस्त्र भी अब, भण्डारों के एवज में व्यापारियों, विक्रेताओं तथा अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में 13% की न्यूनतम ब्याज दर के अन्तर्गत आते हैं।

Seizure of Smuggled Goods in Cal‹utta

4844. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the value of smuggled goods seized in Calcutta during the last three years;

(b) the number of persons against whom action was taken indicating the nature of action taken; and

(c) the value in terms of Indian rupee of the gold seized along with other goods?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) The value of the smuggled goods seized by the Customs authorities in Calcutta during the last three years was as follows:

Year	*Value of goods seized in Calcutta (Rs. lakhs).*
1970	51.38
1971	59.26
1972	134.87

(b) The number of persons arrested during the years 1970, 1971 and 1972 in connection with the above seizures was as follows:

No. of persons arrested:	165
No. of persons prosecuted:	131
No. of persons convicted:	46
No. of persons acquitted:	7
No. of persons against whom prosecutions are pending.	78

(e) The value of gold seized during the last three years in Calcutta at the Indian market rate was as follows:—

Year	*Value (Rs. lakhs)*
1970	5.62
1971	6.43
1972	7.20

Raids by Income-tax Authorities on Shops in Kanpur

4845. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Income-tax Officers had catried out raids in some shops in Kanpur in November, 1973 and seized silver in huge quantity; and

(b) the value in Indian currency of silver seized and the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) The value of unaccounted silver found and sealed is about Rupees 15 lakhs. Prohibitory order u/s 132/(3) has been served on the assessee in respect of the said silver. The case is under investigation.

सर्वोच्च 50 व्यक्तियों से आय-कर की वसुली

4846. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सर्वोच्च 50 व्यक्तिओं के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में, वर्षवार, आय-कर का अधिकतम भुगतान किया था ;

(ख) उपरोक्त अवधि में उनमें से प्रत्येक की ओर आयकर की बकाया राशि कितनी थी, और

(ग) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त अवधि में, वर्षवार. आयकर की कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना केवल वर्ष 1972-73 के लिए तत्काल उपलब्ध है और वह अनुबंध में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-6012/73]** वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अपरिष्कृत रेशम की विभिन्न किस्मों का मूल्य निर्धारण

4847. श्री जी० वाई० कृष्णन्

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य-स्तर स्थिर करने के लिए अपरिष्कृत रेशम की विभिन्न किस्मों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केन्द्रीय, (रेशम बोर्ड ने 9 अक्तूबर, 1973 को कर्नाटक राज्य में उत्पादित की जाने वाली शहतूती कच्ची रेशम की विभिन्न किस्मों के लिए निम्नतम तथा अधिकतम कीमतें घोषित की हैं ।

(ख) घोषित निम्नतम तथा अधिकतम कीमतें निम्नोक्त हैं :-

कच्ची रेशम की किस्म	निम्नतम कीमत रु० प्रति किग्रा०	अधिकतम कीमत रु० प्रति किग्रा०
सरकारी किलेचर कच्ची रेशम 20/22 डे०	45.00	280.00
कुटीर बेसिन कच्ची रेशम कोलर मीडियम 18/22 डे०	20.00	20.00
चर्खा कच्ची रेशम मीडियम	165.00	190.00

अग्रिम ऋण देने के अन्तर को बढ़ाने के बारे में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के निदेश

4848. श्री सरजू पांडे

श्री भान सिंह भोरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृत बैंकों को अग्रिम ऋण देने के अन्तर को बहुत ज्यादा बढ़ाने के बारे में रिजर्व बैंक के निदेश

पर इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन ने आश्चार्य व्यक्त किया है ; और

(ख) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसे भारतीय शुगर मिल संघ का एक पत्र मिला है जिसमें उसने रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में बैंकों को, सशुल्क चीनी (ले वी शुगर) पर 10 से 15 प्रतिशत का मार्जिन बढ़ाने और शुल्क रहित (फ्री सेल) चीनी पर 15 से 25 प्रतिशत मार्जिन बढ़ाने के लिए दिए गए निदेशनों पर चिन्ता व्यक्त की गयी है ।

(ख) हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुगर मिलों को उनके सशुल्क और शुल्क रहित चीनी के स्टाक पर मिलने वाले अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन में वृद्धि इस विचार से की गयी थी कि अर्थ व्यवस्था में मुद्रा बाहुल्य को देखते हुए ऋणों पर अधिक से अधिक सम्भव प्रतिबन्ध सुनिश्चित किये जा सकें और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोका जा सके ।

Expansion of Udaipur Airport

4849. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the expansion of Udaipur airport in Rajasthan, which was to have been completed by now, has not yet been completed; and

(b) if so, the reasons for delay and the time by which this work is likely to be completed?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) and (b) The work on expansion of the terminal building at Udaipur aerodrome has been completed. The work of strengthening the runway, apron and taxi-track has been awarded recently. Tenders for extension of the runway are being invited. These works are expected to be completed in two years from the date of commencement.

Proposal to Develop Haldi-Ghati as a Tourist Centre

4850. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop Haldi-Ghati as a Tourist Centre in memory of Maharana Pratap; and

(b) whether Government are aware that a number of tourists are interested in visiting this historical site but can not go there due to the absence of proper facilities?

Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr Sarojini Mahishi): (a) and (b) Government are aware of the great historical importance of Haldi-Ghati and the natural interest of attraction it has for tourists, particularly for home tourists. However no schemes to develop it as a tourist centre have yet been taken up. The question of providing transport and other essential facilities for tourists to reach and visit Haldi Ghati will be taken up in consultation with the State Government for such action as might be feasible within the resources available.

बिहार को कपड़े की सप्लाई में 60 प्रतिशत की कटौती

4851. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को कपड़े की सप्लाई में 60 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आवंटित कोटे में कटौती करने से नियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्य बढ़ गये हैं और यदि हां, तो कितने ;

(घ) क्या इस संबंध में बिहार के पूर्ति मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को एक पत्र लिखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) मई 1973 से बिहार राज्य को आवंटित की गई नियंत्रित कपड़े की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :

मास	बिहार राज्य को किया गया आवंटन जिसमें मिल की खुदरा दुकानों को आवंटित की गई मात्रा (आंकड़े गांठो में)
मई, 1973	2,796
जून, 1973	1,130
जुलाई, 1973	3,483
अगस्त, 1973	1,881
सितम्बर, 1973	1,910
अक्तूबर, 1973	1,423
नवम्बर, 1973	1,384

(ख) नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में कमी के कारण कुछ महीनों के दौरान बिहार राज्य को नियंत्रित कपड़े का पूरा कोटा आवंटित नहीं किया जा सका ।

(ग) नियंत्रित कपड़े की कीमतें कानूनी तौर पर निर्धारित की जाती हैं तथा बिहार राज्य के लिए कोटे में कटौती के कारण नियंत्रित पड़े की कीमतों में वृद्धि का प्रश्न नहीउठता। मोहर लगी कीमतों से ऊंची कीमतों पर इस की बिक्री की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) तथा (ङ) बिहार राज्य खाद्य, सप्लाई तथा वाणिज्य मंत्री ने वाणिज्य मंत्री को बिहार राज्य के लिए नियंत्रित कपड़े के कोटे में वृद्धि तथा प्रत्येक मास नियंत्रित कपड़े के पूरे कोटे के आवंटन के लिए अनुरोध किया है । अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

Number of Officers of I.T.D.C. deputed to Foreign Countries

4852. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the I.T.D.C. deputes its officers to the conferences and functions organised in foreign countries and if so, the number of officers deputed during 1970-71, 1971-72 and 1972-73, respectively and the expenditure incurred on them annually during the above period;

(b) whether the officers returning from conferences or functions do not submit reports in writing to the I.T.D.C. ;

(c) if so, the reasons therefor and the basis on which Government assess their performance in the absence of written reports; and

(d) the justification for not submitting report in writing?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi): (a) Yes, Sir, when the Corporation is of the view that it is in the interest of promotion of Tourism and utilisation of the facilities and infrastructure created by the India Tourism Development Corporation it deputes its representatives to attend particular conference. The required information is as follows:—

Year	*No. of officers deputed abroad.*	*Expenditure incurred Rs.*
1970-71	6	72,823.00
1971-72	9	1,37,929.00
1972-73	12	1,82,841.00

(b) Formal reports have been submitted by some officers and others have recorded notes on the relevant files.

(c) and (d) Questions do not arise.

विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

4853. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बातने कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 और 1972-73 में जो पर्यटक और 'अति विशिष्ट व्यक्ति' विदेशों में गए उनके लिए पौंड तथा डालर में कुल कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई और उस विदेशी मुद्रा में से वर्ष 1971-72 में तमिलनाडु के श्री एम० जी० रामचन्द्रन फिल्म उद्योग और श्री राज कपूर तथा बम्बई फिल्म उद्योग के उनके दल को कितनी विदेशी मुद्रा मुजूर की गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मौजूदा विनियमों के अन्तर्गत पर्यटकों के रूप में किसी को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जा रही है। परन्तु, जो लोग विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत बाहर जाते हैं उन्हें पर्यटक माना जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत 1971-72 में 107 लाख रु० की विदेशी मुद्रा दी गई थी; 1972-73 में जून 1973 तक 64 लाख रु० की रकम आंकड़े दी गई थी। इस समय प्रयोजनवार रखे जाते हैं और इसलिए अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी० आई वी०) को दी गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े बताना सम्भव नहीं है। यदि किसी व्यक्तियों किन्हीं व्यक्तियों के बारे में सूचना मांगी जायेगी तो उसका ब्योरा इकठ्ठा किया जायेगा। 1971 में न तो श्री एम० जी० रामचन्द्रन को और न ही श्री राजकपूर एवम् उनके दल को कोई विदेशी मुद्रा दी गई थी।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा नई दिल्ली के अशोका होटल, होटल एम्बेसेडर और कलकत्ता के होटल हिन्दुस्तान को बिलों का भुगतान

4854. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972–73 वर्ष में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान चालकों, विमान परिचालिकाओं आदि के आवास तथा अन्य व्ययों के लिये नई दिल्ली के अशोका होटल, होटल एम्बेसडर तथा होटल हिन्दुस्तान (कलकत्ता) को भुगतान किये गये बिलों की कुल राशि कितनी है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : कार्मिकों तथा "स्ट्रैंडेड" यात्रियों के लिये आवास प्रभारों के कारण वर्ष 1972–73 के लिये भुगतान किये गये बिलों की कुल राशि निम्न प्रकार थी :—

(क) अशोक होटल, नयी दिल्ली	6.88 लाख रुपये
(ख) होटल अम्बेसडर, नयी दिल्ली	6.08 लाख रुपये
(ग) होटल हिन्दुस्तान इंटरनेशनल, (कलकत्ता)	2.57 लाख रुपये

जनवरी, 1973 से नवम्बर, 1973 तक इंडियन एयरलाइंस की रद्द की गई उड़ानें

4855. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1973 से नवम्बर, 1973 तक यांत्रिक खराबी अथवा अन्य कारणों से इण्डियन एयरलाइन्स की कुल कितनी उड़ानें रद्द की गई तथा उनसे राजस्व की कितनी हानि हुई ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1973 तक की अवधि के दौरान की जाने वाली 80453 उड़ानों में से यांत्रिक अथवा अन्य कारणों से रद्द की गयी इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की संख्या 3067 (अर्थात् लगभग 3.8%) थी।

वर्तमान तालाबन्दी को दृष्टि में रखते हुए रद्द की गयी ऐसी उड़ानों के कारण राजस्व की हानि का ब्योरा तैयार करना संभव नहीं है।

रेशमी कपड़ों के मूल्य में वृद्धि

4856. श्री एच० एम० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान कृत्रिम रेशम के कपड़ों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि का ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वृद्धि से कृत्रिम रेशम के वस्त्रों के निर्यात में भारी गिरावट आई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के अर्जन में किस सीमा तक कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जो वृद्धियां हुई हैं, वे संलग्न विवरण में दिखाई गई हैं।

(ग) जी नहीं। कृत्रिम रेशम के फैब्रिक्स के निर्यात आंकड़ों में विगत वर्ष के निर्यात आंकड़ों की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बम्बई बाजार में कोरे कृत्रिम रेशमी के फैब्रिक्स की कुछ किस्मों की प्रति रेखीय मीटर कीमतों का बढ़ना नीचे दिखाया गया है :–

	जनवरी, 1973	नवम्बर, 1973
नाईलोन प्लेन 46"	2.68	3.85
विसकोस टाफ्टा 92×56—37"	1.45	3.80
विसकोस फुल क्रेप 92×56—37"	1.99	3.90
नाइलोन साटन 37"	3.85	5.50
बम्बर जौरजेट 40×40 64×64—40/41	1.80	2.50
नाइलोन जौरजेट 15×40/168/92	2.82	4.35
विसकोस जौरजेट 75×75/51/52"	3.15	4.75
विसकोस स्टेपल 80×72—46/47"	2.30	3.60

कृत्रिम रेशम के फैब्रिक्स की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण फैब्रिक्स के विनिर्माण में प्रयोग किये गये धागे की बाजार कीमतों में वृद्धि था।

दिल्ली और चण्डीगढ़ के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि

4857. श्री एच० एम० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़ के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :(क) औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) अक्टूबर 1973 तक उपलब्ध है। जुलाई और अक्टूबर 1973 के बीच दिल्ली में सूचकांक में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूंकि चण्डीगढ़ उन 50 केन्द्रों की सूची में नहीं आता जिसके आधार पर अखिल भारतीय सूचकांक तैयार किया जाता है, इसलिये चण्डीगढ़ के संबंध में तदनुरूप सूचना उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुआ घाटा

4858. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से पांच बैंक घाटे में चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष क अन्त में बन्द कर दिये जाते हैं। उसके बाद खाउन तों की लेखा परीक्षा की जाती है और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्था करने के बाद लाभ निश्चित किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ के सम्बन्ध में चालू वर्ष के कार्य के प्रभाव को बताना कठिन है।

ट्रांजिस्टरों का निर्यात

4859. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा कितने एवं किन किन देशों को ट्रांजिस्टरों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों में इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्पाजित की गई; और

(ग) क्या भारतीय ट्रांजिस्टर विदेशों में लोकप्रिय हो रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) 1972-73 के दौरान भारत ने 44 देशों को ट्रांजिस्टर रेडियो निर्यात किये, जिनमें से मुख्य खरीददार इस प्रकार थे :-

(1) ब्रिटेन (2) स्वीडन (3) हांगकांग (4) नाइजीरिया (5) चैकोस्लोवाकिया (6) नेपाल (7) इराक (8) दि नीदरलैंडस् (9) बुल्गारिया (10) दहोमी गणराज्य (11) बर्बोदास (12) बंगलादेश (13) फिजी द्वीप समूह (14) सिंगापुर (15) इथोपिया तथा (16) दुबाई।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान ट्रांजिस्टर रेडियो के निर्यातों का मूल्य इस प्रकार रहा है :-

1971-72	1.72 करोड़ रु०
1972-73	1.01 करोड़ रु०

(ग) जी हां।

रूई के मूल्यों को समान बनाने की मांग

4860. श्री ए०के०एम० इसहाक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने देशपर्यन्त रूई के मूल्यों को समान बनाने की मांग पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कोई ज्ञापन केन्द्रीय सरकार को दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उसपर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बताई गई मुख्य बातों का संक्षेप संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार इन बातों पर विचार कर रही है।

विवरण

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा अपने ज्ञापन में उठाई गई मुख्य बातें

1. 11 प्रतिशत की अखिल भारतीय औसत की तुलना में पश्चिम बंगाल में 1971 में 50 प्रतिशत से अधिक वस्त्र मिलें बंद पड़ी थीं। पश्चिम बंगाल में बंद होने वालों की ऊंची प्रतिशतता का कारण रूई पर अतिरिक्त भाड़ा है।
पश्चिम बंगाल की मिलों को अतिरिक्त वित्तीय भार इन कारणों से उठाना पड़ा।

(i) भाड़ा तत्व

(ii) रूई बाजारों के समीप की मिलों की अपेक्षा भंडार स्तर अपेक्षाकृत अधिक बनाये जाने की आवश्यकता।

2. पश्चिम बंगाल में उत्पादन ढांचे को, जिसमें मोटा तथा मीडियम धागा और कपड़ा शामिल है, अन्य क्षेत्रों में की अपेक्षा रूई की अपेक्षा कृत अधिक ऊंची प्रतिशतता की आवश्यकता है जबकि तैयार उत्पाद का बिक्री मूल्य अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है।

3. पश्चिम बंगाल में वस्त्र मिलें अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक श्रम प्रधान हैं क्योंकि वहां, युक्ति संगत बनाने में सामान्य प्रतिरोध है जिसके कारण उत्पादन की प्रति इकाई श्रम लागत अपेक्षाकृत अधिक आती है।

4. पश्चिम बंगाल की संकटग्रस्त तथा बंद मिलों को पुनर्जीवन प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण तथा तुरंत तरीके के तौर पर रूई भाड़ा समानीकरण की मांग के समर्थन में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के वित्त प्रबन्धक का नाम उद्धृत किया गया है।

5. यदि रूई भाड़ा समानी करण का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता है तो लोगों को पूर्वीक्षेत्र में नई कताई मिलें स्थापित करने का प्रोत्साहन मिलेगा जिसके अनुसार हथकरघा/शक्तिचालित करघा की धागे की आवश्यकताओं को और अधिक प्रभावकारी रूप से पूरा करना संभव होगा।

6. पश्चिम बंगाल को रूई की ढुलाई का कार्य 95 प्रतिशत तक रेल द्वारा किया जाता है जहां अन्य क्षेत्रों म रूई की ढुलाई का काम केवल 33 प्रतिशत रेल द्वारा किया जाता है तथा 67 प्रतिशत रोड परिवहन द्वारा किया जाता है। इसलिये रेल भाड़े में कटौती पश्चिम बंगाल की मिलों के लिये बहुत आवश्यक है।

7. रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे की स्टेशन से स्टेशन तक रियायती दरें आदि देने की शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे उदाहरण है जहां ऐसी सहायता दी गई है। इस संभाव्यता पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये जैसे कि विशेष रूप से उत्तरी रेलवे ने 2/3 वर्ष पूर्व स्टेशन से स्टेशन तक रियायती दरें दी थीं।

8. 1972 में विस्तृत रूप से बिजली की कटौती उन क्षेत्रों में उद्योग के विस्तार की आवश्यकता की ओर संकेत करती है जहां थर्मल बिजली उपलब्ध हो सके। धागा नियंत्रण के कार्यान्वियन का अनुभव भी क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

9. बंगला देश में नये बाजार से पश्चिम बंगाल में नई कताई तथा बुनाई मिलें स्थापित करने की आवश्यकता की ओर संकेत मिलता है जो तभी संभव है यदि रूई पर भाड़ा तत्व के कारण होने वाली हानियों को दूर कर दिया जाये।

10. अन्त में, अन्तर्ग्रस्त विषयों के राष्ट्रव्यापी महत्व को देखते हुए जांच का कार्य योजना आयोग को सौंपा जाये जहां एक उच्च शक्ति प्राप्त दल की स्थापना की जाये जिसमें कुछ स्वतन्त्र अर्थशास्त्रियों के साथ साथ औद्योगिक विकास, रेलवे तथा वाणिज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि हो।

कलकत्ता में स्थायी प्रदर्शन के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव

4861. श्री ए०के०एम० इसहाक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली उत्पादों के स्थायी प्रदर्शन के लिये कलकत्ता में व्यवस्था करने को कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और इसे कहां तक कार्य रूप दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु तथा आसाम में कार्यरत, चाय बागानों की संख्या

4862. श्री ए०के०एम० इसहाक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा आसाम में कार्यरत चाय बागानों की संख्या कितनी है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में चाय बागानों में कितना उत्पादन होता है तथा उसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) :(क) पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु और असम के राज्यों में 31-3-1972 को कार्यरत चाय बागानों की संख्या क्रमश: 291, 745 व 6463 थी।

(ख) 1972 में इन राज्यों में उत्पादित चाय की मात्रा तथा अनुमानित मूल्य निम्नोक्त प्रकार थे।

	मात्रा दस लाख किग्रा०	मूल्य करोड़ रुपये में
पश्चिम बंगाल	106.92	73.67
असम	239.98	159.83
तामिलनाडु	53.22	35.51

विदेशों को बिजली के बल्बों का निर्यात

4863. श्री ए०के० एम० इसहाक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के बंगाल लैम्पस को विदेशों को बिजली के बल्बों की सप्लाई करने के लिये क्रयादेश प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) तथा (ख) मैसर्स बंगाल लैम्पस् ग्राफ कलकत्ता विभिन्न देशों को बिजली के बल्बों का निर्यात करता रहा है जिनमें नाइजीरिया, इथोपिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बंगला देश आदि शामिल हैं। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनके पास 15 लाख रु० के क्रयादेश मौजूद हैं और लगभग 50 लाख रु० के ट्यूबलैम्पों के निर्यात के लिये पुख्ता पूछताछ भी है।

केरल सरकार द्वारा कोबालम बीच 'रिजार्ट प्रोजेक्ट' से केरल पर्यटन विकास निगम को भूमि के अन्तरण करने सम्बन्धी अनुरोध

4864. श्री वरके जार्ज : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को अनुरोध किया है कि कोबालम में सस्ते ढंग के होटल के निर्माण के लिये कोबालम बीच रिजार्ट प्रोजैक्ट से केरल पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को आवश्यक भूमि का अन्तरण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) के समुद्र तटीय बिहार-स्थल विकास सर्वेक्षण दल की सिफारिशों के अनुरूप निगम के प्रस्तावित होटल के निर्माण-स्थल के लिये वैकल्पिक स्थानों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

केरल की बुनकर औद्योगिक सहकारी समितियों के शेयर खरीदने के लिए अनुमति

4865. श्री वरके जार्ज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में मूल तथा कारखाने की तरह की बुनकर औद्योगिक सहकारी समितियों के शेयर खरीदने की अनुमति देने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकार को निर्णय से अवगत कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है।

Complaints regarding Goods Exported to Foreign Countries

4866. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries from which complaints have been received by Government in ragard to goods exported from India during the last one year;

(b) the names of the organisations in public or private sectors which exported these goods; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) U.S.A., U.K. Netherlands, France, West Germany, Denmark, Iraq, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, Morocco Syria, Libya, Nigeria and Kenya.

(b) A statement giving the information is attached.

(c) Wherever practicable the matter has heen taken up by the respective Export Promotion Councils/Commodity Boards, Director General 'of Commercial Intelligence Statistics, Calcutta, Indian Council of Arbitration etc. concerned with such commercial disputes.

Statement

1. M/s. T.I. Cycles of India, Ambattur, Madras.
2. M/s Hansraj Balwantrai, Kaumu.
3. M/s. Challenge Engg. Pvt. Ltd. Calcutta.
4. M/s. National Agricultural Co-operative Marketing Federation Ltd.
5. M/s. Indian Tobacco Co. Ltd., Bombay.
6. M/s. Indian Overseas Traders, Tuticorin.
7. M/s. Ceylon-Calcutta Trading Corporation, Calcutta.
8. M/s. Power Cables Pvt. Ltd. Bombay.
9. M/s Industries and Technical Education (Industries) Institute of Industrial Design, Patna
10. M/s Jay Shree Exporters Ltd., Calcutta.
11. M/s. Allgemein Sono Industries, Delhi.
12. M/s. Shahison Knitwears, Ludhiana.
13. M/s. AEM Yseof & Sons, Madras.
14. M/s. Jain Tube Co. Ltd., New Delhi.
15. M/s V.D. Swaini & Co., Madras.
16. M/s. Premier Cables Co., Ltd. Arnakulam, Kerala.
17. M/s. Joosabhoy A. Allana & Sons, Bombay.
18. M/s. Mizar Govinda Annappa Pai & Sons, Mangalore.
19. M/s Law Mica Mykanite Co. Girideh, India.
20. M/s. Bharat Overseas Ltd. Calcutta.
21. M/s Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation, Bombay.
22. M/s. R.K. Enterprises, Amritsar.
23. M/s. Bharat Steel Tubes Ltd., Bombay.
24. M/s. Challenge Pvt. Ltd., Calcutta.
25. M/s. Hanuman Iron Works, Calcutta.
26. M/s. Khandelwal Tubes, Bombay.
27. M/s. Joy Industries Ltd., Calcutta.
28. Shri Madan Singh of Gazebo Industries, Bombay.

Loans Advanced by Nationalised Banks in Bihar

4867. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state;

(a) the amount of loan advanced by the nationalised banks till October, 1973 in Bihar;

(b) the portion thereof advanced to industries, agriculture, trucks taxis and mica industry, separately;

(c) whether instructions have been issued to the banks as to the amount which a bank can advance during one year; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) According to the latest available data with the Reserve Bank of India, the amount of credit extended by nationalised banks in Bihar State and outstanding as on the last Friday of December, 1972 was Rs. 54.9* crores.

(b) Of this, the advances to industries, agriculture and transport sectors were as follows :

Category	Amount outsanding as on the last Friday of December, 1972.
	(Rs. in crores*)
1. Industries	20.34
2. Agriculture (excluding plantations)	3.79
3. Transport	3.95

*Figures are provisional

Information relating to such detailed categories as trucks, taxis, mica industry etc. is not being separately compiled.

(c) & (d) No instructions are generally issued by the Reserve Bank of India to the Banks as to the amount that may be advanced by a bank during a year. However, recently, as part of the credit policy for the year 1973-74 busy seasons, the Reserve Bank has indicated to the banks that over the period end September, 1973 to end April, 1974, the increase in bank advances should be limited to 10% of the outstanding level of credit as at the end of September, 1973, excluding the credit to be made for food procurement, and advised the banks that they should keep this overall ceiling in view and exercise due restraint in granting credit.

आयकर अपवंचन

4868. प्रो० मधु दंडवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान आयकर अपवंचन की अनुमानित राशि क्या है; और

(ख) कर अपवंचन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) सरकार द्वारा पिछले वर्ष कर-अपवंचन का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ख) कर-अपवंचन को रोकने के लिये किये गये विभिन्न वैधानिक तथा प्रशासनिक उपायों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6013/73]**

एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना के फलस्वरूप पदोन्नति के और भर्ती के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को दिया गया आश्वासन

4869. श्री प्रसन्न भाई मेहता

श्री बी० मायावान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने औद्योगिक विकास बैंक तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को मिला कर एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना के पश्चात रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की पदोन्नति और भर्ती के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को आश्वासन दिया था ।

(ख) यदि हां, तो यह विचार विमर्श कब किया जायेगा; और

(ग) उन्हें सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) वित्त मंत्री हाल ही में दिल्ली में अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के कुछ प्रतिनिधियों से मिले थे । उपस्थित प्रतिनिधियों ने उनके सामने कुछ मामले उठाये थे जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के प्रस्तावित पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सेवा में भविष्य में उनके उन्नति के अवसरों से संबंधित थे ।

वित्त मंत्री ने 7 दिसम्बर 1973 को लोक सभा को एक सूचना दी है जिस में चालू सत्र में सरकारी वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक 1973 प्रस्तुत करने के लिये अनुमति मांगी है। इस प्रस्तावित विधान में सभी संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखा है जिसमें संघ के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचार भी शामिल है।

उपदान पर आय कर न लेना

4870. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यह मांग की गई है कि 24,000 रुपये तक का उपदान भुगतान कर मुक्त होना चाहिये; और

(ख) क्या उन्होंने यह भी मांग की है कि भविष्य निधि संचय का दावा करने वाले उत्तराधिकारियों से संपदा शुल्क अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करने को नहीं कहा जाना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया सेवा-निवृत्ति-उपदान उस अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए कर से छूट प्राप्त है, जो पूरी की गयी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये एक माह के वेतन के आधे अंश तक है और जिसकी संगणना उपदान अदा किये जाने के वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत वेतन के आधार पर की जाती है अथवा इस प्रकार संगणित 15 माह का वेतन अथवा 24,000 रुपये, इनमें से जो भी सबसे कम हो। राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुछ दिशाओं में कर संबंधी इस छूट में उदारीकरण का सुझाव दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

Submission of a memorandum Regarding Mismanagement in the Central Bank of India

4871. Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether a memorandum on behalf of the National Organisation of Bank workers was submitted to Government during October or November, 1973 drawing attention to the mismanagement in the Central Bank of India ;

(b) if so, the broad features of the memorandum; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : Presumably the Member is referring to the Memorandum in the form of a letter submitted by the National Organisation of Bank Workers to the Finance Minister on 30th November, 1973.

The main points urged in the Memorandum against the Central Bank of India are:—

(*i*) Large sums of money are being invested in conferences of Managers and union representatives.

(*ii*) It has been decided by the management that vigilance should not make any inquiries or investigations.

(*iii*) The Auditors have been asked to send only such reports as are approved by operational staff such as agents.

(*iv*) Recognised union is the only working partner of the bank and all agreements with the unrecognised unions are being made with the prior approval of the recognised union.

(*v*) Balances for the period ending 31st December, 1972 have not been tallied at a number of places.

(*vi*) Deposit figures at branches are inflated by taking deposits from other banks on the date of closing for the sake of window-dressing.

(*vii*) There is large amount of fake finance in the name of agriculture and small scale industry.

On being asked to give their comments, the bank while informing that in respect of all-India matters, it has agreements and discussions only with the recognised union affiliated to the All India Bank Employees' Association, has denied the other allegations.

सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में दिखाया गया घाटा

4872. श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने जून, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि की अपनी बेलेन्स-शीट में 1.20 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि 30 जून 1973 तक समाप्त होने वाले आधे वर्ष में खातों के ऐसे वितरण के अनुसार जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है, आय के अलावा 33.73 लाख रुपये का अधिक खर्च हुआ है; जिसके कारण ये हैं :–

(1) बाद के आधे वर्ष के मुकाबले ऋण जमा राशि के अनुपात में कमी;

(2) अग्रिमों की प्राप्ति की औसत में कमी;

(3) जमा खातों की लागत में वृद्धि ।

लाभ या हानि का निश्चय पूरे वर्ष के बाद ही किया जाता है जबकि लेखा परीक्षक वार्षिक लेखों की परीक्षा कर लेते हैं और इनमें से सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्था कर ली जाती है ।

वर्ष 1972–74 के दौरान रेशमी धागों तथा रेशमी वस्त्रों का निर्यात

4873. श्री माधुर्य हालदार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में रेशमी धागों तथा रेशमी वस्त्रों का कितना निर्यात किया गया; और

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

			1972–73	अप्रैल-अक्तूबर 1973–74
(क)	काता हुआ रेशमी धागा	किग्रा०	51,950	––
	कच्चा रेशम	किग्रा०	300	1,617
	प्राकृतिक रेशमी सिले सिलाये परिधान	लाख वर्ग मीटर में	3.37	2.96
(ख)	कता हुआ रेशमी धागा	लाख रु० में	55.00	––
	कच्चा रेशम	लाख रु० में	0.30	3.88
	प्राकृतिक रेशमी सिलेसिलाये परिधान	,,	82.68	66.29
		योग	137.98	70.17

Alleged Mismanagement of Branches of L.I.C. in Indore Division of Madhya Pradesh

4874. **Dr. Laxmi Narayan Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether he has received information about the functioning and mismanagement of the various branches of Life Insurance Corporation of India in Indore Division of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Dr. Sushila Rohatgi) : (a) A communication has been received from the Hon'ble Member himself alleging certain irregularities in some offices in the Indore Division of the Life Insurance Corporation of India.

(b) The matter has been remitted to the LIC for investigation.

Loans taken by Owners of the Tea Plantations of Tripura

4875. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state;

(a) whether the owners of the tea plantations of Tripura State have taken big loans from the banks and other Government financial institutions for the Development of plantations ;

(b) if so, the amount of loans taken by each of the tea plantations from the banks and various other financial institutions ;

(c) whether Government are aware that the loans taken from Government have been used by most of the tea plantation owners in other industries and not for the development of tea plantations ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) to (d) The financial Institutions *viz*. Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India and Agricultural Refinance Corporation have not granted any loans to Tea plantations in Tripura State for their development. The scheduled commercial banks have also not sanctioned any loan for the development of plantations but have however sanctioned working capital loan limits to twelve Tea Gardens in the State.

The Reserve Bank of India has reported that the Tea Board has sanctioned Rs. 6.90 lakhs to six Tea Estates in Tripura for purchase of tea machinery and irrigation equipment and for carrying out extension planting. No diversion of funds so lent for the above purpose has come to the notice of the Tea Board.

ऋण पर प्रतिबन्ध

4876. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण पर वर्तमान प्रतिबन्धों को उदार बनाने की बजाय उन पर और अधिक सख्ती कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति अपनाने के क्या कारण तथा औचित्य हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने, 1973–74 के काम काज के मौसम के लिये अपनी ऋण नीति के अंग के रूप में अनेक उपाय लागू किये हैं जिनमें न्यूनतम ऋण दर, मार्जिन में वृद्धि, कानूनी नगदी या नगदी जैसी परिसम्पत्ति अनुपात में वृद्धि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 1973 के अन्त में सितम्बर 1974 के अन्त तक की अवधि में, खाद्यान्न की वसूली के लिये उपलब्ध ऋण को छोड़कर, कुल ऋण विस्तार के संबंध में, तथा वाणिज्यक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से उधार ली जाने वाली रकमों के संबंध में भी अधिक-

तम सीमा निर्धारित कर दी है । रिजर्व बैंक ने, ये उपाय, अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले स्फीतिकारी दबावों की दृष्टि से 1973-74 के व्यस्त मौसम में अल्पावधि ऋण विस्तार को रोकने तथा जमाखोरी की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की दृष्टि से, किये हैं ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सवारी भत्ते में वृद्धि

4877. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सवारी-भत्ते में वृद्धि करने का कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गयी है; और

(ग) इस संबंध में आदेश किस तारीख को जारी किये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने श्रेणी II, III और IV के असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सवारी भत्ते की मौजूदा दरों को बढ़ाने का निर्णय किया है । संशोधित दरें नीचे दी गयी हैं :-

सरकारी कार्य पर औसत मासिक यात्रा	अपनी मोटर कार द्वारा यात्रा के लिये सवारी भत्ते की दरें	वाहन के अन्य साधनों द्वारा यात्रा के लिये सवारी भत्ते की दरें
किलो मीटर	रु० प्रतिमास	रु० प्रतिमास
201-300	100	35
301-450	150	50
451-600	175	60
601-800	200	70
800 से ऊपर	225	75

फिलहाल अतिरिक्त वृद्धि अपेक्षित नहीं है ।

श्रेणी I के अधिकारियों का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) श्रेणी II, III और IV के कर्मचारियों के लिये संशोधित दरें घोषित करने के आदेश जल्दी ही जारी होने की संभावना है ।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के लिए निर्धारित मूल्यों पर धागे की कमी

4878. श्री एस० एम० बनर्जी

श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को निर्धारित मूल्य पर धागा नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश जारी दिये जाने के परिणामस्वरूप नियंत्रित कीमतों पर धागा प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में राज्यों से, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, रिपोर्टें आती रही हैं । अधिकांश मिलों के संबंध में यह सूचित किया गया है कि वे धागे की बिक्री नियंत्रित दरों से भिन्न दरों पर करता रहा है ।

(ख) 80 एस काउन्टों तक के धागे के वितरण पर नियंत्रण में छूट दे दी गई है । राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन चल रही मिलों से भी उनके द्वारा उत्पादित धागे की बिक्री बुनकर सहकारी समितियों तथा राज्य वस्त्र निगमों को नियंत्रित कीमतों पर करने के लिये अनुरोध किया गया है ।

सूत के उत्पादन को अधिकार में लेना

4879. श्री एस० एम० बनर्जी
श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूत को अपनी ही एजेंसियों, के माध्यम से वितरित करने के लिये इसके समूचे उत्पादन को अपने अधिकार में लेना चाहती है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा बुनकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकारी अभिकरणों अथवा बुनकर सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से वितरण हेतु धागे के सम्पूर्ण उत्पादन को अपने अधिकार में लेने की कोई प्रस्थापना नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराए की रसीदों की छूट के लिए निर्धारित की गई सीमा

4880. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान किराया की रसीदों को प्रस्तुत करने की रियायतों की निर्धारित सीमा उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जिनका वेतन नये वेतनमानों में 800 रुपये से 850 रु० प्रतिमाह के बीच निर्धारित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उनके हितों का संरक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार ने तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश में सुधार करके यह निर्णय किया है कि संशोधित वेतनमानों में 750.00 रुपये तक वेतन पाने वाले श्रेणी II, III और IV के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का दावा करने के लिये किराये की रसीदें पेश नहीं करनी पड़ेगी। कुछ अभ्यावेदन इस आशय के प्राप्त हुए हैं कि यह रियायत उच्चतर वेतन समूहों पर भी लागू की जाए। इनकी जांच की जा रही है।

हैदराबाद में 5-स्टार होटल खोलना

4881. श्री के० कोडंडारामी रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम, हैदराबाद में एक 5—स्टार होटल खोलने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं किन किन शर्तों पर बातचीत की गई है और इस समय बातचीत किस चरण में है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में हुसेन सागर के तटवर्ती क्षेत्र पर एक 'बोट हाऊस' का निर्माण

4882. श्री के० कोडंडारामी रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में युवक छात्रावास के निकट हुसैन सागर के तटवर्ती क्षेत्र में एक 'बोट हाउस' के निर्माण के लिये आवश्यक योजना प्लानों तथा अनुमानों सहित एक योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना की शीघ्र प्रशासनिक मंजूरी तथा इस परियोजना को अभी शुरु करने के लिये कुछ राशि और शेष सारी राशि को बाद में स्वीकृति के लिये पर्यटन विभाग को भेजी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :(क) राज्य सरकार ने हैदराबाद में, जिसमें हुसैन सागर भी सम्मिलित है, सुविधाओं के विकास के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है । हुसैन सागर के सामने के तट (फोर कोस्ट) पर एक बोट हाउस के निर्माण के लिये अभी तक राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तस्करी कृत टेलिविजन सेटों का पकड़ा जाना

4883. श्री के० कोडंडरामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विदेशों से टेलीविजन सेटों की तस्करी से देश में छोटे पैमाने के टेलीविजन-निर्माताओं के लिये वहां संकट पैदा होने का खतरा है ;

(ख) देश में गत तीन वर्षों में अनुमानतः कितने टेलीविजन सेटों को चोरी छिपे लाये गये तथा सीमा शुल्क विभाग ने अब तक कुल कितने सेट जब्त किये हैं; और

(ग) जिन व्यक्तियों के पास तस्करी के सेट पाये गये हैं उनको क्या जुर्माना अथवा दण्ड दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० के० आर० गणेश) : (क) सरकार स्थिति से अवगत है ।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 के दौरान देश में 941 टेलीविजन सैट पकड़े गये थे जिनमें से अब तक 698 सैट जब्त किये जा चुके हैं । तस्कर-आयात किये गये टेलीविजन सैटों की संख्या का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है ।

(ग) जिन व्यक्तियों के पास से तस्कर-आयात किये गये टलीविजन सैट पकड़े जाते हैं, उन पर, ऐसे सैटों को जब्त किये जाने के अतिरिक्त, उपयुक्त मामलों में व्यक्तिगत दण्ड लगाया जाता है तथा इस्तगासे की कार्यवाही भी की जाती है ।

नारियल जटा उत्पादों के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण

4886. श्री ए० के० गोपालन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल जटा उत्पादों के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का है ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार का कोई सुझाव केरल सरकार से प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यात को मार्गीकृत करने की प्रस्थापना पर विचार किया गया था परन्तु केरल सरकार ऐसे मार्गीकरण के पक्ष में नहीं है ।

Arrangements made for issue for General Orders in Hindi and English Simultaneously

4887. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the arrangements made in his Ministry and subordinate offices to ensure that all general orders are issued in both the languages, Hindi and English, simultaneously in compliance with the provisions of the Official Langauges Act ;

(b) whether the persons entrusted with the work in this regard are discharging their duties properly ;

(c) the numher of cases that have come to notice during the last quarter in which letters, circulars and memoranda falling in the category of 'general orders' were issued by the Officers of the Ministry or subordinate offices in English only and their Hindi versions were not issued simultaneously ; and

(d) the action taken or proposed to be taken against the officers concerned ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) : Orders have been issued to all concerned to issue all 'geneal orders' both in English and Hindi simultaneously and to set up 'check-points' in despatch sections for ensuring that no general order is cyclostyled/issued unless it is in both languages.

(b) to (d) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

केरल में बेरोजगार स्नातकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

4888. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल में कितने बेरोजगार स्नातकों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिये गये ; और

(ख) उन्हें जिलेवार कितनी राशि के ऋण दिये गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में आंकड़े प्रस्तुत करने की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत बेरोजगार अधिस्नातकों को दिये जाने वाले अग्रिमों जैसी व्यापक श्रेणियों के संबंध में सूचना का संकलन करने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी, ये अग्रिम निजी क्षेत्र के लघु उद्योगों, खुदरा व्यापार और छोटे कारोबार और व्यवसायिकों और आत्म नियोजन व्यक्तियों के लिए मंजूर किये गये कुल अग्रिमों में शामिल है। केरल राज्य में, जिलेवार, दिसम्बर 1972 के अन्तिम शुक्रवार को उपयुक्त श्रेणियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर किये गये अग्रिमों के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है।

(हजार रुपयों में राशि)

	लघु उद्योग		आत्म नियोजित और व्यवसायिक सेवाएं तथा लघु कारोबार	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया कम
अलेप्पी	634	248,66	383	1664
कन्नानौर	976	273,70	1813	3579
एर्नाकुलम	2275	777,95	1461	9939
एद्दीकी	80	9,35	103	197
कोट्टायम	726	144,95	271	2058
कोझपकोडा	886	184,44	988	3217
मालापुरम	114	21,62	4912	1827
पालघाट	436	98,02	563	1882
किंवलोन	955	1024,37	2017	1387
त्रिचुर	1286	271,51	1777	3952
त्रिवेन्द्रम	889	121,39	547	3467
राज्य जोड़	9257	3175,36	14835	33169

केरल में राष्ट्रीयकरण बैंकों की नई शाखाएं खोलना

4890. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के लिए केरल राज्य के किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है,

(ख) किन-किन स्थानों पर ऐसे बैंकों की शाखाएं खोली गयी हैं और ये कब खोली गयी ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या है ? जहां पर बैंक की शाखा खोलने की मंजूरी मिल चुकी है परन्तु शाखाएं अभी तक नहीं खोली गई हैं और ऐसी शाखाएं कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) नेता (लीड) बैंक योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित बैंकों को,इस दृष्टि से आवंटित जिलों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था ताकि वे बैंक कार्यालय खोलने के लिए अन्य बातों के साथ साथ उन विकासत्मक केन्द्रों का पता लगाये जिनमें बैंकों कार्य का करने की सक्षमता है। इन सर्वेक्षणों के परिणाम-स्वरूप केरल में बैंकों द्वारा कार्यालय खोलने के लिए 167 केन्द्रों का पता चला है जो अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 6012/73]** इन सर्वेक्षणों के अलावा बैंक समय समय पर बैंक कार्यालय खोलने के लिये उनकी उपयुक्तता के बारे में सुनिश्चित करने के लिए भी उनका मूल्यांकन करते रहते हैं।

(ख) केरल में निर्धारित केन्द्रों के नाम, जहां पर जब से नेता बैंक योजना आरम्भ हुई राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कार्यालय खोले हुए हैं, और उनके खोले जाने की तारीख अनुबन्ध II में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 6014/73]**

(ग) नवम्बर 1973 के अन्त में सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास केरल में 104 और कार्यालय खोलने के लाइसेंस/आवंटन है, जो कि अनुबन्ध III थे बताये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6014/73]** सामान्यत: बैंकों से यह उपेक्षा की जाती है कि वे देहाती/अर्ध शहरी केन्द्रों के लाइसेंसों के संबंध में छ: महीने की अवधि और अन्य केन्द्रों के लिए एक वर्ष की अवधि में लाइसेंस को क्रियान्वित कर देंगे।

केरल में औद्योगिक एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आर्थिक सहायता

4891. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा केरल राज्य में औद्योगिक एककों को दी गयी आर्थिक सहायता मामूली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सितम्बर 1973 के अन्त तक केरल में स्थित औद्योगिक कम्पनियों को कुल 17.5 करोड़ रुपये की सहायता की स्वीकृति दी थी जिसमें से 11.3 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। निर्माणकारी उद्योगों में नियोजन और निर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य के अनुसार विकास बैंक की सहायता में केरल का भाग कम प्रतीत नहीं होता फिर भी, विकास बैंक यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी लाभकार परियोजना संस्थागत सहायता न मिलने पर कमजोर न हो जाये।

सरकारी विभाग और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित अन्य निकायों में निकट सम्पर्क बनाये रखने के विचार से विकास बैंक ने अगस्त 1970 में त्रिवेन्द्रम में एक शाखा कार्यालय खोल लिया है (जो मार्च 1972 में कोचीन ले जाया गया है) विकास बैंक ने केरल राज्य में एक अन्तर्संस्थागत दल स्थापित करने में पहल की है जिसमें सामान्य रूप से राज्य के औद्योगिकरण और विशेष रूप से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों के विकास की समस्याओं पर विचार करने लिए राज्य सरकार, अखिल भारतीय और राज्य वित्तीय संस्थाओं राज्य के बड़े बड़े बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। विकास बैंक ने फरवरी, 1972 में तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्र की स्थापना की है जो केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसका उदेश्य परियोजना विचारों की जानकारी प्राप्त करना, परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, विशिष्ट उद्योगों के संबंध में सम्भाव्यता रिपोर्टों और निवेश पूर्व अध्ययन करना, भावी उद्यमकर्ताओं आदि की जानकारी प्राप्त करना है। इस प्रकार विकास बैंक ने राज्य में लगायी जा रही औद्योगिक परियोजनाओं के लिए न केवल वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है बल्कि ऐसा आवश्यक वातावरण तैयार करने में भी बहुत सक्रिय रहा है जिसमें राज्य में सक्षम औद्योगिक परियोजनाएं आयोजित की जा सकें।

ऊनी चिथड़ों की कताई करने वाले कारखानों को दिये गये लाइसेंस

4892. श्री राजा कुलकर्णी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊनी चिथड़ों की कताई करने वाले किस-किस कारखाने को अब तक लाइसेंस दिये गये हैं और कितनी क्षमता के ;

(ख) ऊनी चिथड़ों की कताई करने हेतु कारखाने लगाने के लिये अभी तक कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत हैं और कब से ; और

(ग) कारखाने लगाने तथा उनमें उत्पादन आरम्भ करने के मामले में लाइसेंस प्राप्त कितने कारखानों ने अभी तक कोई प्रगति नहीं दिखाई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हाल ही में शाडी कताई एककों को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है। तथापि, ऊनी वस्त्र (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण आदेश 1962 के अधीन परमिट जारी करने के लिए 51 पार्टियों को अनुमोदित किया गया है। इन अनुमोदित पार्टियों में से प्रत्येक 600 तकुए वाले केवल दो एककों को अब तक वस्त्र आयुक्त द्वारा परमिट दिये गए हैं। (उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 140 आवेदन पत्र (जिन्हें परमिट जारी किये जाने के लिए पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, उन्हें भी मिलाकर) 1970 से लंबित है और उन्हें संबंधित पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने से पूर्व लाइसेंस समिति के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, जिन दो एककों को वस्त्र आयुक्त द्वारा परमिट दिये जा चुके हैं उनमें से एक ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

सिथेटिक टाप्स के निर्माण के लिए लाइसेंस

4893. श्री राजा कुलकर्णी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) मूलत : सिथेटिक टाप्स के निर्माण के लिए कितने कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं और उनकी लाइसेंस क्षमता क्रमश: कितनी -कितनी है तथा वास्तविक उत्पादन कितना-कितना है ;

(ख) क्या सरकार ने सिथेटिक टाप्स बनाने वाले कारखानों को आयातित कच्चे माल के आवंटन के मामले में ऊन की निकाई करने वाले कारखानों के समतुल्य मानने का निर्णय किया है ; और यदि हां, तो इसे लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार ने इन कारखानों को स्वदेशी विस्कोज स्टेपल रेशों का नियतन करने के लिये और क्या कदम उठाये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निम्नलिखित तीन एककों को संश्लिष्ट टाप्स के विनिर्माण के लिए नीचे दी गई क्षमता के लाइसेंस दिये गये है:—

एकक का नाम	सिथेटिक टाप्स के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता	वास्तविक उत्पादन (किग्रा० में)
	प्रपि वर्ष लाख किग्रा में	
1. मैसर्स वैलमैन (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई।	7.1	1969-70 — 8,03,500 1970-71 — 5,98,200 1971-72 — 8,57,300 1972-73 — 8,74,700
2. मैसर्स आर के सिथेटिक एण्ड फइबर प्रा० लि०, बम्बई।	4.5	कुछ नहीं
3. मैसर्स कामनवैल्थ स्पिनिंग एण्ड निटिंग मिल्स प्रा० लि० लुधियाना	4.5	कुछ नहीं

(ख) संश्लिष्ट निकाई कर्ताओं के लिए कच्चा माल या तो आयातों से या स्वदेशी स्रोतों से, यदि उपलब्ध हो, प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है। ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) स्वदेशी विस्कासे स्टेपल फाइबर संश्लिष्ट निकाई कर्ताओं को आवंटित नहीं किया जाता है। आवंटन प्राप्त कर्त्ता फाइबर सामग्री को टाप में बदलने के लिए उनके पास भेज सकते हैं।

आयकर अधिकारियों की पदोन्नति

4894. श्री विक्रम महाजन

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारी संवर्ग में सीधे भर्ती हुए तथा श्रेणी दो से पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति, वरिष्ठता आदि अधिकारों संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है ;

(ख) क्या सर्वोच्च न्यायलय में इस मामले का निर्णय होने तक पदोन्नत अधिकारियों में से पदोन्नतियां किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो दिसम्बर, 1973 के आरम्भ में उक्त मामले की सुनवाई को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसी पदोन्नतियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयतक नहीं रोकी जा सकी और यदि नहीं, तो इसमें क्या तत्परता थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) तदर्थ पदोन्नतियों की दूसरी सूची 29-11-1973 को जारी की गई है। चूंकि, पदोन्नतियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की गई हैं, इसलिए पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों की बड़ी संख्या उनकी है, जिनकी पदोन्नति आयकर अधिकारी, श्रेणी II ग्रेड से आयकर अधिकारी श्रेणी I, ग्रेड में हुई थी।

(ग) विभाग के कुशल कार्य संचालन केलिए पदों का तत्काल भरा जाना उचित तथा आवश्यक समझा गया था और यह निर्णय लिया गया कि खाली पदों का आयकर अधिकारी, श्रेणी-I में पदोन्नति द्वारा भरे जाने को न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिये जाने तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

सूती कपड़े की बढ़िया किस्मों के मूल्यों में वृद्धि

4895. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में बढ़िया किस्म के सूती कपड़ों के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या मानव निर्मित रेशों वाले कपड़ों की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अगस्त 1973 की कीमतों की अपेक्षा अक्तूबर, 1973 में सूती कपड़े की फाइन तथा सुपरफाइन किस्मों की कीमतों में वृद्धि 7.22 प्रतिशत से 31.91 प्रतिशत के बीच थी।

(ख) उसी अवधि के दौरान कुछ प्रतिनिधि किस्मों के मानव निर्मित रेशा फैब्रिक्स की कीमतों में वृद्धि 6.40 प्रतिशत से 11.76 प्रतिशत के बीच थी।

(ग) कीमतों में वृद्धि मुख्यत: विदेशी तथा स्वदेशी रूई की कीमतों में वृद्धि और कैप्रोलैक्टम तथा लकड़ी की लुगदी जैसे कच्चे माल की कमी के कारण है।

जूट निगम द्वारा जूट उत्पादन क्षेत्रों में खरीद मूल्य निश्चित करना

4896. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पटसन उत्पादक क्षेत्रों में क्या खरीद मूल्य निश्चित किया गया है ;

(ख) जूट मिलों द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से राज्य वार कुल कितनी राशि की खरीद की गयी है ; और

(ग) गत 6 महीनों में बंगलादेश से जूट की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया है तथा उसका प्रति टन मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत सरकार ने चालू मौसम के दौरान कलकत्ता में सुपुर्द की गई कच्चे पटसन की असम बांटम किस्म के लिए निम्नतम काननी कीमत 125.00 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की

है इस कीमत के आधार पर अलग-अलग किस्मों के लिए अलग अलग केन्द्रों में व्युत्पन्न कीमतें निर्धारित की गई है। तथापि भारतीय पटसन निगम द्वारा कलकत्ता में असम बांटम किस्म के लिए 157.68 रु० प्रति क्विंटल की औसत कीमत पर वाणिज्यिक खरीद की जाती है।

(ख) अक्तूबर, 1973 के अन्त तक मिलों ने अपने अभिकरणों के माध्यम से 37.2 लाख गांठों की मात्रा खरीदी है। मिलों द्वारा खरीद के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) विगत छः महीनों के दौरान कोई आयात नहीं किया गया है।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4897. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री लोगों को उचित मूल्य पर अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में 17 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3505 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त उत्तर में बताये गए सभी उपाय अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने में असफल ही सिद्ध नहीं हुए बल्कि मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान अत्यावश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में सही सही कितनी वृद्धि हुई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जैसाकि लोक सभा के 17 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3505 के उत्तर में बताया गया था, मुख्य अनाजों तथा कतिपय अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जा रही है और सरकारी वितरण प्रणाली के अन्तर्गत और अधिक उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल किये जाने के प्रश्न पर एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, जिसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को शीघ्र ही मिल जाने की आशा है। उसके बाद से "लैवी" चीनी तथा मोटे सूती कपड़े के नियंत्रित मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अनाजों पर दी जाने वाली राजसहायता को कम करने और घाटे की वित्त व्यवस्था के स्तर को सीमित करने की दृष्टि से हाल ही में अनाजों के निर्गम मूल्य बढ़ाये गये थे।

औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) से जो अक्टूबर, 1973 में (सबसे हाल के उपलब्ध सूचकांक) 254 था, गत वर्ष के उसी महीने के सूचकांक की तुलना में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है सरकार को मूल्य वृद्धि के बारे में गम्भीर चिन्ता है और वह कमी वाली अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाने तथा अर्थ-व्यवस्था थे अतिरिक्त को नियंत्रित करने के अर्थात इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सभी सम्भव उपाय कर रही है। खरीफ की फसल में सुधार होने तथा रवी की फसल के बेहतर होने की सम्भावना के साथ-साथ सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किये गये मुद्रास्फीति विरोधी विभिन्न उपायों से मूल्यों में कमी होने की आशा है।

बिहार स्थित प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा सेवित जन संख्या और प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण

4898. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री 31 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5239 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा सेवित जन-संख्या और प्रति व्यक्ति दिये गये ऋण के संबंध में उत्तर बिहार के जिलों को शेष बिहार के समकक्ष लाने तथा सम्पूर्ण बिहार को अखिल भारतीय स्तर पर लाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) उत्तर बिहार के प्रत्येक जिले में जुलाई, 1969 के बाद और चालू वित्तीय वर्ष में कौन-सी और कितनी शाखाएं खोली गयी हैं अथवा खोली जानी हैं तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जैसे कि 31 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5239 के उत्तर में कहा गया था, किसी क्षेत्र में जमा राशि के संग्रह और ऋण के उपयोग में लाये जाने का स्तर अधिकतर

क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधि और वहां पर परिवहन, बिजली, संचार आदि का आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि उस पर निर्भर करता है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है वे उत्तरी बिहार सहित अल्पविकसित कम बैंकों वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर अधिक जोर देते रहे हैं जिसके लिए वे अधिक बैंक कार्यालय खोल रहे हैं। और कृषि, छोटे पैमाने उद्योगों, सड़क परिवहन आदि जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को अधिक ऋण देने के संबंध में अधिक जोर दे रहे हैं। जुलाई 1969 से अगस्त, 1973 की अवधि के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उत्तरी बिहार के जिलों में 138 कार्यालय खोले हैं। इन कार्यालयों के स्थान परिशिष्ट I में दिखाये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 6015/73**] अब बैंक शाखा विस्तार के लिए त्रिवर्षीय आवर्ती आयोजना तैयार कर रहे हैं और 1974-76 के वर्षों की आयोजना को, अभी अंतिम रूप दिया जाना है। बिहार के उत्तरी जिलों के केन्द्रों में, जिसकी सूची परिशिष्ट II में दी गयी है, [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 6015/73**] अगस्त 1973 के अन्त में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास कार्यालय खोलने के लिए 30 लाइसेंस/आवंटन थे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण नीति और भर्ती पद्धति पर पुनर्विचार करने के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना

4899. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृत बैंकों में ऋण नीति तथा भर्ती पद्धति पर पुनर्विचार करने के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना करने के लिए 206 संसद सदस्यों द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) ज्ञापन में उठाए गए विभिन्न मामलों पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा कराधान कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिये स्थानों का वर्गीकरण

4900. श्री नारायणचन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा कराधान कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए स्थानों को बांटा जाता है ;

(ख) स्टेशनों पर इनमें से प्रत्येक श्रेणी में भत्ता आदि जैसी कौन सी विभिन्न सुविधायें उपलब्ध हैं ; और

(ग) जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में प्रत्येक श्रेणी के स्थानों के नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और कराधान कर्मचारियों की तैनाती के स्थानों का तैनाती के प्रयोजन से कोई श्रेणी विभाजन नहीं किया गया है। वे जिस कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित होते है उसमें किसी भी स्थान पर उनको तैनात किया जा सकता है। उनको, नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, पर्वतीय क्षेत्र (प्रतिपूर्ति) भत्ता आदि के रूप में मिलने वाले भत्ते का प्रवर्तन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा समय समय पर जारी किये गये आम आदेशों से होता है, जो सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

सहकारी चीनी मिलों को दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि के बारे में कृषि विभाग द्वारा औद्योगिक वित्त निगम को की गयी सिफारिश

4901. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कृषि विभाग ने औद्योगिक वित्त निगम को सिफारिश की है कि वह देश में निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिलों को दिये जाने वाले ऋण की राशि को 150 लाख रुपये से बढ़ाकर 210 लाख रुपये कर दे क्योंकि मशीनरी आदि की लागत मूल अनुमानों से 40 से 50 लाख रुपये अधिक बढ़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) औद्योगिक वित्त निगम सहकारी चीनी मिलों के लिये ऋण सहायता के व्यक्तिगत मामलों को गुणावगुण के आधार पर विचार करता है। सक्षमता से सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध पहलूओं के साथ परियोजना के लिये उधार ली जाने वाली रकमों के एक उचित शेयर पूंजी ढांचे के प्रश्न को भी ध्यान में रखा जाता है यद्यपि सहकारी समितियों के सम्बन्ध में वांछित ऋण सामान्य शेयर अनुपात में कुछ सीमा तक छुट की अनुमति भी दी जाती है। कीमतें बढ़ने के परिणामस्वरूप नयी सहकारी चीनी मिलों को वित्त पोषित करने के प्रश्न पर 30-4-1973 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बुलाई गई एक बैठक में विचार किया गया था। उस समय पूर्वानुमान लगाया गया था कि बढ़ी हुई कीमतों के परिणामस्वरूप निगम को शायद अपने दीर्घावधिक ऋणों में वृद्धि करनी पड़े। निगम ने, जीवन बीमा निगम के सहयोग से, गुणावगुण के आधार पर पहले ही दी नयी चीनी मिलों में से प्रत्येक को 225 लाख रुपये के बढ़े हुए रुपया-ऋण सहायता देने की स्वीकृति दे दी है। निगम उन सभी मापदण्डों के अनुरूप चीनी सहकारिताओं को उदारता से वित्त प्रदान करने के प्रयत्न जारी रखेगा जो परियोजना की सक्षमता के हित से आवश्यक होंगे। किसी भी लाभप्रद परियोजना को विशेष करके सहकारी क्षेत्र में सावधिक ऋण के अभाव में हानि नहीं होने दी जाएगी।

प्रशासनिक व्यय पर रोक लगाने के लिए किये गये उपाय

4902. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासन पर होने वाले व्यय पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा मितव्ययता के संबंध में अन्य क्या उपाय अपनाएं गए हैं अथवा अपनाने का विचार है ;

(ख) मंत्रियों को उनकी निजि आवश्यकताओं के लिये दिये जाने वाले विभिन्न भत्तों के संबंधी व्यय में क्या कटौती की गयी है : और

(ग) विदेशों में स्थित राजनयिक मिशनों तथा देश और विदेशों में मंत्रियों द्वारा किये जाने वाले दौरों के संबंध में होने वाले व्यय को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) सरकार के विकास भिन्न व्यय में कमी करने के लिए, जिसमें और बातों के साथ-साथ प्रशासन आदि पर होने वाला व्यय भी शामिल है, पहले से लागू किये जा रहे मितव्ययता संबंधी उपायों के अतिरिक्त इस वर्ष जो और उपाय किए गए हैं वे इस प्रकार हैं ;

आकस्मिक व्यय और यात्रा भत्तों में 10 प्रतिशत कमी, ऐसे कार्यो उत्तर (नान फंक्शनल) भवनों के निर्माण का स्थगन जो आसन-स्तर (प्लिंथ-लेवल) से आगे नहीं बढ़े हैं ; कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त भवनों को छोड़कर सरकारी भवनों की वार्षिक मरम्मतों और अनुरक्षण का स्थगन, ऐसे नये पदों के निर्माण पर प्रतिबन्ध जो छः महीनों से अधिक की अवधि के लिए खाली रहे हों, स्थानांतरण भत्तों में बचत करने के लिए सरकारी कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं में वारी के अनुसार होने वाले स्थानान्तरणों को स्थगित रखना, विभागीय मोटर गाड़ियों की पैट्रोल की खपत और टेलीफोन कालों की बचत; मनोरंजन और विदेश यात्रा के व्यय में कमी, सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दिये जाने वाले अग्रिम में कटौती, सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों और बैठकों के आयोजन पर होने वाले व्यय में कमी ; अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने के लिये न्यूनतम निमंत्रण दिया जाना और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह निदेश दिया जाना कि वे अपनी कार्यकुशलता बढ़ाकर अधिक आन्तरिक साधनों का निर्माण करें और इस प्रकार नकदी के रूप में होने वाली अपने हानियों में कमी करें। आयोजना व्यय में कमी करने के लिए कुछ अन्य उपाय भी किये गये हैं जिनका इस उत्तर में उल्लेख नहीं है।

(ख) खर्च में सादगी बरतने के लिए उचित वातावरण तैयार करने के विमित्त तत्काल निम्नलिखित उपाय करने का फैसला किया गया है :–

(i) मंत्रियों की स्टाफ कारों द्वारा खपत में लाए जाने वाले पैट्रोल की अधिक तम प्रति तिमाही सीमा 900 लिटर ही निर्धारित की गयी है।

(ii) तीन टेलीफोनों को छोड़कर, जिनमें से मंत्रियों द्वारा 2 स्वयं या अपने निजी कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्य-स्थान में प्रयोग में लाए जाते हैं और एक संसद भवन में प्रयोग में लाया जाता है, अन्य टेलीफोनों पर मंत्रियों द्वारा एस०टी०डी०सुविधा के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसी प्रकार, मंत्री मण्डल स्तर के मंत्री या स्वतंत्र कार्यभार सम्भालने वाले मंत्री के संबंध में घर पर दो और राज्य मंत्री या उपमंत्री के संबंध में एक टेलीफोन को छोड़ कर शेष टेली-

फोनों पर एस० टी० डी० की सुविधा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। एस० टी० डी० सुविधा के लिए प्रतिबंधित टेलीफोनों से की जाने वाली कालों के लिए अधिकतम सीमा प्रति तिमाही 1500 स्थानीय काल निर्धारित की गयी है।

(iii) मंत्रियों के विभिन्न श्रेणियों के निजी कर्मचारियों के कार्यालयों के टेलीफोनों के संबंध में, सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गए विभिन्न आदेश लागू कर दिए गए हैं। जहां तक घरों में लगे टेलीफोनों का संबंध है, मंत्री के निजी कर्मचारियों के प्रयोग में आने वाले दो टेलीफोन को छोड़कर अन्य टेलीफोनों पर एस० टी० डी० सुविधा प्रतिबंधित कर दी गयी है और टेलीफोनों की अधिकतम सीमा प्रति तिमाही 1500 स्थानीय काल निर्धारित कर दी गयी है।

(ग) विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश स्थित राजदूतावासों के व्यय में अधिकतम संभव बचत करने के उपाय किए गए हैं। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कार्य प्रक्रिया का युक्तियुक्त कारण और विभिन्न राजदूतावासों के कर्मचारियों की संख्या में कमी, सकल विदेश भत्ते में 5 प्रतिशत की कटौती को जारी रखा जाना; यात्रा व्यय को उस सीमा तक कम रखना जहां उससे बचा न जा सकता हो, संकटकाल को छोड़कर मध्यावधि गृह अवकाश यात्रा पर लगे विद्यमान प्रतिबन्ध को जारी रखा जाना; विदेश स्थित राजदूतावासों में कर्मचारियों के पहली बार पहुंचने पर होटल में ठहरने के लिए निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा को 90 प्रतिशत की सीमा तक कम करना; समयोपरि भत्ते में कमी करना; गणतंत्र दिवस आदि जैसे अवसरों पर सरकारी आवभगत व्यय को अत्यन्त सादगी के स्तर तक सीमित रखना; तारों आदि के व्यय में कमी; असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर भवनों में की जाने वाली वृद्धियों परिवर्तनों सहित मरम्मतों और छोटे निर्माण-कार्यों के व्यय में कमी; किताबों और लेखन सामग्री डिप्लोमैकटि बैग के व्यय पर कारों आदि में कमी; ऐसे कार्योतर (नान फंक्शनल) भवनों के निर्माण के व्यय पर प्रतिबन्ध जो अभी हाथ में लिए जाने हैं या जो आमन-स्तर (प्लिंथ लेवल) से आगे नहीं बढ़े हैं। जिसमें ऐसी एस० टी० डी० कालें शामिल नहीं है जिनके बारे में यह प्रमाणपत्र दिया गया हो कि वे सरकारी काम के लिए की गयी हैं।

साथ ही, प्रधान मंत्री ने मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं;

(i) सरकारी आवभगत सादा होना चाहिए और वह मंत्री स्तर या उससे ऊपर के स्तर के आगुन्तक विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तक सीमित रखी जानी चाहिए।

(ii) सरकारी काम के लिए की जाने वाली यात्राओं में न्यूनतम सम्भव सीमा तक कमी की जानी चाहिए और वहीं की जानी चाहिए जहां तक कि वे अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य व्यवस्था के लिए जरूरी हो;

(iii) विदेश यात्राओं में अत्याधिक कमी की जानी चाहिए;

(iv) भवनों के नवीकरण और मरम्मत तथा फर्नीचर और साजसज्जा पर होने वाले दिखावे के खर्च को समाप्त किया जाना चाहिए।

(v) आकस्मिकताओं पर होने वाले व्यय में कमी की जानी चाहिए और सरकारी खाते में तब तक कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए जब तक कि सूक्ष्म जांच पड़ताल से यह सिद्ध न हो जाए कि यह करना अनिवार्य है।

(vi) बिजली को खपत में, सामान्य प्रयोग और विवाह जैसे अवसरों पर किये जाने वाले प्रयोगों में कमी की जानी चाहिए।

यूरोपीय सांझा बाजार द्वारा भारत को एक और वर्ष के लिए व्यापार लाभ दिया जाना

4903. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय सांझा बाजार के सदस्य भारत को एक और वर्ष के लिये वर्तमान व्यापार लाभ देने को सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत यूरोपीय सांझा बाजार के देशों में विभिन्न मदों के संबंध में भारत को किस प्रकार की प्रशुल्क रियायतों की आशा है; और

(ग) यूरोपीय सांझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश के परिणामस्वरूप भारत के व्यापार को होने वाली संभावित हानि को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क)से(ग) आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के परिणामस्वरूप ब्रिटेन के बाजार में भारत जो व्यापारिक लाभ उठा रहा है वे ब्रिटेन द्वारा 1–1–1974 से सामान्य सीमा-शुल्क टेरिफ तथा समुदाय की अन्य वाणिज्यिक नीतियों के उत्तरोत्तर अपनाये जाने के फलस्वरूप हाथ से निकल जायेंगे।

हम ब्रिटेन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय दोनों से 1974 के दौरान एक और वर्ष के लिये ब्रिटेन में वर्तमान व्यापारिक लाभों को बनाये रखने के प्रश्न पर बातचीत करते रहे हैं ताकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश से उत्पन्न होने वाली हमारी व्यापारिक समस्याओं के संबंध में परामर्श करने तथा उनका समाधान निकालने के लिये उपयुक्त समय उपलब्ध हो सके। तथापि, इस बारे में प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है।

हमारे व्यापार के नाजुक क्षेत्रों में से कुछ में समस्याओं के संभव समाधानों के बारे में पहले ही समुदाय के साथ बातचीत की जा रही है। इनमें से कुछ क्षेत्रों के संबंध में कुछ परस्पर स्वीकार्य समाधान निकाल सकते हैं। भारत को 1974 हेतु समुदाय की अधिमानों संबंधी सामान्यीकृत प्रणाली से भी लाभ हो सकता है।

भारत, दोनों पक्षकारों के बीच व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये परिवर्धित समुदाय के साथ एक वाणिज्यिक सहयोग करार करने का भी प्रयत्न कर रहा है।

Names of Air Routes in the Country on which Government have to suffer Losses every year

4904. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there are certain air routes in the country where Government have to suffer losses every year and if so, the names thereof; and

(b) the amount of loss suffered by Government durnig the last three years, year-wise, with reasons therefor ?

The Minister of Communications and Tours m and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur):
(a) Of the 102 routes operated by Indian Airlines in 1971-72, the Corporation suffered losses on 82. The names of the routes are given in the enclosed statement at Annexure-I. **[Placed in the Library, See No. L.T. 6016/73]**

(b) : The requiste information is given in the enclose statement Annexure-II. **(Placed in the Library, See No. L.T. 6016/73)**

Long term Export Policy

4905. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether long-term export policy was reviewed in October, 1973 by a Committee and if so, the suggestions made by the Committee ; and

(b) Whether his Ministry has fixed a target of 16 per cent annual increase in exports during the period from 1973-74 to 1976-77 and if so, the steps to be taken by Government to achieve this target ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) Government has appointed a committee under the Chairmanship of Prof. S. Chakravarty, Member, Planning Commission to recommend the long-term strategy for exports for Fifth Five Year Plan and beyond. The Committee has held a few meetings and is continuing its deliberations.

(b) The annual compound rate of growth for exports for Fifth Five Year Plan period 1974-79 is envisaged at 7.6 per cent. The details are available in the draft Fifth Five Year Plan Document recentlv approved by the National Development Council.

Total Amount spent on Construction and furnishing of Hotels Constructed by Central Tourism Department

4906. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Central Tourism Department has constructed luxurious hotels at a

number of places in the country with a view to attract and provide facilities to the tourists and particularly to foreign tourists ;

(b) the names of these hotels and the total amount spent on the construction and furnishing of each of them so far during the last three years ; and

(c) Whether the percentage of Indians using these hotels is much more than that of foreign tourists ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr Sarojini Mahishi): (a) and (b) The India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking has constructed or taken over for operation various types of accommodation such as hotels, motels, travellers' lodges and beach cottages, to cater to the requirements of tourists of different income groups. Among these, three hotels constructed/taken over for operation by the India Tourism Development Corporation during the last 3 years, are likely to qualify for the 4/5 star category.

Details regarding these are given below :—

Name	Date of inauguration	Expenditure incurred on construction/furnishing
		(Rs. in lakhs)
Hotel Ashoka, Bangalore.	1.5.1971	188.18
Akbar Hotel, New Delhi.	27.1.1972	87.48 (represents the cost of modifications in the buildings, furnishings, etc.)
Qutab Hotel, Delhi.	4.11.1973	15.00 (represents the cost of renovation of buildings which formed part of the US AID building complex).

(c) While this has been so in the case of Hotel Ashoka, Bangalore, the percentage of foreigners has been higher at the Akbar Hotel, New Delhi. The Qutab Hotel, Delhi has opened only recently.

केरल के हस्तकला और हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिये विपणन विकास निधि आर्थिक सहायता का दिया जाना

4907. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री 9 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2756 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के हस्तकला तथा हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये विपणन विकास निधि आर्थिक सहायता देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि विपणन विकास निधि सहायता, राज्य उपक्रम, अर्थात् केरल हस्तशिल्प विकास निगम लि० को उसके निर्यात संवर्धन संबंधी कार्यों के संबंध में दी जाये। आवेदन पत्र की विधिवत् जांच करने के बाद निगम को निर्यात सदन के रूप में मान्यता दे दी गई है, जिससे यह बाजार अध्ययन, प्रचार और प्रदर्शनियों में भाग लेने जैसे निर्यात संवर्धन के अनुमोदित कार्यों के संबंध में विपणन विकास निधि से सहायता लेने का पात्र हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance

राष्ट्रीय बीज निगम को संदिग्ध लेन देन के कारण लगभग 10 लाख रुपये की हानि होने का समाचार

श्री विक्रम महाजन (काँगड़ा): श्रीमन, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें

"राष्ट्रीय बीज निगम को संदिग्ध लेन देन के कारण पिछले तीन महीनों में लगभग 10 लाख रुपये की हानि होने का समाचार" ।

राष्ट्रीय बीज निगम को संदिग्ध लेन देन के कारण पिछले तीन महीनों में लगभग 10 लाख रुपये की हानि होने का समाचार

Reported loss of about Rs. 10 lakhs to National Seeds Corporation due to shady trans actions.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : अनुमान है कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 13 दिसम्बर, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे उस समाचार के संबंध में है जिसमें यह कहा गया था कि बेईमानी के लेन-देन के कारण राष्ट्रीय बीज निगम को गत तीन महीनों के दौरान लगभग 10 लाख रु० की हानि हुई है । इस मामले में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बताये गये तथ्य नीचे दिये गये हैं :-

राष्ट्रीय बीज निगम ने 8,500 क्विंटल आलू के बीज की सप्लाई के लिये बंगलादेश कृषि विकास निगम के साथ 25 सितम्बर को एक करार को अंतिम रूप दिया । इस करार के अंतर्गत आलू के बीज सड़क द्वारा जैसूर को भेजे जाने थे क्योंकि ये बीज ठंडे गोदामों से निकालने के बाद शीघ्र ही खराब हो जाते हैं । आलू के बीज दिल्ली, मेरठ, जालन्धर, अहमदाबाद, और कलकत्ता के ठंडे गोदामों से निर्यात किये जाने थे ।

बंगलादेश को बीज भेजने के लिये किसी परिवहन कम्पनी के साथ दर-संविदा (रेट कंट्रेक्ट) की कोई व्यवस्था नहीं थी । अतः राष्ट्रीय बीज निगम ने उपर्युक्त स्थानों से जैसूर को बीज भेजने के लिये एक सीमित मात्रा में निविदायें आमंत्रित कीं और यह कार्य मैसर्स सेन्ट्रल ट्रांसपोर्ट आफ इंडिया को सौंपा गया क्योंकि कलकत्ता को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से बीज ढोने के लिये उनकी दरें सबसे कम थीं । 3 अक्तूबर, 1973 को इस कम्पनी ने निगम को सूचित किया कि कलकत्ता में 8 अक्तूबर, 1973 से परिवहन वालों की हड़ताल के खतरे के कारण उनके लिये निश्चित समय के अन्दर जैसूर को बीज भेजने संबंधी काम करना संभव नहीं होगा । परिवहन मंत्रालय की सहायता से राष्ट्रीय बीज निगम केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम (जो कि सार्वजिनक क्षेत्र का एक अधिष्ठान है) के लिये सेंट्रल ट्रांसपोर्ट आफ इंडिया के साथ कलकत्ता से जैसूर को बीज भेजने की शर्तें तय कर सका । तथापि, बीजों को समय पर पहुंचाने तथा सब शर्तों को पूरा करने की जिम्मेदारी सेंट्रल ट्रांसपोर्ट आफ इंडिया की रही है ।

यह आरोप सही नहीं है कि दिल्ली से कलकत्ता तक बीजों के परिवहन के लिये संविदा की वर्तमान दरों को किसी अन्य कम्पनी के संबंध में लागू करके जैसूर तक बीज कम दर पर पहुंचायें जा सकते थे ।

यदि भंडारण के स्थान से जैसूर तक बीजों की ढुलाई का कार्य दो चरणों, अर्थात् भंडारण के स्थान से कलकत्ता तक और कलकत्ता से जैसूर तक पहुंचाने में बांटा जाता, तो कलकत्ता में आपात भंडारण तथा वहां से दुबारा आगे भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती । राष्ट्रीय बीज निगम की मंशा यह थी कि जैसूर तक 10 दिन के अन्दर समस्त बीज पहुंचाने के लिये केवल एक ही ऐंजेंसी को उत्तरदायी बनाया जाये । बाद में परिवहनकर्ताओं की हड़ताल के खतरे का, जिसके कारण कलकत्ता से बीज दुबारा आगे भेजने की आवश्यकता पड़ी, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था ।

दिल्ली, मेरठ, जालन्धर तथा अहमदाबाद से लगभग 8.500 क्विटल बीजों के परिवहन का कुल बिल केवल 2.89 लाख रुपये आया । कम सप्लाई करने तथा 10 दिन की निर्धारित अवधि के दौरान लगभग 60 मीटरी टन बीज एक दिन देरी से पहुंचाने के कारण, राष्ट्रीय बीज निगम ने मैसर्स सेंट्रल ट्रांसपोट आफ इण्डिया को की जाने वाली 31,111.04 रुपये की राशि की अदायगी रोक दी है ।

अतः इस सौदे में राष्ट्रीय बीज निगम को 10 लाख रु० की हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि क्षेत्रीय-प्रबन्धक, कलकत्ता की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय बीज निगम यह जांच कर रहा है कि क्या इस कार्य में कोई अनियमिततायें तो नहीं हुई हैं ।

भंडारण के स्थानों पर बंगलादेश कृषि विकास निगम के प्रतिनिधियों द्वारा बीजों का निरीक्षण होने के पश्चात ही बीज प्रेषित किये गये थे। तत्पश्चात फाइटोसेनिटरी सर्टिफिकेट जारी करने के लिये वनस्पति-रक्षण निदेशालय ने भी कलकत्ता में इनकी जांच की थी। इसके अलावा परिवहन के दौरान होने वाली क्षति के जोखिम के लिये बंगला देश कृषि विकास निगम ने बीमा करावाया था, क्योंकि करार के अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम गोदाम से बीज सप्लाई करने के लिये जिम्मेदार था। परिवहन वालों के साथ हुए करार में इस बात को व्यवस्था थी कि यदि ढुलाई के दौरान बीज के सामान्य रूप से सूखने के कारण वजन में होने वाली कमी से अधिक कमी पाई जायेगी तो उसके भाड़े में कटौती की जायेगी। ढुलाई के दौरान किसी कमी या क्षति के कारण राष्ट्रीय बीज निगम को कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि इसकी पूर्ति या तो परिवहन वालों के भाड़ में कटौती करके कर ली जानी है या यह बंगलादेश कृषि विकास निगम द्वारा की गई बीमें की व्यवस्था के अंतर्गत आ जाती है। बंगला देश कृषि विकास निगम ने माल स्वीकार कर लिया था। अलग-अलग खेप में पाई गई क्षति या कमी के बारे में उन्होंने सूचना दी है। यद्यपि इस मामले में कोई गम्भीर आरोप नहीं हैं, फिर भी भारत सरकार इस सारे कारोबार की विस्तृत रूप से छानबीन करेगी और इस संबंध में यदि कोई अनियमिततायें पाई गईं तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाई की जायेगी।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : राष्ट्रीय बीज निगम का देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार कुछ पार्टियों को अधिक भुगतान करके लाभ पहुंचाना, निम्न कोटि के बीज उपलब्ध करना आदि आरोप लगाये गये हैं। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 25 सितम्बर को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बंगलादेश सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम को अगस्त में अपना अनुमोदन दिया था और निगम को जब अनुमोदन दिया जाता है तो समझौता पूरा माना जाता है? क्या यह सच नहीं है कि अनुमोदन अगस्त में दिया गया था और निगम के अधिकारी एक महीने तक सोये रहे और फिर अचानक कुछ पार्टियों पर कृपा करने के लिये उन्होंने आपात स्थिति पैदा कर दी? मंत्री महोदय को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

दूसरा, राष्ट्रीय बीज निगम दिल्ली से कलकत्ता बीज ले जाने के लिये परिवहन मालिकों को प्रति सौ क्विंटल के लिये 1500 रुपये देता था परन्तु इस कांड में उसने दिल्ली से कलकत्ता बीज ले जाने के लिये 2,200 रुपये दिये। इसका मतलब है कि उसने संबंधित पार्टी को 700 रुपये का लाभ पहुंचाया। मंत्री महोदय ने बताया था कि उद्देश्य यह था कि एक ही पार्टी दिल्ली से जैसोर समूचा माल ले जाये जब कि वास्तव में एक ही पार्टी दिल्ली से कलकत्ता माल ले गयी तथा वहां ठेके को समाप्त कर दिया गया। इस पर भारत सरकार के अपने उपक्रम ने कलकता से जैसोर तक बीज पहुंचाया। प्राइवेट पार्टी ने इस के लिये सरकार को प्रति सौ क्विंटल के लिये 500 रुपये दिये जबकि निगम ने उस पार्टी को इसके लिये 850 रुपये दिये। इस प्रकार प्राइवेट कम्पनी को लाभ पहुंचाया गया।

इसके अलावा बंगला देश को जो बीज सप्लाई किये गये, वे घटिया किस्म के थे। कुछ मामलों में बंगला देश में जो बीज पहुंचाये गये, उनमें से 95 प्रतिशत बीज खराब निकले। मैं चाहता हूं कि सरकार उपरोक्त प्रश्नों का समाधान करे तथा एक संसदीय समिति स्थापित करे जो इस संदिग्ध लेन-देन के संदर्भ में राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकरण की जांच करेगी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है माननीय सदस्य राष्ट्रीय बीज निगम के वक्तव्य के बजाय समाचारपत्रों पर अधिक विश्वास कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि जब बंगला देश सरकार ने अगस्त में पत्र भेजा था तो सितम्बर में यह व्यवस्था क्यों की गई। इसका कारण यह है कि उस पत्र में कुछ ऐसी शर्त थी जो राष्ट्रीय बीज निगम को स्वीकार्य नहीं थी। बाद में सहमति हो जाने पर सितम्बर के महीने में परिवहन की व्यवस्था की गई। यह कहना गलत है कि किसी पार्टी का लाभ पहुंचाने के लिये जानबूझ कर देरी की गई। राष्ट्रीय बीज निगम ने इस कार्य में तत्परता दिखाई। माननीय सदस्य ने 10 लाख रुपये को हानि होने की बात कही है। अभी तक ऐसी कोई हानि होने के बारे में पता नहीं चला है।

जहां तक खराब बीजों का संबंध है, हमें बंगलादेश सरकार से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कुल 31,000 रुपये मूल्य के बीज खराब निकले हैं जिसका मूल्य चुकाने के लिये परिवहन कम्पनी को कहा जा रहा है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि दिल्ली से कलकत्ता को बीज नियमित व्यवस्था द्वारा क्यों नहीं भेजे गये? इसका कारण यह है कि बीजों को दिल्ली के अतिरिक्त अहमदाबाद, जालन्धर, मेरठ तथा अन्य स्थानों से भी सप्लाई किया जाना था। इसलिये बीजों को सप्लाई के लिये टेंडर मांगे गये थे। हमने सबसे कम राशि वाले टेंडर को स्वीकार किया। इसलिये इसमें 10 लाख रुपये की हानि होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त माल के ले जाने में होने वाली

हानि की पूर्ति परिवहन कंपनी को करनी पड़ती है। आगे जो हानि होगी, उसका भार बंगला देश निगम को उठाना पड़ता है। इसलिये राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा हानि उठाने का प्रश्न नहीं उठता है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह व्यवस्था उस नियमित परिवहन कम्पनी को क्यों नहीं सौंपी गई जो दिल्ली से कलकत्ता माल ले जाती है। इसका कारण यह है कि यहां केवल 14 ट्रक उपलब्ध थे इसलिये ट्रकों का प्रबन्ध अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों से करना पड़ा। बीजों की सप्लाई 10 दिन के अंदर करनी पड़ी अन्यथा वे खराब हो जाते। इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी जिससे माल को सीधे जैसोर ले जाया जा सके।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : Some interested Parties are trying to point out defects in the goods which we are supplying to Bangla Desh. The news in the Hindustan Times say that the Public undertaking paid Rs 850/- per truck to a Private transport company for transportation of goods from Calcutta to Bangla Desh but only Rs. 500 was deducted from the payments to be made to the company. I would like to know why the balance of Rs. 350 per truck was not deducted.

Shri F. A. Ahmed : We had contract with this Private Company that it would supply goods upto Jessore. On learning that trucks cannot be taken to Calcutta due to strike there they made arrangement with Central Road Transport Corporation to supply the goods from Calcutta to Jessore on Rs. 500 per truck. This arrangement was made by that company and accordingly the amount was deducted.

Shri Ram Kanwar (Tonk) : Sir, I want to know the names of persons who are responsible for the bungling in the National Seeds Corporation. When the agreement with Bangla Desh was signed ? The name of the concerned company was in the black list but inspite of this it was given contract by other name. When the question of supplying spoiled seeds of wheat was raised in this House the hon. Minister told that it was meant for cattle.

I want to know whether the National Seeds Corporation makes arrangement to preserve seeds in the Godown. What actions are taken to save them from being spoiled ?

May I know whether the hon. Minister knew about this episode before it was published in the newspaper ? If so, then what action has been taken against the persons responsible for this misdeed. Although the hon. Minister mentioned the loss of Rs 2 lakhs..........

Shri F. A. Ahmed : I want to remove a misconception. I have never mentioned the loss of Rs. 2 lakhs. We have stated that the bill for transport charges was Rs. 2.89 thousand. It is not correct that the name of Central Transport of India was in black list. We have no such information.

The question of loss does not arise because it was in the agreement that seeds will be checked by them before delivery to Bangla Desh. The seeds were found in good condition also in Jessore. We have claimed Rs. 31,000 from the company for spoiled seeds and that amount will be deducted.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : The news of loss of Rs 10 lakhs in three months have appeared in the newspapers. But the hon. Minister says that there is no such thing in existence. In the statement, the Minister said "facts as supplied by the National seeds corporation." When the newspaper say that some big officials are involved in this episode then how they can give you correct information. Today charges are levelled against branches like food corporation of India, Fertilizer corporation of India, I.A.R.I. etc. If the National Seeds Corporation supply spoiled seeds then how can we expect good results. The hon. Minister has talked of shortage of seeds when it reached in Bangla Desh and attributed it to the perishable nature of items. This is a very serious matter. It should be examined by the Government.

The National seed corporation's attitude towards farmers is not helpful. The farmers are given seeds at the rate of Rs. 250 Rs. 350 per quintal. They do not release high yielding varities to the farmers. The employees of this corporation sell seeds at the back doors. The

Government should set up a parliamentary committee which will go into all the bunglings goin on all corporation like seed corporation Food corporation, Fertilizer corporation etc.

Sir, the news reported in the newspaper is not supposed to be unfounded and baseless. It is quite strange that the persons, who were blacklisted, have been entrusted this work. It must be explained.

Shri F.A. Ahmed : In spite of the statement given by the Government certain hon. Members feel that seed corporation has suffered loss worth Rs. 10 lakhs the only basis of this apprehension in the news item published in a newspaper. Their main grouse is that transport charges are much higher. The total amount of transport charges is Rs 2.80 lakhs . I would like to request that the hon. Members should remove this misunderstanding and should not malign the country.

According to the contract this item was to be delivered at Jassore within the period of ten days from the date of loading from the godowns. I would also like to tell the House that potato seed remains worth utilizing for a period of 21 days after taking it away from the godowns. The delivery of the potato was delayed for a negligent period of time. For that we have filed a claim of Rs. 31, 000 against the transport companies for this damage. The amount of claim would be deducted from the transport charges. We have not received any complaints to the effect that contracted item has not been delivered in time.

According to the terms and conditions of the contract potato seed was checked by the authorities of seed corporation of Bangladesh at the place of delivery and they did not make any complaints regarding the quality of the seed. I would also like to point out that there has been an increase in the profit of the seed corporation. We have been producing good varities of seeds.

Shri Mukhtiar Singh Malik : Seed is being sold in black market at the rate of Rs. 100 per kilogram.

Shri F. A. Ahmed : Seeds corporation has been rendering a good service. We should not bring a bad name to our country by saying such things.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मंत्री महोदय ने सभा में गलत बयानी की है । मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे यह सिद्ध होगा कि उन्होंने सभा को धोखा दिया है । **(व्यवधान)**

मैंने एक संसदीय समिति के बारे में पूछा था तथा श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने 28 अगस्त को बताया था कि इस समिति का प्रतिवेदन सितम्बर, 1973 में मिलने की संभावना है । मंत्री महोदय ने सभा को यह नहीं बताया कि सरकार को उक्त प्रतिवेदन मिल गया है तथा इस पर विचार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में जांच करूंगा किन्तु इसका यहां उल्लेख करने का क्या तात्पर्य है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : बंगलादेश सरकार ने 160 रुपया प्रति क्विटल के मूल्य पर 8,500 क्विंटल आलू का बीज खरीदने का क्रयादेश दिया था । इस देश में इस प्रकार के बीज का थोक में मूल्य 108 रुपया प्रति क्विटल है तथा जैसोर कलकत्ता से लगभग 60 मील दूर है । मैं जानना चाहता हूं कि एक पड़ोसी मित्र देश से 52 रुपया प्रति क्विटल अधिक मूल्य क्यों लिया जा रहा है ?

यदि रेल द्वारा इस माल को भेजा गया होता तो बहुत सस्ता पड़ता । गैर सरकारी परिवहन कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिये सरकार ने कलकता से माल न भेजकर अन्य विभिन्न क्षेत्रों से सारा माल सप्लाई किया है बीज निगम द्वारा पूरे भारत से टेंडर न मंगाये जाने के क्या कारण हैं जबकि तीन लाख रुपयों की राशि का प्रश्न था ? इकानोमिक ट्रांस्पोर्ट आर्गेनाईजेशन से सांठ गांठ करके सेंट्रल ट्रांस्पोर्ट आफ इण्डिया, नई दिल्ली को यह कार्य सौंपा गया जबकि स्वयं निगम ने इसका नाम काली सूची में दर्ज किया गया था क्योंकि वह माल की चोरी करती है तथा अधिक किराया वसूल करती है । सहायक महाप्रबन्धक (विपणन) पर राज्य सभा में आरोप लगाये गये थे किन्तु उसी को किस्म नियंत्रण का कार्य सौंप दिया गया ।

मेरे पास यह पत्र संख्या 3(23)/एम०के०टी०/एन० एस०सी०–कल/2406, दिनांक 31 अक्तूबर, 1973 की प्रति है जो निगम ने कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा नई दिल्ली स्थित निगम के प्रबन्ध निदेशक को भेजा गया था । सारा पत्र मैं नहीं पढ़ूंगा । एक स्थान पर इस में लिखा है कि बंगलादेश कृषि विकास निगम के प्रतिनिधियों ने कहा

है कि अधिकतर बीज गले हुए हैं तथा उनके पास बहुत कम बीज पहुंचा है । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । मेरा अनुरोध है कि उस पत्र को सभा पटल पर रखा जाये । मंत्री महोदय ने जानबूझ कर सभा को धोखा दिया है ।

जहां तक लक्ष्यों की प्राप्ति का संबंध है 1969-70 में निर्धारित लक्ष्यों का 0.7 प्रतिशत लक्ष्य तथा 1970-71 में केवल एक प्रतिशत की प्राप्ति हुई है । तिलहन के मामले में यह प्रतिशतता 0.2 रही है तथा दालों में 0.001 प्रतिशत । यह सरकार की उपलब्धि है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि इसके लिये केवल पांच मिनट का समय निर्धारित है । माननीय सदस्य को मूल विषय तक ही सीमित रहना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं दस्तावेजों की फोटोस्टेट कापी सभापटल पर रखना चाहता हूं । मंत्री महोदय ने सभा को धोखा दिया है । स्थिति यह है कि 30 से 40 प्रतिशत तक बीज फसलों का राष्ट्रीय बीज निगम ने निरीक्षण नहीं किया । मैं जानना चाहता हूं कि निगम के वित्तीय सलाहकार का पद कितने दिनों से रिक्त पड़ा है ?

अब मैं दिनांक 26 सितम्बर, 1973 के एक नोट का हवाला देना चाहता हूं जिसपर मार्केटिंग आफीसर श्री आर० एल० शर्मा के हस्ताक्षर हैं । यह एक धोखाधड़ी है क्योंकि सहायक महा प्रबन्धक श्री डी० एस० राना ने कोई तिथि नहीं लिखी । मैं इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इनकी जांच करूंगा लोकलेखा समिति के सभापति होने के कारण आप दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस सदन के सदस्य की हैसियत से कार्य कर रहा हूं । मंत्री महोदय ने धोखा दिया है

अध्यक्ष महोदय : मैं इनकी जांच करूंगा । मैं इन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं देता ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने वही जानकारी दी है जो मुझे बताई गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय यह कह कर उत्तरदायित्व से बच सकते हैं कि मैंने वही बताया है जो मुझे बताया गया है ? उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिये तथा स्वीकार करना चाहिये कि सभा को धोखा दिया है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा था कि मैं समाचार पत्रों के समाचारों पर विश्वास नहीं कर सकता । मैं उन्हीं आंकड़ों पर विश्वास करूंगा जो मुझे मेरे विभाग की ओर से दिये जायेंगे । उसी जानकारी के आधार पर मैंने बताया है कि गत तीन महीनों के दौरान निगम को 10 लाख रुपयों के घाटे का आरोप निराधार है । **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने किसी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का हवाला नहीं दिया । मैंने विशेष घटनाओं का उल्लेख किया है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने निवेदन किया है करार की शर्तों के अनुसार एक बार गोदामों में बीजों का निरीक्षण किया जाना था तथा दूसरी बार माल प्राप्त करते समय बंगलादेश के प्रतिनिधियों ने माल की जांच की थी तथा उनमें कोई दोष नहीं पाया था । माल प्राप्ति के समय माल में कमी तथा माल को किस्म के बारें में कुछ आपत्तियां उठाई गई थी । इस मामले की जांच की जा रही है । यदि किसी प्रकार की हानि हुई है उसके लिये न परिवहन कम्पनियां उत्तरदाई हैं और न राष्ट्रीय बीज निगम । इसका उत्तरदायित्व बीमा कम्पनी पर है तथा किसी भी घाटे को पूर्ति बीमा कम्पनी करेगी ।

मैंने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया है कि कुछ आपत्तियों के आधार पर परिवहन कम्पनियों को दी जाने वाली राशि में से 31,000 रुपये काटे जाने का दावा किया गया है । ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली है जिसके आधार पर बंगलादेश सरकार को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा कोई मुआवजा दिया जाये । यदि कुछ राशि देनी पड़ी तो वह या तो परिवहन कम्पनियों द्वारा दी जायेगी अथवा बीमा कम्पनियों द्वारा । जहां तक आलू के बीज के मूल्य का प्रश्न है बीज निगम भारतीय व्यापारियों को 120 रुपया के भाव पर बेच दिया जाता है **(व्यवधान)** । जब हम इसका दूसरे देश को निर्यात कर रहे हैं तो उसका अधिक मूल्य लिया जाना न्यायसंगत है । इसमें माल को पैक करना तथा ढुलाई आदि भी सम्मिलित है ।

ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करके दोनों देशों की जनता में दुर्भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है । **(व्यवधान)**

जहां तक समिति के प्रतिवेदन का सवाल है, समिति ने समय बढ़ाये जाने की मांग की है। प्रतिवेदन मार्च में प्राप्त होने की संभावना है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को विभागीय नोट किस प्रकार मिल जाते हैं। मंत्री महोदय को उनकी जानकारी नहीं होती किन्तु विपक्षी दल के सदस्यों के पास ये नोट पहुंच जाते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विवरण तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (12वां संशोधन) नियम, 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) भारतीय (व्यवसाय) संघ अधिनियम के अधीन इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के रजिस्ट्रीकरण तथा आयकर के संदाय, के लिये इसके दायित्व के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5993/73]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (12वां संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 507 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5994/73]

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (चेयरमैन और अन्य पूर्ण कालिक सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1973

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (चेयरमैन और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 717(ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5995/73]

भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1972-73 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा चाय बोर्ड के वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5996/73]

(2) चाय बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5997/73]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन्! मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973, जो लोक सभा द्वारा 11 दिसम्बर, 1973 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा ने 13 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें लोक सभा से सिफारिश की गई है कि वह बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की सदस्यता से श्री मधु लिमये द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उक्त संयुक्त समिति में लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे।

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

महासचिव : महोदय! मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1973 सभा पटल पर रखता हूं।

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को पुलिस अधीक्षक, इन्दौर से प्राप्त दिनांक 13 दिसम्बर, 1973 के एक तार के बारे में सूचना देता हूं जिसमें बताया गया है :

"कि डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, सदस्य, लोक सभा, को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन 13 दिसम्बर, 1973 को 9.15 बजे ग्राम हरसोला (इन्दौर जिला) में गिरफ्तार किया गया और उन्हें उसी दिन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।"

नियम समिति
RULES COMMITTEE
(तीसरा प्रतिवेदन)

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुन) : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 331 के उपनियम (1) के अन्तर्गत नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTING OF THE HOUSE
(12वां प्रतिवेदन)

श्री एस०सी० सामन्त (तामलक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी आश्वासनों संबन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
(7वां प्रतिवेदन)

श्री डी०डी० देसाई (कैरा) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 7वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री के०एस० चावड़ा (पाटन) : हमें यह आश्वासन दिया गया था कि अनुसूचित जाति आयुक्त का प्रत्येक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा परन्तु वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया । वर्ष 1971–72 और 1972–73 के प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे गये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें लिख कर सूचना भेजनी चाहिये थी ।

श्री के० एस० चावड़ा : समिति को सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का ध्यान रखना चाहिये ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया): मैं सोमवार, 17 दिसम्बर, 1973 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :–

(1) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार करना

(2) कोंकण यात्री पोत (अर्जन) विधेयक, 1973
(विचार तथा पास करना)

(3) चर्चा तथा मतदान :–
(एक) वर्ष 1971–72 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य)
(दो) वर्ष 1973–74 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

(4) विचार तथा पास करना :–
(एक) आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1973
(दो) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(5) मंगलवार, 18 दिसम्बर, 1973 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पास करना :
(एक) संविधान (33वां संशोधन) विधेयक, 1973
(दो) मुल्की नियम (निरसन) विधेयक, 1973

(6) लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1973 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।
(विचार तथा पास करना)

(7) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973
(विचार तथा पास करना)

(8) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा

Shri Madhu Limaye (Banka) : A discussion on Sales Tax Amendment ordinance was taking place in Bihar and there was a motion of disapproval introduced by communist party....

Mr. Speaker : How can this issue be raised in this House ? It should be discussed in Bihar.

Shri Madhu Limaye : I have given notice of substantive motion under rule 184. I want that permission should be given to discuss this matter in the next week.

Mr. Speaker : I have not allowed it. How can it be discussed ?

Shri Madhu Limaye : The question of Sales Tax ordinance pertains to Taxation. The State Government has been defeated over this issue and should, therefore, resign.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

Shri Madhu Limaye : The constitution has been vioated in Bihar. It is stated in Article 164(2) that............

Mr. Speaker : The State Assembly is in session and action will be taken by them.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह ठीक है कि यह मामला बिहार विधान सभा का है परन्तु राज्यपाल ने सरकार की असफलता के बारे में क्या बताया है ? हमें यह बताया जाना चाहिये। यह कैसे पता चल सकता है कि वहां की सरकार को विधान मंडल का विश्वास प्राप्त है ?

Mr. Speaker : This problem cannot be solved the way, Shri Madhu Limaye wants. The hon'ble Minister has announced business of the House for the next week. He can ask for a discussion on Bihar situation. I cannot allow this discussion right now.

Shri Madhu Limaye : I want that hon'ble Minister should make a statement regarding the situation created in Bihar and say whether Bihar Government should resign or not as a result thereof.

Shri Shankar Dayal Singh (Chakra) : I want to raise a point of order under rule 376. We are also very much concerned about the Bihar situation. I want to know whether there is any propriety in raising the Bihar issue in this House. I want your ruling on this point.

Mr. Speaker : I shall give my ruling at the appropriate time.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस सूची में तीन मामले शामिल नहीं किये गये जिन पर चर्चा के बारे में मांग की गई है। इन में एक मामला उड़ीसा के उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी श्री बी० डी० जत्ती के राज्यपाल के पद पर बने रहने का औचित्य का है। दूसरा संविधान के अनुच्छेद 174 के उपबन्ध के अनुसार 6 महीने की अवधि की शर्त पूरी न करने के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा के अस्तित्व के कानूनी पहलू पर चर्चा का है और तीसरा प्रारूप योजना पर ब्यौरेवार चर्चा का है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं इस विचार का समर्थन करना चाहता हूं कि 'टाइम केप्सूल' के विषय में चर्चा पूरी की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कभी भी चर्चा की जा सकती हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी: अब हमें बताया जा रहा है कि पांचवीं योजना पर चर्चा स्थगित की गई है। गत सत्र में इस पर चर्चा आरम्भ की गई थी और फिर इसे इस सत्र की अन्तिम तिथि के लिये रख दिया गया, यह बड़ी अजीब बात है। इसी प्रकार चलचित्र विधेयक को प्रति सप्ताह कार्य सूची में शामिल किया जाता है परन्तु इस पर अभी तक चर्चा नहीं हो पाई। फिर बिहार के मामले के बारे में आपने औचित्य की बात की है और आपने सुझाव दिया है कि इसको किसी अन्य रूप में लाया जा सकता था.........

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा था कि जिस रूप में इस मामले को उठाने का प्रयत्न किया गया है मैं उसे अस्वीकार करता हूं और यदि अगले सप्ताह में इसे किसी अन्य रूप में उठाया गया तो मैं उस पर विचार करुंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): 'क्लीयरिंग हाऊस' में संकट के परिणामस्वरूप बैंक आफ बड़ौदा में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। अत: मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

चीनी आयोग का प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिये इस विषय पर आवश्यक चर्चा की जानी चाहिये। भारत रूस करार भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसपर भी चर्चा की जानी चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अगले सप्ताह में सभा में मेरठ, इलाहबाद और उत्तर प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा की जानी चाहिये।

औद्योगिक विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट को रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार से अलग किये जाने के मामले को ले कर रिजर्व बैंक के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। अत: वित्त मंत्री को इस विषय पर एक वक्तव्य देना चाहिये और उस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिये।

प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पुन: सत्ता सम्भाल लेने की स्थिति में मार्टिन बने रेलवे को पुन: चालू कर दिया जायेगा। अब यह कहा जा रहा है कि यदि राज्य सरकार 50 प्रतिशत व्यय करने के लिए तैयार है तब केन्द्रीय सरकार इस मामले पर विचार करेगी। यह ढकौंसला मात्र है। पश्चिम बंगाल सरकार कभी भी 50 प्रतिशत व्यय करने की स्थिति में नहीं होगी। अत: प्रधान मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए और स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I would like to submit that discussion on Food Corporation of India should be completed in the next week.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : जैसाकि श्री एच० एन० मुकर्जी और श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कहा है 'टाइम कैपसूल' पर चर्चा की जानी चाहिये। मैंने उसका अपने द्वारा प्रमाणित पाठ सभा पटल पर रखा है और उसे स्वीकार कर लिया गया है तथा बुलेटिन में प्रकाशित भी किया गया है। अब अनेक सदस्य उसकी प्रतियां प्राप्त करना चाहते हैं। सरकार को उसकी प्रतियां उपलब्ध करनी चाहिएं।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा को बार बार स्थगित किया जा रहा है। अब हमें आपके सचिवालय से एक ज्ञापन मिला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन समितियों को अन्तर सत्रावधि में काम करना होगा और आगामी सत्र के आरम्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जायेगें और यदि हां, तो इन समितियों के लिये क्या सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं?

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : A discussion should be arranged on the constitutional crisis in Bihar. Government should make a statement and clarify the position.

The Minister of Irrigation and Power should make a statement on the situation arising out of erosion in different parts of Bihar. The problem of resettlement of inhabitants of these villages is taking serious turn. The Central Government should help the State Government in this matter.

श्री समर गुह (कंटाई) : बिहार मंत्रिमंडल की हार के बारे में इस सभा में चर्चा की जानी चाहिये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है।

कच्चाटिवू द्वीप में पता लगाये गये तेल निक्षेपों का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस द्वीप के स्वामित्व के बारे में अभी विवाद चल रहा है। सरकार को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिये। फिर देश के विभिन्न भागों में समाचार पत्रों के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है। क्या इस संबंध में कोई समान नीति बनाई गई है?

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह जानते हुए भी कि वर्तमान सत्र में समय कम है, मैं संसदीय कार्यमंत्री का ध्यान कुछ उन मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन पर चर्चा आवश्य की जानी चाहिए। रेलवे के लोको रनिंग कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं और वे 'नियमानुसार' काम कर रहे हैं। रेलवे यातायात अस्त व्यस्त हो गया है, कई गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। पी०टी० आई० और यू० एन० आई० के समाचारों के अनुसार 27 फरवरी से रेलवे में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल होने जा रही है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि रेलवे के कार्यकरण के बारे में सरकार के विचार क्या हैं? दूसरी बात यह है कि वैगनों की भारी कमी के कारण कोयले की सप्लाई पूरे देश में बहुत कम है और उससे उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा जिससे श्रमिकों के सामने कठिनाई है और उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं।

पंचवर्षीय योजना के बारे में दृष्टिकोण पत्र पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। गत सत्र में उस पर विचार अधूरा रहा था और इसमें भी उस पर विचार पूरा नहीं होता दिखाई देता अतः मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह योजना पर विचार के लिए समय नियत किया जाना चाहिए। अगले सप्ताह में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन और राज्यपाल के कदाचार के बारे में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। वित्त मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि क्या पेंशन पाने वालों को कोई अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : गत सत्र में आपने लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन-ढांचे पर विचार करने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी। क्या उस संबंध में कोई सिफारिश की गई है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्नों के उत्तर उस तरह से नहीं दूंगा जिस प्रकार मंत्री देता है। अच्छा यह होगा कि इस बारे में जानकारी के लिए आप मेरे कक्ष में आयें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (दायमंड हार्बर) : आप पी० एल० 480 समझौते पर चर्चा के लिए भी अगले सप्ताह कुछ समय नियत करें।

Shri Hukam Chand Kachwai: (Morena): I request you that some time should be made available for the discussion on the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा का संबंध है, विदेश मंत्री ने एक प्रस्ताव की सूचना दे रखी है और हम इसे 18 तारीख को संविधान (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने के बाद लेंगे। जहां तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का संबध है मैंने कार्य मंत्रणा समिति में भी यह बात स्पष्ट की थी कि जब पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हो गया है तो फिर उसके दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा करने से क्या लाभ होगा। जहां तक अपूर्ण चर्चाओं का संबंध है, यदि माननीय सदस्य सहयोग देंगे तो उनमें से कुछ के लिए समय बचाया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I raised a matter about Alcock Ashdown Co. yesterday. You said that there should be reasonable notice. Now one day has passed and there is no statement from Governments side on that.

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही एक घंटा अधिक ले चुके हैं। विधेयकों के पुरः स्थापन के बाद गैर सदस्यों का कार्य लिया जायेगा। किन्तु श्री मधु लिमये पुरः स्थापन के समय ही विरोध करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : अब हम उन आधारों का उल्लेख मात्र करना चाहते हैं जिन पर हम पुरः स्थापन का विरोध करना चाहते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैंने भी आप को लिखा है कि मैं विधेयक को पुरः स्थापित किये जाने का विरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के समय के बाद विधेयक पुरः स्थापित किये जायेंगे और उसके बाद गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा। यदि सदस्य चाहें तो मध्याह्न भोजन के समय का उपयोग किया जा सकता।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 3 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 3 बजकर 3 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled at three minutes past fifteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक तार मिला है जिससे कैलाश चौबे, एक श्रमिक संघ के नेता को छुरे से गंभीर रूप से घायल कर दिये जाने की सूचना दी गई। पुलिस ने इस मामले में हस्ताक्षेप नहीं किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब कार्य सूची के अनुसार कार्यवाही चलने दी जाये। अभी कुछ विधेयक प्रस्तुत किये जाने हैं। कुछ माननीय सदस्य इसी समय उनका विरोध करना चाहते हैं। इस समय दो आधारों को लेकर विधेयकों का विरोध किया जा सकता है। पहला आधार यह है कि विधेयक सभा की विधायनी शक्तियों से परे है और दूसरा आधार यह है कि विधेयकों को प्रस्तुत करने में प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। विरोध करने वाले सदस्य इन आधारों का ध्यान रखें और वे उनके गुण दोषों की चर्चा इस समय न करें।

कोंकण यात्री पोत (अर्जन) विधेयक

KONKAN PASSENGER SHIPS (ACQUISITION) BILL

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि कोंकण तटीय प्रदेश के समुद्री यात्रियों की आवश्यकता की ओर अच्छी प्रकार से पूर्ति के लिए कोंकण यात्री पोतों का अर्जन और अन्तरण करने का तथा उनसे सम्बंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कोंकण तटीय प्रदेश के समुद्री यात्रियों की आवश्यकता की ओर अच्छी प्रकार से पूर्ति के लिए कोंकण यात्री पोतों का अर्जन और अन्तरण करने का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके अनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): श्रीमन् विधेयक के साथ लगे 'उद्देश्यों और कारणों' के विवरण में यह स्पष्ट लिखा है कि मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड ने किराये में 40 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की थी और जब यह मामला समिति के समक्ष विचाराधीन था तभी कम्पनी ने सेवा बन्द कर देने की धमकी दी थी और पुराने किराये की दर पर माल ढोने से इंकार कर दिया था। परिणामत: सरकार ने इसका प्रबन्ध अपने हाथों में लेने का निर्णय किया। 7 नवम्बर को अध्यादेश जारी किया गया और 14 नवम्बर को अधिघोषणा की गई। इस अधिघोषणा से विधेयक के उद्देश्यों और प्रयोजनों का खंडन होता है।

इस विधेयक के पुरः स्थपित किये जाने में कठिनाई यह है कि सरकार ने भावे समिति स्वंय नियुक्त की थी और जिसे किराये-ढांचे के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। उसने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। किन्तु अधिघोषणा में 30 प्रतिशत की वृद्धि घोषित की गई। यदि यह विधेयक उसी आधार पर लाया गया है तो इसमें प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई है। दूसरी बात विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह लिखा है कि सरकार इस पोत सेवा को 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलायेगी। यदि यह सिद्धांत पूरे भारतीय नौवहन निगम पर लागू किया जा रहा है तो फिर किराये में 30 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा क्यों की गई। अतः मैं इस विधेयक का पुरः स्थापन के समय ही विरोध करता हूं। हां, मैं इस कम्पनी का सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण का समर्थन करता हूं।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : इस विरोध में कोई संवैधानिक बात नहीं उठाई गई है। इसलिए मंत्री महोदय द्वारा इसका क्या उत्तर दिया जाए। माननीय मंत्री को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्य मंत्री को उत्तर न देने के लिये अनुदेश क्यों दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोकतंत्र एक नये युग में प्रवेश कर रहा है जिसमें शासक दल का सदस्य मंत्री को उत्तर न देने के लिए आदेश दे सकता है।

श्री विक्रम महाजन : मेरा कहने का मतलब यह था कि माननीय सदस्य द्वारा प्रकट किये गये विरोध में कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं था।

Shri Kamlapati Tripathi : Sir, I am sorry that your feelings were hurt by what he said We all will obey you.

As regards Shri Dandavate's point, I think it is not usual, if not unusual to oppose the Bill at introduction stage. The Bill is neither outside the legislative competence nor there is any

procedural obstacles, so there is no ground to oppose it. The merits and demerits of the Bill can however, be discussed at consideration stage of the Bill. Moreover, the hon. Member is not opposed to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दंडवते का विरोध ठोस कारणों पर आधारित नहीं है और वह अपना विरोध विधेयक पर विचार करने के समय प्रकट कर सकते हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि कोंकण तटीय प्रदेश के समुद्री यात्रियों की आवश्यकता की ओर अच्छी प्रकार से पूर्ति के लिये कोंकण यात्री पोतों का अर्जन और अन्तरण करने का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

कोंकण यात्री पोत (अर्जन) अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE: KONKAN PASSENGER SHIPS (ACQUISITION) ORDINANCE

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी): मैं कोंकण यात्री पोत (अर्जन) अध्यादेश 1973 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जैसे कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

आयकर (संशोधन) विधेयक

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं ।

"कि आयकर अधिनियम 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयकर अधिनियम 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): पहले मैं आपके विनिर्णय के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि पुर: स्थापन के समय केवल उन दो आधारों पर विचार किया जाये, जिनका उल्लेख आपने किया है । यह नियम 72 से स्पष्ट है । हां, यह निर्णय करना काम आपका है कि क्या विरोध करने के लिए दिये गये आधार वैध है अथवा नहीं । यदि विधेयक सभा की विधायनी क्षमता से बाहर है तो उस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जाती है ।

वर्तमान विधेयक के मामले में विरोध का आधार यह हैं कि पुर: स्थापना के लिए दो दिन की सूचना नहीं दी गई । इसके लिए नियम 19 (1) (ख) निलम्बित किया गया । नियम के निलम्बन के लिए मंत्री ने अपने ज्ञापन में यह लिखा कि चालू सत्र 21 दिसम्बर 1973 को समाप्त हो जायेगा और यह विचारा गया कि विधेयक को 14 दिसम्बर को पुर:स्थापित करना आवश्यक है । यह विधेयक इस महीने की 11 या 12 तारीख को भी पुर: स्थापित किया जा सकता था यदि नियमों को इसी दर से स्थगित किया जाता रहा तो एक दिन सभी नियम स्थगित कर दिये जायेंगे और विधेयक को पारित मानकर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा । अत: सत्र के अन्त में विधेयक को पुर: स्थापित करना और तत्सम्बन्धी नियम स्थगित करना गलत है ।

दूसरी बात यह है कि आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए दो विधेयक पहले से ही प्रवर समितियों के विचाराधीन हैं । तो फिर प्रस्तुत विधेयक के उपबन्धों को भी उन्हीं में ही क्यों नहीं सम्मिलित किया गया । स्पष्टीकरण ज्ञापन

में सरकार ने यह कहा है कि 1972 में पारित किये गये काराधान (संशोधन) विधियां अधिनियम में कुछ मामलों में लागू नहीं किया जा सका, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। कितने मामलों में वह लागू नहीं किया जा सका। इन दो आधारों पर मैं विधेयक का इस समय विरोध करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : वित्त मंत्री ने अध्यक्ष को पहले ही बता दिया है कि किन कारणों से इस विधेयक का अविलम्ब लाना पड़ा। आयकर अधिनियम में अधिग्रहण का प्रावधान किया गया और उसके लिए 6 मास की समयावधि रखी गई। बहुत से मामलों में अधिग्रहण की प्रक्रिया इस अवधि में पूरी होने वाली नहीं थी। ऐसा मुद्राणालय की कठिनाई के कारण हुआ जिससे भारत का राजपत्र आदि ठीक समय पर नहीं छप सकें। यदि यह विधेयक न लाया जाता तो अधिग्रहण सम्बन्धी उपबन्ध अवैध हो जाते। लगभग 53 मामलों में असाधारण राजपत्र न छप सका।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री सेझियान की बात तकनीकी दृष्टि से इस आधार पर नहीं मानी जा सकती कि मंत्री ने ऐसा करने के लिए अध्यक्ष को कारण लिखकर दिये थे, जिन्हें अध्यक्ष ने मान लिया था। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि सभा ने जो नियम बनाये हैं साधारणतः उनका निलम्बन की मांग नहीं की जानी चाहिए।

सरकार को यह उपाय पहले ही करना चाहिये था जबकि इन कठिनाईयों का पहले ही पता था। अतः इस नियम के निलम्बन की प्रार्थना के स्थान पर और कोई उपाय किया जाना चाहिए था। तथापि पुरःस्थान का विरोध करने का कोई आधार नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह मामला सभा में उठाये जाने के बजाय अध्यक्ष के कक्ष में कैसे निपटाया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अध्यक्ष महोदय ने ऐसा ही उचित समझा है तो यह भी हो सकता है। यह कोई नई बात नहीं हुई है।

श्री समर गुह : यह नियम सभा ने बनाये हैं और वही इसे निलिम्बित भी कर सकता है। यदि अध्यक्ष इस प्रकार करने लगे तो भगवान ही मालिक है।

उपाध्यक्ष महोदय: जैसा मैंने कहा है कि यदि सरकार के लिए ऐसा करना उचित नहीं तो सदस्यों पर भी यही बात लागू होती है (**व्यवधान**) कृपया शान्त रहें।

प्रश्न यह है :

> "कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक के पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (33 वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-THIRD AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायेगी।"

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है, इस पर पहले राज्य की विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है दूसरे, यह विधेयक दूसरे रूप में आना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): Sir, I can appreciate the idea behind this Bill but I must point out the constitutional objective thereto. It contravenes the fundamental right guaranteed under the Constitution that any citizen can go and reside anywhere *i.e.*, Art. 19(e). This is going to be challenged in the Court. Therefore, the Bill should be brought after thorough study.

Bifurcation of Andhra is understandable. (*Interruption*). I only want this point to be clarified because it appears to be against the Constitution.

श्री एस० बी० गिरि : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह विधेयक असंवैधानिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदस्यगण जानते हैं कि व्यवस्था क्या है। यदि कोई चर्चा क्रमानुसार नहीं की गई है या किसी नियम का उलंघन किया गया है तब तो व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है। यदि यह प्रश्न नहीं है तब तो आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री एस० बी० गिरि : राज्य में नियुक्तियों के बारे में, इन्हें जिला वार बनाया जा रहा है। मुल्की नियमों के संदर्भ में ऐसी नहीं किया जा सकता। अतः यह विधेयक नहीं लाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसे नोट करें।

श्री समर गुह : मैं इस विधेयक के पेश किये जाने का विरोध करता हूं क्योंकि यह संविधान के पवित्र उपबन्धों का उल्लंघन करता है। संविधान को सत्तारुढ़ दल की इच्छाओं के अनुसार तोड़ मरोड़ा नहीं जा सकता परन्तु वह दल अपनी संख्या के बल पर ऐसा करना चाहता है। छः सूत्री सूत्र बनाया गया था परन्तु बहुमत होने पर भी वहां लोकप्रिय सरकार नहीं टिकी और राज्य भर में अनेक आंदोलन हुए। फिर भी उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि राज्य सरकार ने इनका अनुमोदन कर दिया है और जनता ने इनका समर्थन किया है। यह कैसे कहा जा सकता है? क्या इस पर लोकराय ली गई थी। यदि आप दूसरी अनुमति देंगे तो यही समझा जाएगा कि सरकार को मनमाने ढंग से संविधान को तोड़ने-मरोड़ने की अनुमति दी गई है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री एस०बी० गिरि : मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो तीन बार अपनी बात कह चुके हैं। अब यदि आप बोलेंगे तो सभा के कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज नहीं किया जाएगा।

श्री एस० बी० गिरि***

[तत्पश्चात श्री एस० बी० गिरि सदन से बाहर चले गये]

Shri S.B. Giri then left the House.

श्री राम निवास मिर्धा : इस विधेयक को पेश करने के विरुद्ध कोई भी ठोस दलील नहीं दी गई है। मेरे विचार में सभा सक्षम है क्योंकि विधेयक अनुच्छेद 368 के अधीन लाया गया है।

श्री समर गुह : मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था क्योंकि इससे लोगों की इच्छाओं की अपेक्षा करके लोकतंत्र के सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये बातें विधेयक पर चर्चा के दौरान कही जा सकती हैं। ये तर्क विधेयक पुरः स्थापित करने में बाधक नहीं हो सकते।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

---

*अध्यक्ष पी० के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*Not recorded

श्री राम निवास मिर्धा : मैं विधेयक के पुरः स्थापित करता हूं।

मुल्की नियम (निरसन) विधेयक
MULKI RULES (REPEAL) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुल्की नियमों के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

"कि मुल्की नियमों के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री राम निवास मिर्धा : मैं विधेयक का पुरः स्थापति करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करेंगे जिनमें विधेयक पेश किए जाएंगे।

मिथिला (उत्तर बिहार) विकास बोर्ड विधेयक
MITHLA (NORTH BIHAR) DEVELOPMENT BOARD BILL

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

उत्तर बिहार के तीव्र कृषि-औद्योगिक विकास के प्रयोजनार्थ एक बोर्ड बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि उत्तर बिहार से तीव्र कृषि-औद्योगिक विकास के प्रयोजनार्थ एक बोर्ड बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री यमुना प्रसाद मंडल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रसन्नाभाई मेहता—अनुपस्थित **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह**—अनुपस्थित

दयाभूत जीवन अन्त विधेयक
MERCY KILLING BILL

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न यह है।

"कि उन व्यक्तियों के जो पूर्णतः अशक्त और शैया-ग्रस्त हो चुके हों या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हों, दयाभूत जीवन अन्त का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री बी०बी नायक (कनारा) : यह विधेयक अच्छी भावना से लाया गया है परन्तु संविधान के विरूद्ध है। क्या इससे हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विचार है और निर्णय सभा के हाथ में है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Instead of Saving the lives of individuals, we are allowing them to be killed. This is cruelty. What kind of Socialism is this?....(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी समझ में कुछ नहीं आया । प्रश्न यह है :

"कि उन व्यक्तियों के जो पूर्णत: अशक्त और शैया-ग्रस्त हो चुके हों या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हों, दयाभूत जीवन अन्त का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :
THE LOK SABHA DIVIDED :

पक्ष में AYES 71 विपक्ष में NOES 15

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री मूल चन्द डागा: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विधिक सहायता विधेयक
LEGAL ASSISTANCE BILL:

डा० कर्ण सिंह (बीकानेर) : यद्यपि पहले भी मैं अनेक विधेयक समाजवाद लाने हेतु लाया हूं परन्तु उन्हें सरकार ने ठुकरा दिया है यह विधेयक भी उसी दिशा में एक कदम है और आशा है सरकार इसके प्रति वैसा नहीं करेगी ।

सरकार सदा ही धन की कमी का बहाना बना कर जनता की इस मांग को ठुकरा नहीं सकती । यदि सरकार चाहे तो इतने अधिक करों में से कुछ राशि इस शुभ कार्य के लिए भी रखी जा सकती है ।

गरीबों को कानूनी सहायता देने से कोई इंकार नहीं कर सकता । अमीरों के लिए एक कनून और गरीबों के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता ।

कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए धनराशि अदा करने में असमर्थता से व्यवहार में कानून के सामने अमीर और गरीब में भेद भाव उत्पन होता है । यद्यपि यह भेद भाव दिखाई नहीं देता परन्तु यह बहुत खतरनाक है ।

दिवंगत श्री कुमारमंगलम ने एक बार टिप्पणी की थी कि गरीब व्यक्तियों का बिना वकील की सहायता के मुकदमा लड़ना बेमेल मकाबले के समान है । कानूनी सहायता कोई दान नहीं है । लेकिन इसकी आवश्यकता रखने वाले सब नागरिकों को इसे प्राप्त करने का अधिकार है ।

मैंने यह विधेयक कानूनी सहायता की आवश्यकता अनुभव करने वाले नागरिकों के हित में पुरःस्थापित किया है और आशा है सरकार इसे उसी भावना से स्वीकार करेगी जिस भावना में यह प्रस्तुत किया गया है ।

समाज के विभिन्न वर्गों को अनेक अधिकार देने वाले विभिन्न विधानों को सार्थक बनाया जाना चाहिये । तभी नई सामाजिक व्यवस्था पनप सकती है । चूंकि हमारे देश में ये कानून अधिकांश लोगों की पहुंच के परे हैं अत: इन लोगों की सहायता के लिए व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है । विधिक समानता को वास्तविक बनाना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है । वास्तव में विधिक सहायता किसी कल्याणकारी सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए अत्यावश्यक है । अत: प्रत्येक वादी का यह अधिकार है कि उसे प्रत्येक मुकदमे में किसी वकील का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ।

निर्धनों को कानूनी सहायता देना संविधान में राज्य सूची में है । राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में उपेक्षा की जा रही है क्योंकि वह अतिरिक्त व्यय करना नहीं चाहते । यदि उन्हें इस बात का आश्वासन दिया जाये कि इस मामले में कम से

कम आधा वित्तीय भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी तो वे इस व्यय के लिए तैयार हो सकते हैं। संसद् को कानूनी सहायता के लिए सांवधिक व्यवस्था करनी चाहिये।

अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, और सब यूरोपीय देशों ने कानूनी सहायता देने के मामल में सराहनीय प्रगति की है। एशिया, जापान, श्री लंका और सिंगापुर में कानूनी सहायता देने सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ किये गये है।

भारत में गैर सरकारी एजेंसियों और स्वेच्छिक संगठनों द्वारा कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाती है। निर्धनों को कानूनी सहायता देने के लिए मार्च, 1970 में राष्ट्रीय विधि सहायता संघ का भी गठन किया गया था। लेकिन देश की विशालता को देखते हुए उक्त कार्य समुद्र में बूंद के बराबर है।

हमने सिविल प्रक्रिया संहिता में अकिंचन के रूप में कार्यवाही करने की व्यवस्था की है लेकिन यह कानूनी सहायता का स्थानापन्न नहीं है। अकिंचन के रूप में कार्यवाही करने में अनेक बाधाएं हैं।

दीवानी मुकदमों में अनेक प्रकार के खर्च होते हैं? जैसे न्यायालय की फीस, वकील की फीस, न्यायालय में विभिन्न देशियों में उपस्थित रहने का खर्च, गवाही पेश करने तथा रिकार्ड की प्रति प्राप्त करने का खर्च आदि, अत: निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देना बहुत आवश्यक है।

भगवति समिति ने इस सम्बन्ध में सिफारिशें देते हुए कहा था कि प्रत्येक वकील को एक वर्ष में तीन मुकदमें बिना शुल्क लड़ने चाहिये।

केन्द्रीय विधि आयोग ने 1958 में अपने 14 वें प्रतिवेदन में बताया है कि न्यायालय शुल्क आदि के भुगतान के लिये जब तक निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। उक्त आयोग ने सिफारिश की है कि ब्रिटेन की पद्धति भारत के लिये आदर्श पद्धति सिद्ध हो सकती है। वहां ब्रिटिश संसद् द्वारा धन राशि की व्यवस्था कर विधि सहायता निधि बनाया गया है। निर्धनों की सहायता करने वाले वकीलों को उक्त निधि से भुगतान किया जाता है। अधिनियम में फीस का भुगतान करने पर कानूनी सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था है। ब्रिटिश प्रणाली की एक और मुख्य बात यह है कि वहां प्रत्येक वादी अपनी स्थिति के अनुपात से मुकदमे में खर्च हुई धनराशि का भुगतान करता है।

अधिवक्ता अधिनियम में यह सुझाव दिया गया है कि इस अधिनियम में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिये जिससे कि न्यायालय निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता देने के लिये निधियां बचा के रखा सकें।

मई, 1972 में विधि मंत्री ने लोक सभा में उल्लेख किया था कि निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिये एक व्यापक योजना तैयार की जायेगी। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में नवम्बर, 1972 में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपने प्रतिवेदन में श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों आदि को विधि सम्बन्धी सहायता देने के बारे में अत्यन्त उपयोगी सुझाव दिये हैं।

इस बारे में संसद् में समय समय पर आश्वासन दिये जाते रहे हैं और इस विषय पर विधेयक लाने का भी आश्वासन दिया गया था लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है।

आशा है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को शीघ्र पारित किया जायेगा।

श्री गदादरसाहा (वीरभूम) निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देना एक कल्याणकारी राज्य का कर्त्तव्य है। लेकिन हमारी सरकार का इस संबंध में रुख अपेक्षापूर्ण रहा है। सरकार को स्वयं ही इस विधेयक को प्रस्तुत करना था। विधि आयोग द्वारा निर्धनों को कानूनी सहायता देने के लिये व्यापक व्यवस्था करने की सिफारिश के बावजूद भी सरकार द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कानून के समक्ष समान अवसर तथा समान सुरक्षा मिलना न्यायालय शुल्क तथा अन्य अनुसंगिक व्यय करने पर निर्भर करता है। अधिकांश ऐसे लोगों से इसका भुगतान करने के लिये कहना उचित नहीं है जबकि उनके पास इसका खर्च उठाने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं।

अत: दिन पर दिन अन्याय पनप रहा है। जब तक कोई व्यक्ति न्याय के लिये न्यायलय की शरण लेने में असमर्थ है, अन्याय का अन्त नहीं होगा। अत: कानूनी सहायता की व्यवस्था करना आवश्यक है और इसे निर्धनों तक पहुंचाने का दायित्व सरकार पर है।

विधि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सरकारी वकील की सेवाएं प्रत्येक अपराधी को प्राप्त होनी चाहियें जिससे ऐसा न हो कि किसी भी मुकदमें में गरीबी के कारण किसी व्यक्ति को पर्याप्त सुरक्षा का अवसर न मिल सके ।

अनेक अन्य मामलों में भी निर्धनों को कानूनी सहायता देना आवश्यक है । गरीब लोगों को झूठे मामलों में फंसाना भारत में आम बात हो गई है ।

ऐसे भी मामले हैं जिनमें मालिकों के अच्छें वकीलों की सहायता से कार्मिक संघों को दबाने का प्रयास किया गया है । ऐसे भी मामले सामने आये हैं जिनमें बटाईदारों तथा छोटे किसानों की उनकी भूमि से बेदखली की गई और बड़े बड़े जोतदार तथा जमीदारों द्वारा पुलिस की सहायता से उनके खेतों को लूटा गया ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा । अगर अनुच्छेद 14 और 22 को ठोस आधार देना है, तो और कोई विकल्प नहीं है । दण्ड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिताओं में, जिनमें आमूल संशोधन की आवश्यकता है, इस व्यापक प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिए ।

Shri B.R. Shukla (Baharaich): I welcome this Bill. It is fundamental right of every citizen of an independent and welfare state that justice is provided to him without any payment. During the British regime, the Justice Department used to function as a Revenue Department and it meant that justice was being sold to the people. The court fees has been increasing as there has been general price rise.

So far as civil Procedure Code is concerned, it is provided there that the poor can file a suit in the court without paying any court fees. But the number of such cases is very limited. Lacs of cases are pending in the Revenue Courts. Thousands of poor farmers are thrown out of their lands and they do not have enough funds for fighting their case. They have also to pay court fees. The laws have become so complex that one cannot get justice without the help of lawyers. The poor farmers do not have clothes to put on, food to eat and money to pay the fees of the advocates. It is, therefore, the primary responsibility of the Government to evolve a system where the poor could get justice without paying any fees.

In the financial memorandum it is mentioned that there would be a recurring expenditure of one million of rupees. Probably there might be more expenditure, but I full support the feeling behind the Bill. If the Government does not accept the Bill in the existing form, it should assure the house to bring forward a new Bill.

Shri Ramavtar Shastri (Patna): I strongly support the Bill brought forward by Dr. Karni Singh for making a provision for providing free legal aid to the poor. The Government has not brought forward such a measure for the last 25 years, which it should have done of its own accord. By this Bill he wants to provide free legal aid to every individual whose income does not exceed Rs. 2400 per annum.

Our laws generally support and protect the rich and the poor cannot use them in their favour. We have provided certain facilities for the poor by passing G.P.C. Bill, but they do not get justice due to various difficulties in their ways.

Shri Shukla has rightly said that they do not have clothes to put on, food to eat and money to pay the fees of the lawyers. A good lawyer has be paid more fees, which the poor cannot pay and without whose help, he loses the case. The poor should be provided the legal aid, the fees for the lawyers and the necessary documents. It is also a good suggestion that there should be some restriction on the lawyers fees.

The Government should at least accept this Bill and if they want, they may bring forward a more comprehensive Bill, so the poor should also understand that the Government is helping them.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): I whole heartedly support the feeling behind the Legal Assistance Bill which has been moved by Dr. Karni Singh.

Today the litigant public has to incur heavy expenses in the form of Court fees, Process fees, Conveyance charges, Execution fees etc. The litigation has become so expensive that justice is now beyond the reach of the common man. I would request the house that no body should be deprived of justice for want of money.

The aim of the Welfare State should be to create such circumstance as may obviate the need to go to courts but till such time we must provide some facilities to poor litigants so that they may be able to protect their rights.

The mover has covered only civil cases in his Bill but I feel that revenue and criminal cases should also have been covered. I know that this Bill shall not be passed (*interruption*) even then I support it. Even then I would like that all these three types of cases should be included in a Bill that is finally passed by the House.

The provision of the Stearing Committee would prove another hurdle for the poor man to get legal aid. This should be dropped.

In the end, while supporting the Bill, I would request Government to ensure inclusion of such provisions as may provide relief to the poor.

Shri R.V. Bade (Khargan): Sir, I rise to support Dr. Karni Singh's Bill. Despite Government's assurance, no comprehensive Bill has been brought by them so far. I am of the opinion that this Bill should cover criminal cases also.

Since the burden of proof lies on the defendent, and the court fee has been enhanced many time, it should be abolished to give relief to the poor.

This Bill has many lacunal, yet it's spirit is laudable and therefore Government will have to say that they propose to bring a comprehensive Bill. In that case we should like to know when ?

'Amive Cure' List contains the names of new lawyers mostly. It should be made comprehensive so that those who want to avail of their services may get good legal assistance from the State.

The provision regarding minimising the court fee would find support from the hon. Minister also. The Centre and concerned State should share this burden jointly.

With these words, I once again support this Bill.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): Sir, I welcome Dr. Karni Singh's Bill which is for the welfare of the poor.

A C.P.(M) member and Shri Shastri of C.P.I. have talked of 'Struggle'. I can say that this way not only thousands of huts of the poor are set ablaze but law and order is also thrown to the winds. They infact do not want the poor may get justice (*interruptions*)

I would request Shri Gokhale that by accepting it and by bringing a more comprehensive legislation he would be taking a step in the right direction and towards achieving a Welfare State and Socialism. I also congratulate Dr. Karni Singh for giving this opportunity to Government to awaken to this necessity.

श्री पी जी मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं डा० कर्णी सिंह जी को इस विधेयक के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा है कि विधि मंत्री इसे स्वीकार कर सकेंगे ।

आशा है इसे स्वीकार कर के यह सभा ब्रिटिश लोक सभा का वह ज्वलंत उदाहरण दोहराएगी जब एक स्वतंत्र सदस्य का विधेयक वहां स्वीकार कर लिया गया था ।

जैसा कि अनेक सदस्य कह चुके हैं, यह विधेयक उन लाखों गरीबों की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा जो विधिक सहायता से वंचित हैं ।

यह विधेयक हमारे संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना, मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धान्तों के अनुरूप हैं जिस में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है ।

गत 25 वर्षों से हम कागजी वचन देते आये हैं अत: अब समय है कि इन्हें अविलम्ब कार्य रूप दिया जाये ।

कुछ दिन पूर्व भगवती रिपोर्ट और कृष्ण अय्यर रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि उन पर ध्यान पूर्वक विचार हो रहा है। अत: मेरा अनुमान है कि इसी सत्र में कोई व्यापक विधेयक लाया जाएगा और न ही यह आगामी सत्र में सम्भव होगा क्योंकि वह बजट सत्र होगा जिसमें विधान कार्य की गुंजाइश कम ही होती है।

इन बातों को टाला नहीं जा सकता। आज सरकार समाजवाद की चर्चा करती है। हम चाहते हैं कि वह सही अर्थों में समाजवादी प्राथमिकताएं अपनाएं।

आज गरीब लोगों को सहायता दिये जाने की और भी आवश्यकता है क्योंकि कानून इतने अधिक हैं कि एक शिक्षित एवं जानकार व्यक्ति भी न्यायालय जाने में समर्थ नहीं है क्योंकि या तो वह कानूनों को समझता नहीं है और यदि समझता भी है तो विशेषज्ञों की सहायता से ही समझ पाता है। जबकि हम अपने देश को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं तो हम बिना धन व्यय किए कानूनी सहायता की व्यवस्था क्यों नहीं करते। आज हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है परन्तु उसका उपयोग लोग क्यों नहीं उठाते।

मैं आशा करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 14 को व्यावहारिक रूप दिया जायेगा।

Shri Swami Brahamanandji (Hamirpur): So early as rich people are there how can poor people get justice because rich can influence and interpret law according to their own wishes? They would continue to exploit the poor.

I do not understand as to which advocate would practice free of charge? So long as advocates exist in the country we cannot attain welfare.

Many of our leaders had been advocates. Had they continued in their profession they would have done nothing for the nation.

During the British regime the police used to record reports only after it was signed by eldermen of the village. Today anybody can lodge report and go home.

A person who possess two revolvers is a decoit but if one possess two lacks revolvers he is a king.

If the grievances of the poor are not removed, the bloody revolution would take place. The poor can only be benefited when capitalism is done away with.

Shri Nathu Ram Aherwar (Tikamgarh): I welcome the spirit of the mover of this Resolution.

Recently a legislation was enacted in Madhya Pradesh which provides that all cases of manual labour for the creditors would be transferred to Collectors Court who would calculate that injustice has not been done towards the debitors.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K.N. Tiwari *in the Chair.*]

The hon. Member has proposed that persons with income of less than Rs. 2400 should be given free legal aid.

So long as advocates are there the poor people would continue to suffer. There betterment can be achieved only if police stations are placed under Panchayats. These advocates are not even taxed, whatever be their income.

There is provision for free legal aid in Madhya Pradesh. But the poor people do not have money to travel and to avail of this concession.

The purpose of this Bill is very good. The Government aiming at a welfare state should bring a comprehensive Bill for it.

Shri M.C. Daga (Pali): Since 1950 so many commissions have submitted their reports and the hon. Minister had also given assurances. Law commission also recommend free legal aid to the poors persons and persons of limited income. They also stated that the legal profession must entirely accept the responsibility for the administration and working of schemes of legal aid.

We have been talking of free legal aid to the poor for every years. But if it is not implemented who is responsible for it? Only rich people win cases in the courts. We want the

Government to fix a target to implement the proposal.

The hon. Minister may give assurance and the hon. Member may withdraw the Bill.

Shri Panna Lal Barnpal (Ganganagar): I support the Bill moved by Dr. Karni Singh. It demands justice for the economically backward people. Government of India and the State Government have already provided for free legal aid to the scheduled tribes and scheduled castes. Under that provision advocates are nominated by the District Magistrate, who appoints inexperienced advocates as they are available at cheap rates.

Legal aid should be given to the poor irrespective of caste creed and colour. The only criteria for giving free legal aid should be economic backwardness.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच०आर० गोखले) : मैं डा० कर्णीसिंह को इस महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह समस्या पर्याप्त समय से निलम्बित पड़ी है और इस पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैंने प्रश्नों के उत्तर में दोनों सदनों में बताया था कि प्रभावी होने के लिए कानूनी सहायता योजना का व्यापक बनाया जाना अपेक्षित है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि न केवल फ्री लीगल एन्ड तथा असैनिक न्यायालयों की समुचित प्रक्रिया अब तैयार हो गई है।

मैं इसे इसी सत्र में पुरः स्थापित करना चाहता था परन्तु समयाभाव के कारण ऐसा नहीं कर सका। इसे निस्संदेह आगामी सत्र में लाया जायेगा।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे संविधान के अन्तर्गत न्याय का संचालन राज्य विषय है। अतः, मैं इस निश्कर्ष पर पहूंचा हूं कि जहां कानून संबंधी विधान को संसद की क्षमता के अन्तर्गत लाया जा सकता है, वहां कुछ सीमा तक न्याय से संचालन के रूप में कानूनी सहायता के संचालन को विभिन्न राज्यों पर छोड़ा जाना है।

इस विधेयक की भावना अच्छी है, किन्तु यह पर्याप्त रूप व्यापक नहीं है। इसमें कानूनी सहायता को लागू करने के लिए आवश्यक और व्यापक तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम इसे यथाशीघ्र लायेंगे।

जहां तक सिविल प्रक्रिया संहिता का संबंध है, संसद के आगामी अधिवेशन में इसके संशोधी विधयक की पुरः स्थापना की जायेगी। इसमें कानूनी सहायता तथा निर्धनों के मुकदमों के लिए उपबन्ध शामिल हैं।

इस समिति ने, जिसके अध्यक्ष कृष्ण अय्यर हैं ने अपना प्रतिवेदन हमें दे दिया है, मैं माननीय सदस्य से इस विधेयक को वापस लेने की प्रार्थना करता हूं। हमने इस प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली है। हम इस बारे में राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हम मुख्य मंत्रियों को यहां बुलाकर विचार विमर्श करेंगे और उनकी सहमति भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि हम इस योजना के अधिकांश भागों को कार्यान्वित करने में समर्थ हो जायेंगे जिसकी सिफारिश कृष्ण अय्यर समिति ने की है।

मैं यह कहता हूं कि केवल सिविल न्यायालय में मुकदमे दायर करने वालों को ही सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा सहायता मिल पायेगी। अतः, यह उसका छोटा सा भाग है। किन्तु आज अधिकांश मुकदमे, जोकि जन साधारण अथवा किसानों और श्रमिकों से संबंधित होते हैं सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। किसानों के विवाद संबंधी मुकदमों की सुनवाई राजस्व न्यायालयों में होती है। श्रम संबंधो विवाद औद्यौगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों में लड़े जाते हैं जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ धाराएं ही लागू को जाती हैं।

मैं माननीय सदस्य से पुनः इसे वापस लेने की प्रार्थना करता हूं और साथ ही एक विस्तृत संशोधी विधेयक लाने का आश्वासन भी देता हूं।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं अपने विधेयक का भारी समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का भी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह सिद्धांत रूप से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि इस जैसे विधेयक आवश्यक हैं और कि कुछ न कुछ अवश्य ही बहुत शीघ्र किया जाना चाहिए, ताकि मुकदमा करने वालों, विशेषकर कि अधिक निर्धन वर्गों के कष्टों को सदा के लिए दूर किया जा सके।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य के सभी वर्गों एवं माननीय मंत्री महोदय ने सिद्धांत रूप से इस विधेयक का समर्थन किया है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि आगामी अधिवेशन में एक व्यापक विधेयक की पुरः स्थापना की जायेगी। जो भी विधेयक लाया जाये, वह मेरे विधेयक की तुलना में कम लाभकारी नहीं होना चाहिए।

श्री एच०आर० गोखले : मैं यह स्पष्ट करता हूं कि आगामी अधिवेशन में जो विधेयक लाया जायेगा वह कानूनी सहायता उपबन्धों तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि यह सिविल प्रक्रिया संहिता का व्यापक संशोधन भी होगा। कृष्ण अय्यर का प्रतिवेदन अधिक व्यापक है और उसमें दिये गये लाभ भी इस विधेयक से अधिक व्यापक हैं।

डा० कर्णी सिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आगामी सत्र में एक व्यापक विधेयक पेश करने के आश्वासन को कार्यान्वित किया जाये। मेरा कटु अनुभव रहा है कि सरकार आश्वासन तो दे देती है, किन्तु उसे कार्यान्वित नहीं करती। निर्धन लोगों को इस बारे में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विचार से इस विधेयक को बहुत ही उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये स्पष्ट आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं सभा से अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"डा० कर्णी सिंह को कानूनी सहायता विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

डा० कर्णी सिंह : मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

विषमताओं तथा धन के संकेन्द्रण का दूर किया जाना विधेयक
REMOVAL OF DISPARITIES AND CONCENTRATION OF WEALTH BILL

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'विषमताओं तथा धन से संकेन्द्रण को दूर करने के संबंध में विधेयक पर विचार किया जाये' भारत के अधिकांश लोग जीवन-अस्तित्व के स्तर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने में साधन भी नहीं हैं। देश के कृषि तथा औद्योगिक पिछड़ेपन के अतिरिक्त वेतन तथा धन के मामले में कुछ लोगों के पास बहुत अधिक एकत्र हो गया है। पांचवीं योजना के प्रारूप दस्तावेज से यह पता चलता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 40 से 50 प्रतिशत भाग अर्थात 22 करोड़ लोग निर्धन हैं। मेरे विधेयक का उद्देश्य यह है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाये ताकि इस मामले पर तुरन्त कार्यवाही की जा सके। बड़े व्यापारगृहों द्वारा नियंत्रित समस्त धन के संकेन्द्रण को सहकारी समितियों में बदला जाना चाहिए और लोगों के हाथ में ही ऐसे उपक्रमों का संचालन होना चाहिए।

कम्पनी कार्य विभाग के अनुसंधान एवं सांख्यिकी डिविजन के एक सर्वेक्षण के अनुसार 1964 तथा 1968 के मध्य 20 बड़े बड़े औद्योगिक गृहों की परिसम्पतियों में 54 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो गई है। चार वर्ष की अवधि के दौरान 20 औद्योगिक गृहों ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

इस सर्वेक्षण से पता चला है कि 20 बड़े औद्योगिक गृहों की, जिनकी परिसम्पतियां 35 करोड़ से अधिक रुपयों की हैं, संख्या बढ़कर 30 हो गयी है, क्योंकि 10 अन्य उपक्रमों ने इस स्थिति को धारण कर लिया था। बड़े उद्योगपतियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का कोई उचित कारण क्या है? ये बड़े बड़े गृह देश को आखिरकार हानि ही पहुंचायेंगे। सरकार को चाहिए कि वह इस प्रकार के संकेंदरण को रोके।

यदि लाइसेंस नीति समिति की औद्योगिक गृहों संबंधी परिभाषा को लागू किया जाये तो इन दस उपक्रमों को बड़े औद्योगिक गृहों के रूप में मानना ही पड़ेगा। पांच वर्ष पूर्व जो छोटे गृह थे, वे अब बड़े गृह बन चुके हैं।

एकाधिकार जांच आयोग न बैंककारी कम्पनियों को छोड़ कर शेष निगमित क्षेत्र की कुल परिसम्पत्तियों को 5552 करोड़ रुपये का आंका है। इस आधार पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि "75 ग्रुपों की परिसम्पत्तियों का अनुपात सभी गैर सरकारी तथा गैर बैंककारी कम्पनियों की परिसम्पत्तियां 46.9 प्रतिशत हैं"।

विदेशी कम्पनियां भी इस देश में कार्य कर रही हैं। और देश की अर्थ व्यवस्था में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे यहां की अर्थ व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रही हैं। इस देश की योजना उन लोगों के हाथ में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हो सकती है जिनके हाथ में धन संकेन्द्रित हो रहा है। इनके द्वारा किये गये धोखों से न केवल इस सभा, अपितु बाहर भी चर्चा हो चुकी है। हमने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार के धन का संकेद्रण देश के लिये विनाशकारी होगा।

धन के वितरण के संबंध में हमारे पास जो अनुमानित आंकड़े हैं, उनके अनुसार मार्च, 1950 के अन्त तक धन का कुल मूल्य जो 17,086 करोड़ रुपये का था, वह मार्च, 1961 के अन्त तक बढ़कर 32,164 करोड़ रुपये का हो गया। इसी से ही वर्तमान स्थिति की कल्पना की जा सकती है। सरकारी क्षेत्र का हिस्सा पर्याप्त रूप से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है, जबकि संगठित व्यापार गैर सरकारी क्षेत्र 15 प्रतिशत ही बढ़ा है।

गरीबी और बेरोजगारी के संबंध में भी, भारत में आर्थिक आयोजन के मौलिक उद्देश्य गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना है। किन्तु योजना के इन दो दशकों के दौरान इस दिशा में प्रगति हुई दिखाई नहीं दे रही है। समाज के अधिक गरीब वर्गों का जीवन स्तर न केवल आय की वृद्धि दर का ही काम है, अपितु आय के वितरण का काम भी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि जन संख्या का निचला 10 प्रतिशत भाग 1950 की अपेक्षा योजना विधि के अन्त में अधिक निर्धन था। राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1962-63 में किये गये घरेलू सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रमुख 1 प्रतिशत परिवार ही कुल आय से 10 प्रतिशत का भोग कर रहे हैं, जबकि नीचे के 15 प्रतिशत परिवार केवल चार प्रतिशत का ही भोग कर पाते हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गये एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नितान्त निर्धनता की स्थिति में रहने वाले भारतीयों की जो संख्या 1960-61 में ग्रामीण जन संख्या 52 प्रतिशत थी वह बढ़कर 1967-68 में 70 प्रतिशत हो गई। सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि हमारे लोग किस प्रकार की गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

यदि आप न्यूनतम मंजूरी अधिनियम के जैसा कि यह 30 सितम्बर, 1971 को था, अन्तर्गत निर्धारित प्रतिदिन के न्यूनतम वेतन के संबंध में देखें, तो आप को पता चलेगा कि राज्यों में निर्धन लोगों की दशा बहुत ही शोचनीय है।

मेरा विधेयक को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार इन बातों को दूर करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करे। सरकार को गरीबी दूर करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

यदि हम गरीबी को दूर करने के अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार हैं तो हमें परिवर्तन लाना होगा और आय में असमानता को दूर करना होगा तथा धन को केवल कुछ लोगों के हाथ में जाने से रोकना होगा। अतः देश में समस्त प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये जा चाहिए।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही यह विधेयक लाया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रगतिशील नीतियों में कुछ परिवर्तन करने हैं। हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि सब व्यापारिक फर्में, उद्योग तथा 5 लाख रुपये से अधिक निवेश वाले व्यापार को सहकारी समितियों के रूप में परिवर्तित किया जाये और इन सब को स्वयं कर्मचारियों द्वारा संचलित किया जाये। सम्पूर्ण औद्योगिक व्यापार फर्मों तथा वाणिज्यिक फर्मों और सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं में मंजूरियों के न्यूनतम और अधिकतम स्तर का अनुपात 1:5 से अधिक नहीं होना चाहिए।

हम चाहते हैं कि गैर-सरकारी फर्मों का पूर्ण राष्ट्रीकरण हो और उन्हें सहकारी समितों के रूप में गठित किया जाये और समस्त विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों और बड़े व्यापार गृहों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि इन्हें सहकारी समितियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये और उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति स्वयं सम्पति के मालिक हो जायें।

जहां तक इन उद्योगों, व्यापारिक तथा अन्य संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का सम्बन्ध है, उन्हें उनके कर्तव्य, योग्यता और काम की जोखिम के अनुसार ही वेतन दिया जाना चाहिए।

सरकार को इस सम्बन्ध में बिना हिचक शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे आशा है सरकार इस बारे में कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बड़े औद्योगिक तथा कारबार समुत्थानों को सब के लिये सभी द्वारा संचालित सहकारी सोसाइटियों में संपरिवर्तित करके मजदूरी में भारी विषमताओं तथा धन के संकेन्द्रण को दूर करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

****श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : (औस ग्राम) : विधेयक यह स्पष्ट है कि हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में जो उल्लेख किया गया है उसकी पूर्णतया उपेक्षा की गई है। सरकार ने 26 वर्ष के शासन के दौरान अपनी योजनाओं तथा नीतियों द्वारा सब बातों को निष्फल कर दिया है। सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप आज निदेशक सिद्धांतों की भावना समाप्त हो गई है और हमारे देश की सम्पति देश के तथा विदेशी पूंजी पतियों तथा एकाधिकारियों के पास जमा हो रही है और जन साधारण दिन प्रतिदिन निर्धन होता जा रहा है। इन्हीं कठिनाइयों से विवश होकर यह गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा है।

कानूनी कठिनाइयों के कारण भारतीय तथा विदेशी एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण न करने की बात कही गई है। अतः यह तर्क दिया गया है कि 5 लाख रुपया या इससे अधिक निवेश वाली औद्योगिक कम्पनियों को सहकारी कम्पनियों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के बारे में चाहे जो कुछ कहा जाये बड़े बड़े पूंजीपति जैसे टाटा, बिरला, सिंघानियां आदि इन सहकारी समितियों पर भी नियंत्रण कर लेंगे और अन्ततः इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

मेरा सुझाव है कि न्यूनतम वेतन आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए और अधिकतम वेतन 500 रुपये होना चाहिए। रुपये की घटी वर्तमान कीमत को ध्यान में रखते हुए अधिकतम वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए।

हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। 30 प्रतिशत जन संख्या कृषि कार्यकर रही है। उन्हें भी आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। इस विधेयक में इस बात पर विचार नहीं किया गया है।

आज ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार की सब से बड़ी आवश्यकता है। एक ओर अधिकांश लोग गरीब और बेरोजगार होते जा रहे हैं, दूसरी ओर देश की सारी सम्पति कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो रही है।

देश में 2296.5 करोड़ रुपये की कुल पूंजी निवेश में से आज 79.2 प्रतिशत पर 42 बड़े बड़े व्यापार गृहों का अधिकार है।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि अनेक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मामलों में सरकार ने आयोग का उल्लेख किये बिना निर्णय लिये हैं। उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन के बारे में उक्त निर्णय लिये गये हैं और उक्त मामले आयोग को न सौंपने के क्या कारण हैं?

आयोग ने यह सिफारिश की थी कि आयोग के प्रतिवेदन को सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया जाना चाहिए लेकिन सरकार इस बात से सहमत नहीं हुई है।

एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया में यथोचित संशोधन किये जाने चाहिएं जिससे आयोग अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके।

हमारे देश में विदेशी पूंजी विनियोजन वृद्धि पर है। देश में लगभग 418 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगी है। कोका-कोला, ब्रिटेनिया, डनलोप, कालगेट जैसी विदेशी कम्पनियां लाभ की बड़ी धन राशि विदेशों में भेजी रही हैं। सरकार को धन जमाखोरी और मजूरी में असमानता को दूर करने के लिए यथा सम्भव कार्यवाही करनी चाहिए। मजूरी में असमानता दूर करने के लिये राष्ट्रीय मजूरी नीति निर्धारित करना बहुत आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आमूल भूमि सुधार किया जाना चाहिए। किसानों को खेती के लिये भूमि दी जानी चाहिए। सब एकाधिकार पूंजीपतियों को, चाहे, वे देश के हों अथवा विदेशी, सब का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। यदि हम

**बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

ऐसा नहीं करेंगे तो देश से गरीबी कभी दूर नहीं हो सकेगी। निर्धन लोगों को क्रान्ति का सहारा लेना पड़ेगा और वे वर्तमान पूंजीपति समाज को समाप्त कर देंगे।

---

*12 वर्षीय माध्यमिक पाठ्यक्रम के प्रस्ताव
**PROPOSAL FOR TWELVE YEAR SECONDARY COURSE

श्री समर गुह (कन्टाई): आज भारत को स्वतन्त्र हुए 25 वर्ष से अधिक हो गये हैं लेकिन शिक्षा की बड़ी उपेक्षा की जा रही है। शिक्षा को कोई समस्या ही नहीं समझा जाता। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम आदि के बारे में स्पष्ट स्थिति नहीं है। हमारे राष्ट्रीय निवेश का कम से कम 10 प्रतिशत भाग शिक्षा विकास पर व्यय किया जाना चाहिए। प्रथम योजना में शिक्षा पर 7 प्रतिशत व्यय किया गया और चौथी योजना में यह व्यय घटकर 5.2 प्रतिशत रह गया है। यह बताया गया था कि माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपये आंवटित किये जायेंगे लेकिन इसको घटाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वर्ष 1978 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 43 रुपये के लगभग खर्च किये जायेंगे। शिक्षा पर उक्त प्राबंधन किसी भी अविकसित अथवा विकासशील देश की तुलना में बहुत कम है। इससे शिक्षा के प्रति की जा रही उपेक्षा का बोध होता है। किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है।

राष्ट्रीय नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के लिये 2 वर्ष, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये 3 वर्ष तथा डिग्री पाठ्क्रम के लिये 3 वर्ष का पाठ्यक्रम स्वीकार किया गया है। लेकिन इस बारे में एक रूपता नहीं है।

दसवीं कक्षा के बाद दो वर्ष हायर सैकन्डरी के लिये होने चाहिए। इसे कालेज शिक्षा का भाग नहीं होना चाहिए। स्कूल के छात्रों का मनोविज्ञान कालेज के छात्रों के मनोविज्ञान से पूर्णतः भिन्न है।

पश्चिम बंगाल में 11 वर्ष का पाठ्यक्रम है। इसको राज्य सरकार ने दस वर्ष का कर दिया है। राज्य सरकार वहां जूनियर कालेज की स्थापना पर विचार कर रही है। ऐसा करने से कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। अध्यापिकों के वेतन ढांचे में बहुत अन्तर है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मामले में संस्थागत ढांचे को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

जहां तक शिक्षा को व्यवसायिक रूप देने का प्रश्न है, शिक्षा की बहु प्रयोजनीय योजना असफल सिद्ध हुई है। उक्त योजना रोजगार-प्रधान नहीं बन सकी। इसके विपरीत बहुप्रयोजनीय स्कूलों के विद्यार्थी क्लर्क बनने के लिये शहरों की ओर आ रहे हैं। बहुप्रयोजनीय योजना का उद्देश्य बुरी तरह से असफल रहा है। क्या सरकार ने रोजगार-प्रधान कोई योजना बनाई है जिससे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी क्लर्कों के पदों के लिये न भागें, बल्कि कृषि, उद्योग या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करें।

विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों में समानता नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले विद्यार्थियों को बहुत कठिनाइयां होती हैं। अखिल-भारतीय परीक्षा में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

यह अच्छी बात है कि सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की है जिससे आदर्श पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके। यह एक उचित प्रयास है। यदि सरकार वास्तव में आदर्श पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम चाहती है तो उसे ऐसे प्रोफेसरों की एक गोष्ठी बुलानी चाहिए जिन्हें पाठ्य पुस्तकें लिखने और अध्यापन कार्य का अनुभव हो और उसमें आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की योजना बनाई जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में इस वर्ष से एक नया विषय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास आरम्भ किया गया है। इस विषय को अन्य राज्यों में आरम्भ किया जाना चाहिए। विद्यार्थी देश का भविष्य हैं। अतः उन्हें स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास से

---

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-Hour Discussion.

अवगत होना चाहिए। उनमें बलिदान, सेवा और देश भक्ति की भावना भरनी होगी। स्वतन्त्रता संग्राम से हमें यही प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता की भावना का भी विकास किया जाना चाहिए।

सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृति योजना बहुत अच्छी है। यदि किसी विद्यार्थी के माता पिता की आय 500 रुपये या इससे अधिक है, तो उसे छात्रवृति देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय छात्रवृतियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए और इसे माता पिता की आय के साथ सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

आपको टियूशन द्वारा अध्ययन की व्यवस्था करनी चाहिए। 40 प्रतिशत अंक कक्षा कार्य के लिये रखने चाहिएं और शेष 60 प्रतिशत लिखित परीक्षा के लिए।

रेडियो और फिलमों द्वारा भी शिक्षा दी जा सकती है। छात्रों में अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण अश्लील फिल्में हैं। छात्रों के लिए इस प्रकार की फिल्में बनाई जायें जो उन्हें वास्तविक संस्कृति का ज्ञान ही न कराए बल्कि शिक्षा भी दें।

हमारे देश के भविष्य का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, यह हमारे नवयुवकों के मस्तिष्क विकास पर निर्भर करता है। यदि हम शिक्षा देते हैं और उसके द्वारा यह विचार मन में बैठा देते हैं कि समाजवाद जीवन की संस्कृति है, तभी लोकतंत्रिक ढांचे में वास्तविक और उचित प्रकार का समाजवाद पनप सकता है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): इस बारे में अपने प्रश्न पूछने से पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड की सिफारिशों की ओर दिलाना चाहूंगा।

इस हेतु माध्यमिक शिक्षा की XIवीं तथा XIIवीं कक्षा के पाठ्यक्रम की छानबीन उचित ढंग से की जानी चाहिए। अध्यापिकों का प्रशिक्षण उचित ढंग से होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस विषय में पक्का निश्चय कर लिया है और राज्य सरकारें इस बारे किस सीमा तक सहमत हैं? क्या अध्यापिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और क्या देश में अधिक पोलिटेक्निक खोले जा रहे हैं? इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग क्या सहयोग की भावना से काम कर रहे हैं?

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का संतोषपूर्वक उत्तर देंगे।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): I want to know the names of the State Governments and Universities which have sent their comments on the suggestions of Central Education Advisory Committee? Were the views of Secondary School and College Teachers taken at the time of prescribing this course? I would also like to know whether various teachers organisations have demanded uniform syllabus and pay scales through the country?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): We are on the eve of fifth Five Year Plan. We should not proceed beyond the resources at our disposal in introducing the various education reforms. Various Education Commissions have recommended the uniform pattern of education. 10+2+3 years course has been recommended almost by all the Commissions. Although we are late, still we should try to implement these recommendations. We should also examine the difficulties which we may face in the implementation of these recommendations. We want your cooperation in gearing up the administration. We try to gear up the administration but we are facing same difficulties (*Interruptions*). You cannot change the present structure of India.

You have been feeding the primary education. We are grateful to you for pleading the cause of Education Ministry. Again, we shall be grateful if you could collect the donation from Public for this purpose (*Interruptions*). We want your assistance in building up the educational institutions.

We call conferences of Education Ministers twice a year. We request them to accept the pattern of 10, 2 and 3. We use all avenues for persuading them.

The HCERT has published a large number of text books. If any shortcomings are brought to our notice in the case of any book, we remove it immediately. The books published

by the HCERT are not only used in our country but are even sent abroad. There may be some shortcomings in the HCERT in the initial stages but now it is a very good institution.

We called the representatives of primary school teachers in the HCERT and apprised them of what we are doing in the HCERT. We also propose to call the representatives of Secondary Teachers and fully apprise them of what is being done in the HCERT.

As regards vocationalisation. We will be sending representatives of teacher's associations in agricultural universities and will give them training for 3 to 5 days in dairy-farming and allied matters.

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 17 दिसम्बर, 1973/26 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 17, 1973/Agrahayana 26, 1895 (Saka).

MGIPNLK—3/Lok Sabha/74—8-5-74—490 Copies.